

राजस्व

राजस्व

श्री भगवानदास केला

१९३७

हिंदुस्तानी एकेडेमी
संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद

अकालक
हिंदुस्तानी एकेडेमी
संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण

मूल्य १।

सुन्दर
नारायण प्रसाद,
नारायण प्रेस, इलाहाबाद

निवेदन

—०००—

राज्य का ग्रामः प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज-कोष में कुछ धृत्य देता है। असम्भवता की अवस्था में, अथवा स्वेच्छाचारी शासन में राज्य अब-अब और जितना चाहता है प्रजा से खन घसूल करता है, और उसे खर्च करने में भी प्रजा के हिताहित का सम्बन्ध ध्यान नहीं रखता। उस दशा में नागरिकों को बहुधा यह जानने का ही अवसर नहीं मिलता कि करों आदि से राज्य कितना रूपया ले रहा है, और उसका कितना-कितना भाग किस-किस कार्य में खर्च करता है। इस समय राजस्व के मोटे-मोटे सिद्धांत स्थिर हो जुके हैं और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक राज्य में कर लगाए जाते हैं, तथा उन करों से प्राप्त आय को खर्च किया जाता है। अब किसी भी समय कहे जाने वाले राज्य में सरकारी आय-स्वयं गुप्त नहीं रखता जाता, हीं, यदि नागरिक इस स्वयं ही इस विषय की ओर ध्यान न दें और उपेक्षा भाव रखें, तो वात दूसरी है। उस दशा में वे इस विषय के ज्ञान से बंधित रहेंगे, और साथ ही अपने राज्य के प्रति उस कर्तव्य के पालन करने में भी असमर्थ रहेंगे, जिसका पालन वे इस विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके ही, कर सकते हैं।

अतः अपने राज्य की सेवा और उच्चति में यथाशक्ति भाग लेने की हड्डी रखनेवाले प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि कर क्यों लिपु जाते हैं, किस मात्रा में लिपु जाते हैं, और किस रीति से लिपु जाते हैं। तथा उनसे प्राप्त आय किस प्रकार किन-किन कार्यों में खर्च

की जाती है, करों के निर्धारित करने में जनता के प्रतिनिधियों को कहाँ तक अधिकार है, तथा उनके ख़ुर्च पर उनका कहाँ तक वियंत्रणा है। इस छोटी सी पुस्तक के अवलोकन से पाठकों को इस विषय का विचार करने में सहायता मिलेगी, ऐसी आशा है।

भारतीय पाठकों की सुविधा के लिए हमने इसमें भारतीय राजस्व के ही उदाहरण दिए हैं। यथापि भारतवर्ष बहुत निर्धन देश है तथापि यहाँ के निवासी कुछ भिन्नकर प्रतिवर्ष जगभग तीन सौ करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को कर, फ्रीस, या महसूल आदि के रूप में देते हैं। यहाँ पर रेल, डाक, तार या नहर आदि से जो कुछ आय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रबंध और संचालन आदि में ख़र्च होनेवाली रकम निकाल कर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाई जाती है। इसी प्रकार हन महों के व्यय में, मूलधन तथा विविध कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़र्च न दिखा कर केवल इनमें जगी हुई पूँजी का सूद ही दिखाया जाता है। हिसाब की इस पद्धति से वार्षिक सरकारी आय-व्यय दो-दो अरब रुपए के जगभग रह जाता है। यह अंक भी काफ़ी बड़े हैं। इनसे पाठकों को इस देश के राजस्व अर्थात् सरकारी आय-व्यय के महत्व का अनुमान सहज ही हो सकता है। इस महत्व के कारण ही, हम अपनी 'भारतीय शासन' पुस्तक में उसके प्रथम संस्करण के समय (सन् १९१५ ई०) से ही इस विषय का समावेश करते आ रहे हैं। परंतु ऐसे महत्वपूर्ण विषय का समुचित विवेचन उसके एक परिच्छेद में नहीं हो सकता। इस विचार से सन् १९२३ ई० में हमने 'भारतीय राजस्व' नामक पुस्तक पाठकों की मेंट की। उसका साधारणतः अच्छा स्वागत हुआ, कई शिक्षासंस्थाओं में वह पाठ्य-पुस्तक के रूप में काम में आई गई, संयुक्त-प्रांत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत होकर वह बहुत से ज़िला-बोर्डों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा मँगाई गई।

(७)

इस पुस्तक में सिद्धांत को विशेष स्थान दिया गया है, और नित्य प्रति बदलते रहनेवाले अंकों का केवल उतना ही उल्लेख किया है, जितना विषय को समझने के लिए आवश्यक है। पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्द दे दिए गए हैं। आशा है कि पाठक इस पुस्तक का बैसा ही स्वागत करेंगे, जैसा कि वे राजनीति और अर्थशास्त्र संबंधी मेरी अन्य विविध कृतियों का करते रहे हैं। इस पुस्तक की रचना में मुझे अपने सुहृद् प्रोफेसर दयाशंकर जी द्वारे से विचार-विनिमय की बहु-सूख्य सहायता मिली है, तदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

भारतीय ग्रंथमाला	}	विनीत भगवान दास केला
वृदावन		

विषय सूची

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१ विषय-प्रबोध
२ राजस्व व्यवस्था	...	१४
३ व्यवस्था का सिद्धांत और वर्गीकरण	...	२६
४ देश-रक्षा का व्यवस्था	...	४७
५ शांति और सुभवस्था का व्यवस्था	...	५३
६ जन-हितकारी कार्यों का व्यवस्था	...	६०
७ व्यवसायिक कार्यों का व्यवस्था	...	६७
८ आय के साधन	...	७०
९ कर संबंधी सिद्धांत	...	७७
१० करों के भेद	...	८५
११ प्रत्यक्ष करों की आय	...	९४
१२ परोक्ष करों की आय	...	९९
१३ फीस की आय	...	१०८
१४ व्यवसायिक आय	...	११२
१५ स्थानीय राजस्व	...	११७
१६ सार्वजनिक ऋण	...	१३०
परिशिष्ट (१) सरकारी आय व्यवस्था	...	१४१
(२) पारिमाणिक शब्द		१४४

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

प्राक्थन—राजस्व का अर्थ राज-धन या राज्य का आय-व्यय है। कुछ लोखक राजस्व से विशेषतया आय का ही अभिप्राय लेते हैं। परंतु हम इस के विवेचन में आय और व्यय दोनों का ही विचार आवश्यक समझने वाले अंशकारों से सहमत हैं। राजस्व विषय का विचार करते समय हम पहले ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि देश में समाज संगठित है और वहाँ शासन-प्रबंध की व्यवस्था है।

राज्य-प्रबंध की व्यवस्था—यदि देश में उचित राज्य-प्रबंध न हो, हर समय चोर, डाकुओं, छत्ती, कपटियों तथा बलवानों के अलाचारों का भय हो, तो धन की रक्षा का विश्वास न होने से धन बहुत कम उत्पन्न किया जा सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र झार्च कर ढालने तथा किपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी। बचत को धन की उत्पत्ति के काम में नहीं लगाया जायगा। इस प्रकार भूल-धन अर्थात् पूँजी का हर दम दिवाला निकला रहेगा। इस लिए आर्थिक दृष्टि से देश में राज्य-प्रबंध की बड़ी आवश्यकता है।

राज्य के कार्य; देश-रक्षा—राज्य का सुख्य कार्य देश के बाहरी शत्रुओं को हटाना, और देश में शांति और सुप्रबंध रखते हुए जनता की सुख-समृद्धि में सहायक होना है। इस के लिए राज्य को फौज, पुकिस तथा अन्य कर्मचारी रखने होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राज्य के बाहर की रक्षा के लिए ही फौज नहीं रखता, वरन् संसार

के अन्य देशों में अपनी मान-मर्यादा की बुद्धि के लिए भी रखता है। खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है।

प्राचीन काल में कुछ 'धर्म-ग्रेमी' देशों ने तत्त्वावार के बल से 'धर्म' का प्रचार किया था। अब प्रबल राष्ट्र इस बात का उद्योग कर रहे हैं कि उभाति काल के भयंकर शख्सों से सुसज्जित हो दूसरे देशों में अपनी 'सम्यता' का प्रचार करें, अथवा उन्हें अपने व्यापार के लिए प्रभाव-चेत्र बनावें। निदान, बहुत कम देशों का, और बहुत थोड़ा धन आत्म-रक्षा में अब्य छोता है। अधिकांश देशों का, और अधिकांश धन दूसरों को परतंत्रता के पाश में जकड़ने के लिए खर्च किया जा रहा है। विशेष दुख की बात तो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धांत-सा ही हो चक्का है कि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। इस प्रकार शांति की आड़ में युद्ध की तैयारी करना एक साधारण बात है। प्रत्येक देश अपने पड़ोसी से भयभीत हो कर उस से अधिक सुदृढ़ सेना रखना चाहता है, तो हर एक का सैनिक अब बराबर बढ़ने वाला ही ठहरा। अब यह निश्चय करना ही कठिन हो जाता है कि आत्म-रक्षा के लिए कितना अब्य करना उचित है, और किस मात्रा से अधिक होने पर उसे अनुचित कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् ने किसी देश की कुछ आय का अधिक से अधिक बीस फ़ी सदी सेना में अब्य करना उचित ठहराया है, परंतु इस पर शांति से विचार ही कौन करता है? विदेशी सरकारें तो अपने अधीन देशों के दरिद्र होते हुए भी उन की केंद्रीय और प्रांतीय आय के योग का पच्चीस, तीस, या पैंतीस फ़ी सदी भाग तक सेना में खर्च कर डालती हैं। सुलिस का खर्च अलग रहा।

शांति और सुब्यवस्था—आहरी आक्रमण से रक्षा करने के अतिरिक्त सरकार का कार्य देश के भीतर शांति और सुब्यवस्था रखना है। नागरिकों के पारस्परिक अव्यवहार आदि के भिन्न-भिन्न विषयों के

क्षानून बनाए जाते हैं, और, नागरिक इन क्षानूनों पर अमल करें, इस बात की व्यवस्था की जाती है। जो व्यक्ति क्षानूनों को भंग करते हैं उन की पिरफ़तारी के लिए पुकास का, तथा उन के संबंध में विचार करने के लिए न्यायालयों का, तथा उन्हें दंड देने के लिए जेलों का प्रबंध किया जाता है।

जन-हितकारी कार्य—नागरिकों की नैतिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उन का आज्ञानांवकार दूर किया जाय, उन्हें तरह-तरह की शिक्षा दी जाय, उन के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के लिए विविध आयोजन किए जायें। उन्हें खेती तथा उद्योग-धौधों की विविध सुविधाएं दी जाये। उन के कल्य-विकल्य आदि के लिए सुदृढ़ और टकसाल आदि की भी व्यवस्था होनी आवश्यक है। सरकार के इन कार्यों में जन-हितकारिता का विचार सुख्य रहता है। इस प्रकार के कुछ अन्य कार्य भूमार्म, बनस्पति, जीवन-विद्या, मनुष्य-नाणना, अकाल-रक्षा हैं। इस के अतिरिक्त कहीं-कहीं राज्य बेकार और बीमार नागरिकों की आर्थिक सहायता का प्रबन्ध करता है, तथा छुड़ापे की पेन्शन की भी व्यवस्था करता है।

व्यवसायिक कार्य—सरकार जनता के लिए बड़ी-बड़ी पूजी लगा कर कुछ ऐसे कार्य सी करती है, जिन्हें नागरिकों को अलग-अलग करने की सुविधा नहीं होती। इन कार्यों का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि इन का मार्च उन से ही निकल आए और थोड़ा-बहुत लाभ हो तो वह अन्य कार्यों में लगाया जा सके। उदाहरणार्थ देश में रेल, द्वाक, तार का प्रबंध करना, आबपाशी के लिए नहरें निकालना, जंगलों, खानों आदि की रक्षा और सम्यक् उपयोग करना आदि।

भारतवर्ष में राज्य के कार्य—देश-रक्षा तथा शांति और सुख-वस्थ के अतिरिक्त, राज्य के अन्य कार्य भिज्ज-भिज्ज देशों की

परिस्थिति या आवश्यकतानुसार पृथक्-पृथक् होते हैं। तथापि इस में सदैह नहीं कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के कार्य अधिकाधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। रेज़, तार, डाक, आदि पार-स्परिक व्यवहार के नए साधन अब बहुत से देशों में राज्य के अधीन हैं। भारतवर्ष में तो इन कामों के अतिरिक्त जंगल, और नहर का प्रबंध भी राज्य ही करता है, वही अफ्रीम आदि मादक पदार्थों तथा नमक की उत्पत्ति का नियंत्रण करता है, और इन की बिक्री के लिए लेका देता है; एक बड़े जमीदार को तरह यहाँ मालगुजारी बसूल करता है, और वही शिक्षा, स्वास्थ्य, और न्याय आदि विभागों का प्रबंध करता है। इस से अनुमान किया जा सकता है कि राज्य की शक्ति हमारे आंतरिक जीवन पर कितना प्रभुत्व रखती है, और हम राज्य के कितने अधीन हैं।

राजस्व-शास्त्र—राजस्व-शास्त्र में सरकार के आय-व्यय तथा उस से संबंध रखनेवाली बातों पर शास्त्रीय-दृष्टि से विचार किया जाता है। सरकार से यहाँ मतलब केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों से ही नहीं, म्युनिसिपैलिटियों, जिला-बोर्डों और पोर्ट-ट्रस्टों आदि स्थानीय संस्थाओं से भी है। अतः राजस्व-शास्त्र में उक्त सब संस्थाओं के आय-व्यय का विवेचन होता है। आज-कल राजस्व का विषय बहुत महस्व-पूर्ण हो गया है। समय-समय पर विविध विचारकों ने इस के संबंध में भाँति-भाँति के विचार तथा तर्क-वितर्क उपस्थित किए हैं, यद्यपि अभी तक भी कुछ व्यौरेवार तथा सूचम बातों में मत-भेद पाया जाता है, पर मुख्य-मुख्य बातों में एक सर्व-सम्मत स्वरूप प्राप्त किया गया है, और इस विषय का एक स्वतंत्र शास्त्र हो गया है।

राजस्व-शास्त्र के भाग—इस शास्त्र के चार भाग होते हैं:—

- १—राज्य का व्यय
- २—राज्य की आय
- ३—राज्य का ऋण
- ४—राजस्व-व्यवस्था

इन में से प्रथम भाग में उन नियमों या कानूनों का विचार किया जाता है, जिन के अनुसार सरकार द्वारा होने वाले कार्यों पर खर्च को जाने वाली भिज्ञ-भिज्ञ महों की रकमों के परिमाण का निश्चय किया जाता है।

दूसरे भाग में उन बातों का विचार किया जाता है, जिन के अनुसार सरकार अपने लिए आवश्यक खर्च की रकम जनता से प्राप्त करती है। इस में करों का स्वरूप आदि भी सम्मिलित है।

तीसरे भाग में इस बात का विचार होता है कि जब राज्य का कार्य अपनी आय से न हो सके, तथा उसे और रुपयों की आवश्यकता हो तो उसे किस प्रकार किन नियमों को ध्यान में रखते हुए ऋण को लुकाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

चौथे भाग में इस बात का विचार होता है कि आय-व्यय का अनुभान-पत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है, किस प्रकार वह जनता के प्रति-निवियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा आय-व्यय का हिसाब किस प्रकार रखा जाता है। स्मरण रहे कि आज-कल सरकारों का व्यय तथा आय प्रायः नक्कद रूपए में होती है, जिन्स में अर्थात् अन्य पदार्थों में नहीं होती।

यद्यपि राजस्व के संबंध में उस की व्यवस्था का विचार सब से पीछे आता है तथापि सुविधा की दृष्टि से हम उस का विचार सब से प्रथम अगले परिष्कृद में ही करेंगे।

दूसरा परिच्छेद

राजस्व-व्यवस्था

राजस्व-व्यवस्था-संबंधी सिद्धांतों को समझने के लिए किसी देश विशेष में उन सिद्धांतों के व्यवहार के उदाहरणों पर भी साथ साथ विचार करना उपयोगी होता है। भारतीय पाठकों के लिए भारतीय राजस्व-व्यवस्था जानना विशेष रुचिकर होगा, अतः इस परिच्छेद में इसी देश की राज्य-व्यवस्था को लक्ष्य में रख कर विचार किया जाता है।

आयव्यय-अनुमानपत्र—राज्य-व्यवस्था-संबंधी एक मुख्य ज्ञातव्य विषय आयव्यय-अनुमानपत्र है। यह वह नक्शा होता है, जिस में आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय व्यौरेवार लिखी जाती है। इस के अतिरिक्त, इस में गतवर्ष की आय और व्यय के वास्तविक अंक दिए जाते हैं, और प्रतिवर्ष वर्ष की आय-व्यय के नौ-दस महीने के वास्तविक, और शेष दो तीन महीनों के अनुमानित अंक दिए जाते हैं। यह इस लिए किया जाता है कि नुज़ान करने में सुविधा हो। सरकारी हिसाब के लिए किसी वर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष की दृक्तीस मार्च तक एक साल समझा जाता है।

आयव्यय-अनुमानपत्र के विषय—सन् १९१६ई० के शासन-सुधारों के बाद से ग्रांतीय सरकारों के आय-व्यय के अंक केंद्रीय सरकार के बजट में नहीं रखे जाते। प्रत्येक ग्रांत अपने आय-व्यय का अनुमान पत्र अलग-अलग बनाता है। इस प्रकार सभी ग्रांति भारत के लिए एक बजट न हो कर कहीं बजट होते हैं।

केंद्रीय सरकार के आयब्यय-अनुमानपत्र में निश्चित बातें रहती हैं:—

१—सिविल विभागों का आयब्यय-अनुमान; तथा चीफ कमिशनरों के प्रांतों का आयब्यय-अनुमान (ये प्रांत केंद्रीय सरकार द्वारा ही शासित होते हैं।)

२—उन विभागों के आयब्यय का अनुमान, जो समस्त देश के लिए आवश्यक हैं, यथा, फौज, रेल, डाक, तार।

३—इंडिया आफिस के आयब्यय का अनुमान।

४—भारतवर्ष के हाई कमिशनर संबंधी आयब्यय का अनुमान।

आयब्यय-अनुमानपत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है?— प्रायः अगस्त या सितंबर के महीने में ग्रन्थेक प्रांत में मिशन-मिशन विभागों के मुख्य अधिकारी अगले वर्ष की आय और ब्यय का अनुमान प्रांतीय सरकार के पास भेज देते हैं। खर्च को दो भागों में बाँट कर दिखाया जाता है:—

१—जो खर्च साधारणतया सदैव होता रहता है, और सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन।

२—जो खर्च नया होता है, अर्थात् उस वर्ष विशेष करना होता है। मिशन-मिशन विभागों से प्राप्त हुए नक्शों को पुकारित कर के प्रांतीय सरकार के संबंधित सदस्य सरकार द्वारा स्वीकृत खर्च का एक नक्शा बना देते हैं। परचात्, अर्थ-सदस्य इन सब नक्शों की अच्छी तरह जोड़ कर के इन सब का एक नक्शा बनाता है। नए खर्च की जो रकमें होती है, वे विचारार्थ अर्थ-समिति में पेश की जाती हैं, जिस में अर्थ-सदस्य के अतिरिक्त व्यवस्थापक-मंडल के कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जब यह समिति इन 'खर्चों' को स्वीकार कर लेती है तो इन के अंक आयब्यय अनुमान-

पन्न की संशोधित प्रति में समिलित किए जाने के लिए युकॉटैट-जनरल के पास भेजे जाते हैं।

यही कार्य-पद्धति केंद्रीय सरकार के आवश्यक-आनुमानपन्न की तैयारी में भी व्यवहृत होती है। प्रांतीय सरकारों तथा केंद्रीय सरकार का बजट-संबंधी यह कार्य लगभग दिसंबर के अंत में हो जाता है।

अब बजट सरकार के सामने पेश होता है। अगर आय कम हो तो कर बढ़ाने के नए उपाय सोचे जाते हैं। इन उपायों को विस्तृत गुप्त रक्षा जाता है। विचार होने के बावजूद बजट की नई संशोधित प्रति लगभग फ्रेवरी के आरंभ में तैयार हो जाती है। तदनंतर बजट आवस्थापक-मंडल में पेश होता है। इस में, नए और पुराने सब कर रहते हैं। अर्थ-सदस्य भागण दे कर तमाम बजट को समझाता है, और आवश्यकताजुसार नए करों को लगाने तथा पुराने करों को हटाने का औचित्य भी बताता है।

केंद्रीय बजट, केंद्रीय आवस्थापक-मंडल में, तथा प्रांतीय बजट संबंधित प्रांत के आवस्थापक-मंडल में फ्रेवरी के अंतिम था सार्व के प्रथम सप्ताह में उपस्थित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार का रेखांक बजट लगभग २० फ्रेवरी को पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट की महों में गवर्नर-जनरल की सिफारिश बिना लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

भारतीय आवस्थापक-मंडल—भारतीय राजस्व-संबंधी सुधारों के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक है कि भारतीय और प्रांतीय आवस्थापक-मंडलों का संगठन किस प्रकार है। इस विषय का सविस्तर वर्णन लेखक की 'भारतीय शासन'-नामक पुस्तक में किया गया है संतुष्ट में यह कहना पर्याप्त होगा कि गवर्नर-जनरल के अतिरिक्त, भारतीय आवस्थापक-मंडल में दो भाग हैं—

१—राज्य-परिषद्, अर्थात् कौंसिल आवृ स्टेट ।

२—भारतीय व्यवस्थापक-समा, अर्थात् लेजिस्लेटिव प्रैसेंबली ।

राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होते हैं, जिन में ३३ निर्वाचित और २७ नामज्ञद होते हैं । व्यवस्थापक-समा में सदस्यों की सख्ता १४० निर्वाचित की गई है, जिन में ४० नामज्ञद होने चाहिए । इस समय इस समा में १०३ निर्वाचित और ४१ नामज्ञद, कुल १४४ सदस्य हैं । सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दोनों समाएँ उसे मूल-रूप में अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार न कर लें ।

सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार, संघ का निर्माण हो जाने पर भारतवर्ष के केंद्रीय कानून बनानेवाली संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक मंडल (फ्रीडरेक लेजिस्लेटर) होगा । इस में दो समाएँ होंगी—राज्य-परिषद् और संघीय व्यवस्थापक-समा (फ्रीडरेक प्रैसेंबली) । राज्य परिषद् में २६० सदस्य होंगे—१५६ ब्रिटिश भारत के, और १०४ देशी राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी । इस के एक तिहाई सदस्य प्रति अंतीसरे वर्ष चुने जाया करेंगे । ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १५० जनता द्वारा निर्वाचित, और ६ नामज्ञद होंगे । संघीय व्यवस्थापक-समा में ३७५ सदस्य होंगे—२५० ब्रिटिश भारत के, और १२५ देशी राज्यों के । ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा—वह प्रांतों की व्यवस्थापक-समाजों (प्रैसेंबलियों) के सदस्यों द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा । दोनों समाजों अर्थात् राज्य-परिषद् और संघीय व्यवस्थापक-समा में देशी राज्यों की ओर से लिए जानेवाले सदस्य जनता से निर्वाचित न हो कर नरेशों द्वारा नियुक्त हुआ करेंगे ।

प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल—सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार अब ११ प्रांतों में व्यवस्थापक-समाएँ हैं । इन में यथापि नाम-

ज्ञान सदस्य नहीं होते, तथापि सांप्रदायिकता के आधार पर जुने सदस्य पर्याप्त सख्ता में रहते हैं। भिन्न-भिन्न प्रांतों की व्यवस्थाएँ सभाओं में कुछ सदस्यों की संख्या हस्त प्रकार है :—

मद्रास २१८; बंबई १७४; बगाल २५०; संयुक्तप्रांत २५;
पंजाब १७४; बिहार १५२; मध्यप्रांत घरार ११२; आसाम १५;
पश्चिमोत्तर भीमप्रांत ४०; उडीसा ६०; सिंध ६०।

भारतवर्ष में संयुक्त-निर्वाचन प्रथा न हो कर पृथक्-निर्वाचन-पद प्रचलित है। उस के अनुसार यहाँ १५ प्रकार के निर्वाचक संघ हैं—

साधारण; सिल्ह; मुसल्लिम; यैंगलो इंडियन; यूरोपियन; भारी
ईसाई; व्यापार, उद्योग, और सेनियर; ज़मीदार; विश्वविद्यालय; ३
खियाँ (साधारण); खियाँ (सिल्ह); खियाँ (मुसल्लमान); खियाँ (यैंग;
इंडियन); खियाँ (भारतीय ईसाई) ।

पहले सब गवर्नरों के प्रांतों में एक-एक ही व्यवस्थापक-समा॒
श्व सन् १६३८ ई० के विघान के अनुसार ६ प्रांतों में दूसरी र
आर्थिक व्यवस्थापक-परिषदें हैं। इन के कुल, आधिक से आधिक, सब
की संख्या इस प्रकार है—

मदरास २६; बंबई ३०; बंगाल ६८; संयुक्तप्रांत ६०; विहार आसाम ३३।

ये परिषदें स्थायी संस्थापृष्ठ हैं, प्रथम संगठन के बाद किसी भी इन के नए सदस्यों की संस्था पुक-तिहाई से अधिक नहीं होती। मर्यादित परिषद् में कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा नामज्ञाद होते हैं। बंगाल विहार की व्यवस्थापक-परिषदों में क्रमशः २७ और १२ सदस्य प्रांतों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा—आप्रत्यक्ष-रीति से उन्ने हप्त होते

भारतीय व्यवस्थापक-समा में छव्य की स्थीकृति—बजट निय

जुसार पेश किए जाने के दिन, उस की गति व्यवस्थाभंडल के प्रत्येक सदस्य की मेज पर रख दी जाती है। सदस्य मिशन-निष्ठा खर्चों का विचार करते हैं। यदि उन्हें किसी भइ के स्वर्च में कुछ कमी की सूचना देनी हो तो वे उस सूचना को संकेटी के पास मेज देते हैं। बजट कानी यहाँ होता है, वह समा में पढ़ा नहीं जाता। उसे व्यापस्थित करते सभी अर्थ-मंत्री उस के संबंध में भाषण करता है। वह नहीं उन्होंको सुन-जाता है। दोनों दिन के बाद बजट पर सामाजिक बहस शुरू होती है। इन दिनों में सदस्य बजट के समिति-सम पर अनोन्य सम्मति दे देते हैं। अंत में अर्थ-सदस्य आलोचनाओं का जवाब दे कर बहस समाप्त करता है। इस से उसे व्यवस्थापक-भंडल का लख जात्यन हो जाता है। अब बजट पर मत देने की बात आती है। कई विषय पूँछे होते हैं, जिन पर मन किए जाने का नियम नहीं है। ये प्रियों पर प्राप्त प्रक साह तक भत लिए जाते हैं।

निष्ठानिवित विभागों में त्यथा लगाने के विषय में कौन-सिल्ल-शुक गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा के बोट (मन) के लिए नहीं रखते जाते, न कोई सभा उन पर बाद-विवाद कर सकती है, लव तक गवर्नर-जनरल इस के लिए आज्ञा न दे देः—

१—शृण का सूद।

२—ऐसा स्वर्च, जिस की रकम कालून से निवारित हो।

३—उन लोगों का पेशन या तनाव्याहौ, जो सन्नाद् या भाल-मंत्री द्वारा, या सन्नाद् की स्वाकृत से नियुक्त किए गए हों। चौप्यु कमिनरों या जुडिशिल कमिनरों का चेतन।

४—वह रकम जो सन्नाद् को देयी राज्यों संबंधी कार्य के स्वर्च के उपलब्ध में दी जाती हो।

५—किसी प्रांत के पृथक् किए हुए (पञ्चकलयूडेड) लोगों की शासन-संबंधी सहायता ।

६—ऐसी रकम जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में खर्च करे, जिन्हें उस को अपनी मर्जी से करना आवश्यक हो ।

७—वह खर्च जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने (क) धार्मिक (ख) राजनैतिक या (ग) रक्षा (सेना-संबंधी) ठहराया हो ।

इन मर्जों को छोड़ कर लघु के अन्य विषयों के खर्च के लिए कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के अन्य प्रस्ताव संबंधित सरकारी सदस्य द्वारा भारतीय व्यवस्थापक-सभा के मत के बास्ते, माँग के स्वरूप में, रखे जाते हैं। उस के सदस्यों को अधिकार है कि वह किसी माँग को बढ़ाने का प्रस्ताव करें। कोई सदस्य किसी मह के खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि खर्च करने वाले अधिकारी ही इस बात का अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि किसी मह में अधिक से अधिक कितना खर्च किया जाना उचित है। जब किसी मह में केवल एक रुपया कम करने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसे सांकेतिक कमी (टोकेन कट) कहते हैं। इस का अभिप्रायः उस विभाग की कार्य-प्रणाली के संबंध में नियंत्रक प्रस्ताव करना होता है, अथवा यह भी हो सकता है कि उस मह में खर्च बहुत कम है।

बजट अधिकेशन में पहले किसी विभाग की आलोचना या निंदा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई सांकेतिक कटौतियों पर विचार होता है। पश्चात् अन्य कटौतियों का विचार हो कर एक-एक मह के खर्च की माँग की जाती है। बजट की बहस के लिए नियित किए हुए साह के अंतिम दिन के पाँच बजे, कटौतियों की समाप्ति (गिर्कोटिन) हो जाती

^१ पृथक् लोगों के संबंध में आगे, प्रांतीय मर्जों के प्रसंग में लिखा गया है।

है। इस के बाद किसी कटौती पर बहस नहीं होती। सदस्य के आग्रह पर कटौती की रकम पर भत लिए जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो उस मद की रकम को उस में आवश्यक कमी कर के मंजूर किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य घोड़ी देर में ही निपटा लेने का नियम है। इस लिए महों का क्रम निश्चय करने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खास-खास विषयों का विचार आरंभ में ही हो सके।

बजट राज्य-परिषद् में ही पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी माँग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल सारतीय व्यवस्थापक-सभा को है। राज्य-परिषद् अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की आर्थिक नीति या साधनों को आलोचना कर सकती है।

प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों में व्यय की स्वीकृति—प्रांतीय बजट-संबंधी कार्य-पद्धति उसी प्रकार की है, जैसे केंद्रीय बजट की। उस की भत दी जानेवाली और भत न दी जानेवाली महों में, केंद्रीय बजट की उपर्युक्त महों से अंतर रहता है। प्रांतीय बजट का भरन केवल गवर्नरों के प्रांतों में ही रहता है (अन्य अर्थात् चीफ कमिशनरों के प्रांतों संबंधी सूच तथा आय का केंद्रीय बजट में समावेश हो जाता है।) किसी प्रांत का बजट वहाँ की प्रांतीय व्यावस्थापक-सभा में (और जिस प्रांत में व्यावस्थापक-परिषद् हो, उस प्रांत में व्यवस्थापक-परिषद् में भी) उपस्थित किया जाता है। बजट में दो प्रकार की महों की रकमें पृथक्-पृथक् दिखाई जाती हैं—

- (१) जिन पर प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा का भत लिया जाता है और
- (२) जिन पर भत नहीं लिया जाता।

व्यय की निज्ञक्षित महों पर प्रांतीय व्यावस्थापक-सभा को भत देने का अधिकार नहीं है:—

(क) गवर्नर का वेतन और भत्ता, तथा उस के कार्यालय-संबंधी निर्धारित व्यय ।

(स) प्रांतीय अग्नि-संबंधी व्यय, सूद आदि ।

(ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट-जनरल का वेतन और भत्ता ।

(घ) हाई कोर्ट के नज़ों का वेतन और भत्ता ।

(च) पृथक् देशों के शासन-संबंधी व्यय ।

(छ) अदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय ।

(ज) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के ज्ञानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो । [इस के अंतर्गत उस सब कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इंडियन सिविल सर्विस, या इंडियन पुलिस सर्विस आदि के कर्मचारी ।]

कोई प्रस्तावित व्यय उक्त महों में से किसी में आता है या नहीं, इस का निर्णय गवर्नर अपनी मर्जी से करता है । (क) को छोड़ कर शेष महों पर व्यवस्थापक-मंडल में वादानुवाद हो सकता है । उपर्युक्त (क) से (ज) तक की महों को छोड़ कर अन्य महों के झँचे के प्रस्ताव व्यवस्थापक-समा के सदस्यों के मत के लिए माँग के रूप में रखते जाते हैं । इस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होती है जैसी केंद्रीय बजट के संबंध में पहले बता आए हैं ।

आय-संबंधी प्रस्तावों पर विचार—कर-संबंधी वातें प्रस्तावों के रूप में तैयार की जाती हैं । इसे कर-संबंधी प्रस्तावपत्र (फ्राइनैस बिल) कहते हैं । निम्नलिखित प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव केंद्र में गवर्नर-जनरल और प्रांतों में गवर्नर की सिफारिश के बिना नहीं किया जाता और वह व्यवस्थापक-परिषद् में नहीं रखा जाता—

(क) जिस में कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो ।

(ख) जिस में सरकार द्वारा उपया उधार लेने की व्यवस्था हो ।

केंद्रीय कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है । पहले इसे उपस्थित करने के लिए भारतीय व्यवस्थापक सभा की अनुमति ली जाती है । यदि भारतीय व्यवस्था-पक सभा इसे इस पहली मंजिल में ही रद्द कर दे तो गवर्नर-जनरल यह तसदीक करता है कि देश की शांति और सुव्यवस्था के लिए इस का उपस्थित किया जाना आवश्यक है । पहले कहा जा सकता है कि राज्य-परिषद् को उच्च-संबंधी माँगों पर मत देने का अधिकार नहीं; परंतु उसे कर-संबंधी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार प्राप्त है । जब भारतीय व्यवस्थापक-सभा इस प्रस्ताव को पहली मंजिल में ही रद्द कर देती है तो राज्य-परिषद् से इसे उपस्थित किए जाने की अनुमति माँगी जाती है; वह तो दे ही देती है ।

कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को उपस्थित किए जाने की अनुमति मिल जाने के बाद वह भारतीय व्यवस्थापक-सभा में पेश होता है और उस की एक-एक धारा या श्रेणी पर बहस होती है और उसे पृथक्-पृथक् स्वीकार किया जाता है । कोई सदस्य वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकता; हाँ, वह उसे घटाने का प्रस्ताव कर सकता है । जब उक्त प्रस्ताव के विविध अंशों पर विचार तथा संशोधन आदि हो चुकता है तो इकहुँ पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है । भारतीय व्यवस्थापक-सभा में स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को राज्य-परिषद् में भेजा जाता है, वहाँ उस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होती है जैसी भारतीय व्यवस्थापक सभा में । संशोधित प्रस्ताव-पत्र पर मत लिए जा कर उसे स्वीकार किया जाता है । फिर यह गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । उस की स्वीकृति मिल जाने पर वह क्रान्ति बन

जाता है और उस के अनुसार कर बदल किए जाते हैं।

तत्पश्चात् यदि वर्ष के अंतर्गत सरकार को यह ज्ञात हो कि उक्त करों से उस का झार्च नहीं चल सकता तो वह कर-संबंधी पूरक प्रस्ताव सिरबंद या अक्तूबर में उपस्थित कर सकती है।

किसी प्रांत के कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र के विषय में उस प्रांत के गवर्नर को वैसा ही अधिकार है जैसा केंद्र में गवर्नर-जनरल को।

गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के अधिकार—भारतवर्ष में केंद्रीय बजट के संबंध में गवर्नर-जनरल को तथा प्रांतीय बजटों के संबंध में गवर्नरों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं। प्रथम तो उन की सिफारिश के बिना, क्रमशः केंद्र में, तथा प्रांतों में किसी काम के लिए रुपए की माँग का प्रस्ताव ही नहीं किया जा सकता। पुनः यदि भारतीय व्यवस्थापक सभा किसी की माँग स्वीकार न करे या घटा कर स्वीकार करे और इस से गवर्नर-जनरल की सम्मति में उस के उत्तरदायिक को पूरा करने में बाधा उपस्थित हो या उक्त झार्च देश की शांति और सुधारवस्था के लिए आवश्यक हो तो वह अपने विशेषाधिकार से इस की हुई या घटाई हुई माँग की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार का अधिकार प्रांतों में गवर्नरों को है। यह तो व्यय-संबंधी बात हुई। आय के विषय में भी ऐसी ही अवस्था है। भारतीय व्यवस्थापक-सभा या प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में कर लगाने या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव या संशोधन क्रमशः गवर्नर-जनरल और गवर्नर की सिफारिश बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता। और उक्त सभाओं में कर-संबंधी कोई प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर भी उक्त अधिकारी आवश्यक समझे तो उसे अपने विशेषाधिकार से स्वीकार कर सकते हैं।

व्यय तथा आय के संबंध में, गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के इन अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक-मंडळ तथा

प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों का विशेष महत्व नहीं रहता।

आयव्यय-संबंधी कार्य यथा-समय समाप्त करने के संबंध में भारतीय व्यवस्थापक-सभा के नियम गवर्नर-जनरल, इस सभा के सभापति के परामर्श से, और राज्य-परिषद् के नियम उस सभा के सभापति के परामर्श से, बनाता है। इसी प्रकार प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा और व्यवस्थापक-परिषद् के नियम गवर्नर बनाता है।

आय के साधनों का केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में विभाजन : नवीन विधान से पहले—मांटफोर्ड सुधारों (१९१९ ई०) से पूर्व सरकारी आय के कुछ साधन केंद्रीय, और कुछ प्रांतीय थे, तथा कुछ साधन केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों में विभक्त थे। मांटफोर्ड सुधारों से निश्चय हुआ कि भारत सरकार के संबंध से प्रांतीय सरकारों को, प्रबंध करने में जो व्यय करना पड़ता है, उस का एक पक्ष अंदाज़ किया जाय। फिर, जिन महों की आमदनी से यह खर्च चल जाय, वे भारत सरकार के अधीन कर दी जायें। बाकी जितनी आमदनी बचे, वह प्रांतीय सरकारों के हाथ में रहे, और प्रांतीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर रहे। निदान, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की आय एवं व्यय की महें चिल्कुल पृथक् हों। इस के फल-स्वरूप ज़मीन की आमदनी, आबासी की आमदनी, आबकारी, और अदालती स्थाप की आमदनी प्रांतीय की गई। स्थाप से होनेवाली साधारण (व्यापारिक आदि) आमदनी तथा इनकम-टैक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय रक्खी गई। ऐसी कोई मह न रही, जिस में भारत सरकार और किसी प्रांतीय सरकार, दोनों का भाग हो।

आय के सब साधन पृथक्-पृथक् हो जाने पर भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमान में आमदनी की कमी होना स्वाभाविक था। इस की पूर्ति के लिए यह तजवीज़ की गई कि प्रांतीय सरकारें भारत सरकार को

मिज़-मिज़ महों का भाग देने के बदले अपनी बढ़ती हुई कुल आय में से एक निर्धारित हिस्सा है। इस हिस्से की रकमें भेस्टन-कमेटी द्वारा निश्चय की गई है। सन् १९२७ है० में प्रांतीय सरकारों से केंद्रीय सरकार को उपर्युक्त आय प्राप्त होना चाह द्वारा गया, परंतु फिर भी विभाजन ठीक नहीं रहा; कारण कि प्रांतीय सरकारों की आवश्यकताएँ बहुत थीं और उन की बर्तमान साधनों से होनेवाली आय भी प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत केंद्रीय सरकार की आवश्यकताएँ सीमित थीं, परंतु उन की आय के साधन ये वृद्धि-मूलक।

नवीन विधान के अनुसार—सन् १९३८ है० के विधान से यह व्यवस्था को गई है कि केंद्रीय सरकार की आय के साधन निज़-लिखित रहें:—आगात-निर्यात-कर, अक्षीम, पेट्रोलियम, तंबाकू, और अन्य देशी माल पर कर, नमक, आय-कर, डाक, तार, बेतार का तार, धनि-वित्तार, (ब्राडकास्टिंग), कारपोरेशन-कर। इन करों को केंद्रीय सरकार लगापूरी, तथा बसूल करेगी।

प्रांतीय सरकारों की आय के वे साधन जिन्हें वे स्वयं बसूल करती हैं, निज़-लिखित हैं:—मूमि-कर, मालगुजारी, कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार-कर, विलासिता (खुआ, सड़ा आदि)-कर, आबकारी, अदालतों की फ़ीस, ज़ंगल, आबपाशी, नदियों या नहरों के रास्ते जाने-वाले यात्रियों तथा सामान पर कर। इन के अतिरिक्त प्रांतीय आय के निज़-लिखित साधन और भी हैं:—कृषि-भूमि को छोड़ कर, अन्य 'संपत्ति पर उत्तराधिकार-कर, और-अदालती स्वांप, रेल या वायुयान से जानेवाले यात्रियों तथा सामान पर टरमिनल टैक्स और रेल के किराये-भाड़े पर कर। इन करों की आय को (चीफ़ कमिशनरों वाले प्रांतों से मिलनेवाले भाग को छोड़ कर शेष) विविध प्रांतों

में विभक्त करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है। केंद्रीय सरकार को आवश्यकता हो तो वह इन महों पर अतिरिक्त कर लगा कर इन करों से होनेवाली आय स्वयं अपने लिए ले सकती है।

सर आटो निमेयर की रिपोर्ट के आधार पर निश्चय किया गया कि छूट के निर्यात-कर का ६२ $\frac{2}{3}$ प्रतिशत भाग उन प्रांतों को दिया जाय, जहाँ छूट पैदा होती है। आय-कर का ५० प्रतिशत भाग प्रांतों में नीचे लिखे प्रतिशत के अनुसार ५ वर्ष बाद उस समय से विभाजित किया जाय, जब रेल से क्राफ्टी आमदनी होने लगे—

बंबई १०; बंगाल १०; मद्रास ७ $\frac{2}{3}$; संयुक्त प्रांत ७ $\frac{2}{3}$; बिहार ५; पंजाब ४; मध्य प्रांत २ $\frac{2}{3}$; आसाम १; उड़ीसा १; सिंध १; पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत $\frac{1}{2}$ फ्री सदी।

बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर प्रांत को भारत सरकार का जो कङ्गा ३१ मार्च सन् १९३६ तक देना था, वह मंसूख कर दिया गया, और इसी प्रकार मध्य प्रांत का ३१ मार्च सन् १९३६ तक का बन्ड-चति-पूर्ति का कङ्गा तथा सुधार के पहिले का २ करोड़ रुपयों का कङ्गा मंसूख कर दिया गया।

केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को १ अप्रैल सन् १९३७ से नीचे लिखे अनुसार आर्थिक सहायता देगी—

संयुक्त प्रांत—२५ लाख रुपए प्रति वर्ष, पांच वर्ष के लिए।

आसाम—३० लाख प्रति वर्ष।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत—१ करोड़ प्रति वर्ष; पांच वर्ष के बाद इस पर पुनर्विचार होगा।

उड़ीसा—प्रथम वर्ष ४७, लाख उस के बाद चार वर्ष तक ४६ लाख प्रति वर्ष और उस के बाद ४० लाख प्रति वर्ष।

सिंध—प्रथम वर्ष १ करोड़ १० लाख, पश्चात् १ करोड़ ५ लाख प्रति वर्ष, दस वर्ष तक।

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ग्रांतियों की आवश्या सुधरने की आशा नहीं है। पहले की भाँति उन की आय के साधन परिसित हैं, और उन की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बड़ी सदृकै बनाने, तथा कृषि और उद्योग-धर्मों की उन्नति करने आदि की आवश्यकताएँ बहुत हैं। जब तक कि शासन-व्यवस्था बढ़ा हुआ है (नवीन विधान से यह और भी बढ़ेगा), ग्रांतीय सरकारों को उपर्युक्त जन-हितकारी कार्यों के लिए यथेष्ट रूपयों का अभाव ही रहेगा। यदि उन्हें आय-कर की पूरी रकम मिल जाती तो वे कुछ स्वावर्द्धी हो सकती थीं; परंतु विधान के अनुसार उन्हें केवल आधा मिलेगा और वह भी पाँच वर्ष बाद, तथा रेल से काफ़ी आमदानी होने पर, जो कि संदिग्ध ही है। वर्तमान आवश्या में यदि ग्रांतीय सरकार जन-हितकारी कार्य कुछ विशेष-रूप से करना चाहेगी तो मंत्रियों को जनता पर कर-भार और भी बढ़ाना पड़ेगा।

राजस्व-विभाग—भारतीय राजस्व-विभाग का आध्यक्ष भारत सरकार का राजस्व-सदस्य होता है। यह विभाग भारत-सरकार का बजट बनाता और ग्रांतीय सरकारों के आय-व्यवस्था का नियोजन करता है। यही सरकारी अफसरों का वेतन, उन की छुट्टी, पेंशन, भत्ता और पुरस्कार आदि विषयों से संबंध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करता है, तथा मुद्रा और टकसाक का प्रबंध करता है। इस की एक शाखा सैनिक व्यवस्था की व्यवस्था करती है।

राजस्व-विभाग में अर्थ-सदस्य (फाइनैस मेंबर) के अतिरिक्त नियन्त्रण-लिखित पदाधिकारी होते हैं—सेक्रेटरी, डिप्टी-सेक्रेटरी, अंडर-सेक्रेटरी, एसिस्टेंट सेक्रेटरी रजिस्ट्रार, सुपरिंटेंडेंट और बहुत से कुर्के।

साधारण विषय का कार्य, उस का सुपरिंटेंडेंट अपनी ज़िम्मेदारी पर कर सकता है। इस विषयों के कागज़ वह सेक्रेटरी की सिफारिश से, अर्थ-सदस्य की अनुमति के लिए रखता है। सेक्रेटरी इस बात का ध्यान

रखता है कि कार्य-संचालन के नियमों का यथावत् ध्यान रखा गया है या नहीं। वह भारत सरकार का सेक्रेटरी होता है, और गवर्नर-जनरल से मिलता रहता है। जिन कागजों के संबंध में अर्थ-सदस्य और सेक्रेटरी में मतभेद होता है वे ही गवर्नर-जनरल के सामने रखे जाते हैं।

इसी प्रकार प्रांतीय अर्थ-विभाग का संगठन और कार्य होता है।

कुल तथा विशुद्ध आयव्यय—बजट-संबंधी एक विचारणीय प्रश्न यह है कि उस में कुल आयव्यय की रक्कमें दिखाई जाय या विशुद्ध आयव्यय की। पद्धति के मेद से विविध रक्कमों के अंकों तथा उन के योग में बहुत अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें प्रति वर्ष लगभग तीन सौ करोड़ रुपया विविध रक्कमों से बसूल कर के विभिन्न कार्यों में खर्च करती हैं, परंतु साधारणतया यही समझा जाता है कि वार्षिक सरकारी आय तथा व्यय लगभग दो-दो सौ करोड़ रुपए हैं; सरकारी हिसाब में आय तथा व्यय के अंतर्गत रक्कमों का योग यही दिखाया जाता है। बात यह है कि रेल, डाक, तार, नहर आदि से जो कुल आय होती है, उस में से इन कार्यों के प्रबंध और संचालन आदि में खर्च होनेवाला रुपया निकाल कर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाई जाती है। इसी प्रकार इन महों के व्यय में, विविध कर्मचारियों के वेतन आदि का खर्च न दिखा कर केवल इन कार्यों में जगी हुई धूँजी का सूद ही दिखाया जाता है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त विविध कार्यों में जो मूलधन लगता है वह भी खर्च की रक्कमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, अलग दिखाया जाता है। हिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आयव्यय दो-दो अरब रुपए के करीब ही रह जाता है। बजट में पूरी रक्कमें दिखाने से व्यवस्था-पक्ष-सभा के सदस्यों के सामने संपूर्ण बातें आ जाती हैं; परंतु रेल आदि व्यवसायिक कार्यों के आयव्यय का पूरा व्यौरा देने से बजट बहुत बढ़ा

हो जाता है और उस का विचार होने में कठिनाई होती है। अतः सुविधा की दृष्टि से हून (व्यवसायिक) कार्यों की विशुद्ध आयव्यय तथा अन्य कार्यों की संपूर्ण आयव्यय दिखाना उत्तम है। बजट की प्रत्येक महसूस और सुनोध होनी चाहिए, और विविध भूमों का वर्गीकरण भी ऐसा होना चाहिए कि सदस्य उन पर सुगमता-पूर्वक अपना मत दे सकें।

अन्य विचारणीय बातें—साधारणतया किसी विशेष व्यय के लिए कुछ विशेष आय पहले से ही निर्धारित कर रखना ठीक नहीं है। जहाँ तक संभव हो समस्त व्यय का समस्त आय से ही मिलान करना चाहिए।

कमी-कमी ऐसा होता है कि सरकार के अधिकार में कुछ रकम रिजर्व-फंड के रूप में छोड़ दी जाती है, जिसे वह आवश्यकता पढ़ने पर खर्च कर सके। इस रकम का हिसाब अगले साल के बजट में दिखाया जाता है। ऐसी प्रथा आपत्ति-जनक नहीं है। रकम कम ही रखनी जाती है, और आकस्मिक कार्य के लिए रखने की आवश्यकता भी होती है।

व्यय का पूरक नक्शा—यदि किसी अकलिप्त घटना के कारण सरकार को व्यय के लिए निर्धारित रकम से अधिक की आवश्यकता हो तो गवर्नर-जनरल भारतीय व्यवस्थापक-मंडल के सामने उस अधिक खर्च को सूचित करनेवाला पूरक नक्शा उपस्थित कराता है। उस के संबंध में विविध नियम उसी प्रकार लागू होते हैं, जैसे वार्षिक आयव्यय-अनुमानपत्र के संबंध में होते हैं।

इस व्यवस्था के परिणाम पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसे बजट से आर्थिक प्रबंध-संबंधी विषयों में बड़ा उल्ट-फेर होता है, और इस से बनता की हानि-होती है। इस लिए यह युद्ध आदि अकलिप्त घटनाओं के समय ही उचित है। अन्यथा यह संभव है कि शासक, व्यय का ग़लत अनुमान करने लगें, अथवा ठीक अनुमान कर के भी

उसे प्रतिनिधियों से छिपाने के लिए पहले बजट में कम रकम दिखाएँ और शेष के लिए पीछे पुरक बजट बनाएँ। यह अनुचित है।

पूरक बजट की भाँति असाधारण बजट की प्रथा भी विचारणीय है। कभी-कभी जिस व्यय को आमदनी से छुकाना चाहिए, उसे वैसा न कर, जनता से विशेष धन बसूल कर के छुकाने का प्रयत्न किया जाता है, और उस का हिसाब साधारण बजट से अलग रखा जाता है। जब तक कि विशेष कारण न हो, पेसा करना ठीक नहीं है।

झच्च करने का ढंग—सरकार के विविध विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में कई प्रकार के झच्च होते हैं, यथा कर्मचारियों का वेतन, आफिस-व्यय, पुरस्कार, भत्ता आदि। किसी कार्य में निर्धारित से अधिक झच्च न किया जाय, इस का ध्यान रखा जाता है। जिस कार्य के लिए जितना रुपया दिया जाता है, उस का ठीक-ठीक हिसाब रखा जाता है और उस की रसोद रखने की भी व्यवस्था की जाती है, जिस से कोई आदमी हिसाब में गड़बड़ न कर सके। अधिकतर झच्च करने का काम 'दूंपीरियल बैंक' द्वारा होता है।

आय बसूल करने की पद्धति—ब्रिटिश भारत यद्यपि शासन की दृष्टि से ज़िलों में विभक्त है, बास्तव में ये विभाग आय की दृष्टि से किए गए हैं। ज़िले के मुख्य अधिकारी को बहुत से स्थानों में 'कलेक्टर' कहा जाता है; कलेक्टर का अर्थ है, बसूल करने वाला। ज़िला-मेजिस्ट्रेट अपने ज़िले की मालगुज़ारी बसूल करने का उत्तरदायी होने से 'कलेक्टर' कह जाता है। उस के अधीन कई तहसीलदार होते हैं जो एक-एक तहसील के किसानों से, नंबरदारों और पटवारियों की सहायता से मालगुज़ारी और आबपाशी की रक्षमें बसूल करते हैं। एक तहसील के गाँवों की सब आमदनी तहसील में जमा होती है, वहाँ से वह ज़िले के झज्जाने में भेजी जाती है। ज़िले के झज्जाने में मालगुज़ारी और आबपाशी की आय के

विचार करने के लिए पार्लियामेंट को एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है।

भारत-मंत्री का अधिकार—भारतीय आय-न्यय पर पूछा और अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। वह यह नियंत्रण भारत-मंत्री द्वारा करती है। यह पार्लियामेंट का एवं ब्रिटिश-मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इस के कार्यालय को 'इंडिया अफिस' और इस की सभा को 'इंडिया कॉर्सिल' ^१ कहते हैं। इंडिया-कॉर्सिल में अब द से १२ तक सदस्य रहते हैं और उस का अधिवेशन प्रतिमास एक बार होता है, जिस का समाप्ति भारत-मंत्री या उस का नियुक्त किया हुआ कोई कॉर्सिल का सदस्य होता है।

इस कॉर्सिल के बहुमत विना भारत-मंत्री—

- (१) भारतवर्ष की आमदनी खाचे नहीं कर सकता ;
- (२) ज्ञान या लेक नहीं दे सकता ; और
- (३) किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकता। राजस्व-विभाग के लिए एक 'राजस्व-समिति' नियत है। नियम के अनुसार, यह समिति भारतीय राजस्व-संबंधी सर्वोच्च संस्था है।

कॉर्सिल में दो सदस्य ऐसे होते हैं, जो राजस्व-संबंधी ज्ञान के कारण ही लिए जाते हैं। यह सदस्य ग्रामः लंदन के सराफ़े से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। इस लिए कॉर्सिल पर, और कॉर्सिल द्वारा भारतीय राजस्व पर, लंदन के सराफ़े का प्रभाव पड़ता है। भारत-मंत्री की कॉर्सिल के हिसाब की जाँच एक निरीक्षक द्वारा की जाती है।

हाई कमिशनर—सन् १६१६ है० से भारतवर्ष के लिए इंग्लैण्ड में एक

^१ भारतीय-संघ की स्थापना के बाद यह सभा नहीं रहेगी। हाँ; भारत-मंत्री के कुछ परामर्श-दाता रहा करेंगे।

हाई कमिशनर की नियुक्ति होती है। इस पदाधिकारी को उन विषयों में से कुछ सौंपे जाते हैं जो पहले भारत-मंत्री के अधीन थे, जैसे सरकार के लिए किसी माल का टेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलवे का सामान आदि खरीदना। औपनिवेशिक सरकारें स्वयं अपना हाई कमिशनर नियुक्त करती हैं, परंतु भारत के लिए हाई कमिशनर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा न हो कर ब्रिटिश सरकार द्वारा होती है।

भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के अधिकार—नियम से तो भारतीय राजस्व पर भारत-मंत्री और उस की कौंसिल का पूर्ण अधिकार है, पर व्यवहार में भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को अपनी समझ के अनुसार कुछ कार्य करने का अधिकार है। वह निर्धारित सीमा में नया छार्च और नवीन पदों की सृष्टि कर सकती हैं। न्यूनिसिपैलिटियों, शिला-बोडों और पोर्ट ट्रस्टों को राजस्व संबंधी अधिकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल से मिले हैं।

भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारें अपने आयव्यय के कार्य में प्रजा-प्रतिनिधियों के प्रति बहुत कम उत्तरदायी हैं, व्यवस्थापक सभाओं को अनेक महों पर भत देने का अधिकार ही नहीं है, जिन विषयों में उन्हें भत देने का अधिकार है, उन पर भी गवर्नर-जनरल और गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर के अपनी इच्छानुसार छार्च कर सकते हैं, यह पहले कहा जा चुका है।

तीसरा परिच्छेद

व्यय का सिद्धांत और वर्गीकरण

मरकारी आयव्यय में व्यय का महत्व—व्यक्तिगत आयव्यय-संबंधी सिद्धांत और सरकारी आयव्यय के सिद्धांत में बड़ा अंतर है। मनुष्य प्रायः पहले अपनी आय को देखते हैं और उस के अनुसार खर्च निश्चय करते हैं। इस के विपरीत राज्य अपने सम्मुख पहले यह विचार रखता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उन में किसना खर्च होगा।^१ इस खर्च के लिए वह अपनी आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है, और विविध निश्चय करता है। इन्, जब युद्ध आदि के समय राज्य का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है और करों के बढ़ाने से भी टीक काम नहीं चलता, तब उसे किसायत करने, और आय को जल्दी में रख कर खर्च करने का अधिकार होता है। कसी-कभी ज्ञान लेने की भी आवश्यकता हो जाती है। परंतु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी। साधारणतया जैसा कि ऊपर कहा गया है खर्च का हिसाब लगा कर आय निश्चय की जाती है। इस लिए राजस्व के वर्णन में सरकारी व्यय का विचार पहले किया जायगा, और सरकारी आय का पीछे।

^१ व्यक्तिगत और सरकारी आयव्यय में यह भी अंतर है कि व्यक्तियों की दृष्टि में बचत अच्छी समझी जाती है, जब कि सरकारी हिसाब में बचत अच्छी नहीं समझी जाती, कारण, उस से अपव्यय की आशंका होती है। इस के विपरीत आय में कसी होने से अधिकारी खर्च करने में सावधान होते हैं।

व्यय के भेद—व्यय के दो भेद किए जाते हैं—साधारण और आसाधारण। प्रति वर्ष होनेवाला व्यय साधारण-व्यय कहलाता है। राजन्त्र में इसी का विशेष विचार किया जाता है। इस के विपरीत जो व्यय अकाल या युद्ध आदि में होता है, वह असाधारण व्यय कहलाता है। इस का परिमाण एवं समय अनिस्तित रहता है। इस का विचार प्रसंगानुसार किया जायगा।

साधारण व्यय के दो भेद किए जा सकते हैं।—(१) दूँजी-संबंधी व्यय—नहर और रेलों में झर्च होनेवाली रक्कमें ऐसे व्यय में गिनी जाती हैं। इस व्यय से भविष्य में आमदनी होती है, पर यह आवश्यक नहीं कि वह आमदनी व्यय के विचार से अधिक ही हो। ऐसा व्यय उत्पादक भी हो सकता है, और अनुत्पादक भी। भारतवर्ष में अनुत्पादक व्यय का उदाहरण सीमा-ग्रांत की रेल है, इन से जो आय होती है वह बहुत ही कम होती है, अर्थात् यह सदैव घाटे पर चलती है। (२) साधारण व्यय का दूसरा भेद आमदनी से किया जानेवाला झर्च है। इस में कुछ झार्च ऐसा होता है, जो बार-बार होता है, और कुछ युक बार किए जाने पर फिर चिरकाल तक नहीं करना पड़ता। कर्मचारियों का बेतनादि तो प्रति मास ही देना होता है, पर किसी कार्य के लिए सरकारी इमारतों का झर्च बार-बार नहीं होता।

व्यय-संबंधी सिद्धांत—जैसा पहले कहा गया है, साधारण व्यय का ही विशेष विचार किया जाता है। इस व्यय के संबंध में निम्न-लिखित बातें ध्यान में रखें जानी आवश्यक हैं:—

१—जनता की भलाई की दृष्टि से समान उपयोगिता। प्रत्येक मह के झर्च की सीमांत-उपयोगिता यथासंभव समान रहनी चाहिए। अर्थात् प्रत्येक मह में झर्च किए जानेवाले रूपयों की अंतिम इकाई से जनता को समान लाभ हो। यह अंतिम इकाई केंद्रीय सरकार की महों में एक

लाख रुपए हो सकती है, प्रांतीय सरकार की महों में एक हज़ार, और स्थानीय संस्थाओं की महों में संभव है, सौ रुपए ही हो।

सरकार के मुख्य कार्य पहले घटाये जा चुके हैं। तदनुसार उसे विविध महों में रुपया छार्च करना होता है। प्रत्येक मह में कितना रुपया छार्च किया जाय, इस का विचार राजस्व-शास्त्र में किया जाता है, और इस में उपर्युक्त समानता के नियम के अनुसार निश्चय किया जाता है। हाँ, व्यवहार में इस नियम का उपयोग बहुधा बहुत कठिन होता है, क्योंकि किसी भद्र में छार्च करने से जनता को जां लाभ होता है, उस का ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। कुछ लाभ प्रत्यक्ष होता है और कुछ परांक। फिर लोगों की लंबि और विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी को एक भद्र का खार्च अधिक उपयोगी जँचता है, किसी को दूसरी भद्र का। इस प्रकार केवल व्यापारिक कार्यों के जिन में होने-वाले लाभ को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है, अन्य विषयों में बहुधा भत-भेद होता है।

जिन देशों में उत्तरदायी शासन-पद्धति प्रचलित हो, वहाँ जनता के बहुमत के अनुसार उपर्युक्त विषय का निर्णय किया जाता है। परंतु भारतवर्ष जैसे देशों में, जहाँ प्रतिनिधियों का प्रभाव बहुत कम हो, समानता के सिद्धांत की बहुधा अवहेलना की जाती है।

अत्यु, इस सिद्धांत के अनुसार यह विचार होना चाहिए कि प्रत्येक भद्र पर किए हुए ज्ञार्च के अंतिम एक लाख या एक हज़ार रुपए का लाभ राज्य को समान हो। उदाहरण के लिए सेना, शिक्षा और कृषि पर जो रक्तम व्यय करने का विचार किया जाय, उस के संबंध में सोचना चाहिए कि इन महों की रक्तमों में प्रत्येक में ज्ञार्च किए गए अंतिम एक हज़ार रुपए की उपयोगिता समान हो; यदि सेना में व्यय किए हुए अंतिम एक हज़ार रुपए से राज्य को उतना लाभ न हो, जितना उस एक हज़ार को शिक्षा में व्यय

करने से हो, तो उस एक हजार रुपए की रकम को सेना से हटा कर शिला-कार्य में लगाया जाय; इसी प्रकार फिर विचार कर के देखा जाय और यदि इस बार ऐसा प्रतीत हो कि सेना में एक हजार रुपया खर्च करने की अपेक्षा उसे कृषि में खर्च करने से राज्य को अधिक लाभ होगा तो सेना की मह में इतनी कमी कर के कृषि में इतनी ही वृद्धि की जानी चाहिए। इस तरह बार-बार सोच कर सब भाँड़ों की रकमें ठीक करनी चाहिए।

२—मितव्यय—अर्थात् अल्पतम व्यय से उद्देश्य-सिद्धि । खर्च में मितव्यय का विचार होने का महत्व सर्व-विदित है। मितव्यय कहीं प्रकार से हो सकता है। शासन-संबंधी मित्र-मित्र पढ़ों पर जिन आदियों को नियुक्ति की जाय, उन में उन की धोगता के विचार के साथ यह भी विचार रहना चाहिए कि देशी व्यक्तियों के योग्य होते हुए भी विदेशियों को नियुक्ति कर के बड़ी-बड़ी तनाव्वाहे तथा सफर-खर्च आदि न दिया जाय। इसी तरह राज्य में मित्र-मित्र कार्यों के लिए जो सामान खरीदना हो उस के वास्ते बिना प्रयोजन विदेशों को रुपया न भेजा जाय, वरन् उसे यथा-संभव देश में ही तैयार कराया जाय, जिस से यदि आरंभ में कुछ व्यय अधिक भी हो तो पीछे देश में उस संबंध में तयारी हो जाने से अंततः राज्य को बहुत लाभ ही होगा। भारतवर्ष में इस सिद्धांत की बहुत अवहेलना की जाती है। यहाँ नौकरियों के भारतीयकरण को तथा स्वदेशी सामान तैयार करने के कार्य को प्रोत्साहन की बड़ी ज़रूरत है।

३—स्वीकृति—प्रत्येक मह पर खर्च करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति ली जानी चाहिए, और किसी विभाग

के अधिकारी को स्वीकृत रूप से अधिक झ़र्च न करना चाहिए। हिसाब की जाँच के समय उपर्युक्त विषय का सम्बन्ध विचार होना चाहिए।

४—स्पष्टता—झर्च का पहले से ठीक अनुमान रहे तथा उस का हिसाब इस प्रकार सर्व-साधारण के सामने रखा जाय कि सुगमता-पूर्वक समझ में आ जाय और वे उस के संबंध में अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट कर सकें। ऐसी व्यवस्था से फ़ैज़ा झ़र्च रुकता है और उपर कहे हुए मितव्य का विचार होने में सहायता मिलती है।

राज्य को कर आदि देवेवालों को यह जानने का अधिकार है कि राज्य की आय किन कार्यों में व्यय होती है। आज-कल प्रायः सभी सभ्य देशों में सरकारी आयव्यय का हिसाब सर्व-साधारण के अवलोकनार्थ सर्व-साधारण की भाषा में प्रकाशित करने की रीति है, परंतु जिन देशों में शिक्षा का यथोप्त प्रचार न हो, वहाँ उक्त हिसाब प्रकाशित करने से भी यथोचित उद्देश्य-पूर्ति नहीं होती। भारतवर्ष में सरकारी हिसाब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है।

पुनः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी आयव्यय-विवरण सर्व-साधारण को अल्प मूल्य में मिल सके। यद्यपि यहाँ विविध पश्च-पञ्चिकाओं में, संचेप में व्यय का हिसाब तथा कुछ ठीका-टिप्पणी आदि प्रकाशित होती हैं, सरकार की ओर से इस विषय की कोई व्यवस्था नहीं है कि सर्व-साधारण को उस का ज्ञान हो जाय और उसे आलोचना करने का अवसर दिया जाए।

व्यय का वैज्ञानिक वर्गीकरण—वैज्ञानिक व्यय का क्रम वह माना जाता है जिस में व्यय की महों का वर्गीकरण सरकार के कर्तव्यों के अनुसार हो (सरकार के कर्तव्य प्रथम परिच्छेद में बताए जा सके हैं।)

इस के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए :—

(१) रक्षा के लिए—सेना, जल-सेना, वायु-सेना, मुर्ग-निर्माण, सैनिक सामग्री ।

(२) शांति-सुव्यवस्था के लिए—इस में न्याय, पुलिस, जेल और शासन सम्मिलित हैं । शासन में गवर्नर-जनरल, गवर्नरों, और ज़िला भजिस्ट्रीटों आदि के संबंध में किए हुए झार्च का समावेश होता है । इस कार्य के लिए 'राजनैतिक झार्च' की भी आवश्यकता होती है । सीमा पर रहने वाले कुछ सरदारों को शांति-स्थापन के लिए जो एकाउंस (भत्ता) दिया जाता है, तथा एजेंट गवर्नर-जनरल और पोलिटिकल एजेंटों के बेतनादि में जो झार्च होता है, वह 'राजनैतिक झार्च' के अंतर्गत गिना जाता है । केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों और सेक्रेटरियों की मह में किए जाने वाले झार्च का, पेशानों का, और कर वसूल करने के झार्च का समावेश शांति-सुव्यवस्था की मह में ही होता है ।

(३) जन-हितकारी या सामाजिक—शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, सिविल निर्माण-कार्य, मुद्रा, टकसाल और विनियम, भूगर्भ, बनस्पति तथा जीवविद्या-संबंधी कार्य, मनुष्य-गणना, अकाल-रक्षा ।

(४) व्यवसायिक—रेल, डाक, और तार जंगल, नहर, आदि ।

धय्य का सरकारी वर्गीकरण—धय्य का वर्गीकरण समय-समय पर भिज-भिज क्षेत्रों ने अनेक प्रकार से किया है । भारतवर्ष में सरकार अपने आयव्यय के अनुभान-पत्र में विविध रक्तमें इस प्रकार दिखाती है :—

१—कर वसूल करने का झार्च—आयात-निर्धारण-कर, आय-कर, नमक, आफीम, मालगुणारी, स्थांप (क) गैर-अदालती, (ख) अदालती, जंगल, रजिस्ट्री ।

२—रेल

३—आबकारी

४—डाक और तार

५—ऋण

६—सिविल-शासन—साधारण शासन, लेखा-परीक्षा, व्याय, जेल, पुलिस, बंदरगाह, धर्म (हैसाई), राजनैतिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हृषि, उद्योगवर्धन, हवाई जहाज़, विविध विभाग।

७—मिट, दक्षाल और विनियम

८—निर्माण-कार्य और सड़कें

९—विविध—अकाल और बीमा, पेंशन और एलार्ड्स, स्वेच्छनरी और छपाई, विविध,

१०—सेना—स्थल-सेना, जल-सेना, सैनिक निर्माण-कार्य।

११—प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की पारस्परिक लेनी-देनी।

यह वर्गीकरण स्पष्टतः दूषित और अवैज्ञानिक है। इस के कम में कोई सिद्धांत नहीं है। इस वर्गीकरण को न बदलने का कारण यह है कि सरकार को फिर हुलना के लिए पुराने बजटों को भी नवीन रूप में लाना होगा। इस में कुछ अम और कठिनाई अवश्य है। पर सुधार की दृष्टि से ये सा करना उपयोगी है।

केंद्रीय, प्रांतीय, और स्थानीय ढंग—व्यय को प्रायः केंद्रीय और प्रांतीय में तथा कहीं-कहीं केंद्रीय, प्रांतीय, और स्थानीय ढंग में विभक्त किया जाता है। इस के विषय में भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, तथा इस विभाजन में पूर्व इतिहास तथा तत्कालीन शासन-प्रणाली का भी

बहुत प्रभाव पड़ता है। इस विषय में मुख्य बातें यह हैं—सेना, रेज़, डाक, तार, मुद्रा और टकसाल आदि जो कार्य संपूर्ण राज्य के लिए समान रूप से किया जाना आवश्यक हो, उस के लिए किया हुआ व्यय केंद्रीय माना जाता है, और जो व्यय किसी खास प्रांत के लिए ही आवश्यक हो और जिस में प्रांत-मेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ व्यवहृत हों, उस के लिए किया जानेवाला व्यय प्रांतीय समझा जाता है यथा—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, न्यायालय, पुलिस आदि।

जो कार्य किसी नगर, ग्राम, अथवा आम-समूह के लिए ही आवश्यक हो, उस के लिए किया जानेवाला व्यय स्थानीय व्यय समझा जाता है—जैसे सड़कों की सफाई, रोडनी, प्रारंभिक शिक्षा आदि।

देश की समुचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार यथासंभव कम विषय अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का अधिकार निपटाय संस्थाओं को दे दे। केंद्रीय सरकार विशेषतया नीति निर्धारित करे और प्रांतीय या स्थानीय संस्थाओं को विविध कार्यों में आर्थिक सहायता दे कर उन का केवल निरीचया करती रहे। भारतवर्ष में सरकार ने अधिकारों को बहुत ही केंद्रीभूत कर रखा है, अब इस में सुधार हो रहा है।

भारतवर्ष में केंद्रीय कार्य—शासन-संबंधी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या केंद्रीय विषय, और (२) प्रांतीय विषय। इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार (केंद्रीय सरकार) और प्रांतीय सरकारों के कार्यों तथा उन को आय के श्रोतों का विभाग किया गया है। केंद्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर है। यदि किसी विषय के संबंध में यह संदेह हो कि यह प्रांतीय है या केंद्रीय, तो इस का निपटारा कौसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है, परंतु इस विषय में अंतिम अधिकार भारत-मन्त्री को है।

संचेप में, भारतवर्ष में सुख्य-मुख्य केंद्रीय विषय यह हैं—
 (१) देश-रक्षा—भारतोय सेना तथा हवाई लड़ाक्ष, (२) विदेशी तथा विदेशियों से संबंध, (३) देशी राज्यों से संबंध, (४) राजनैतिक छार्च (५) बड़े बंदरगाह, (६) डाक, तार, टेलीफोन और बेतार के तार, (७) आयात-नियांस-कर, तथा नमक और अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, (८) सिक्का, नोट आदि (९) भारतवर्ष का सरकारी छार्च (१०) पोस्ट अफिस सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिसाब-परोचक विभाग (१२) दीवानी और फौजदारों कानून तथा उस के कार्य-विधान (१३) व्यापार, बैंक और बीमा-कंपनियों का नियंत्रण, (१४) तिजारतो कंपनियाँ और समितियाँ, (१५) आफ्रीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत, और निर्यात का नियंत्रण, (१६) कापीराइट (किताब आदि क्रापने का पूर्ण अधिकार) (१७) विदेश भारत में आना, अथवा यहाँ से विदेश जाना, (१८) केंद्रीय पुलिस का संगठन, (१९) इथियार और थुड़-सामग्री का नियंत्रण, (२०) मनुष्य-गणना, और ओंकड़े या 'स्टेटिसटिक्स'; (२१) अखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ; २२) प्रांतों की सीमा, और, (२३) मज़दूरों-संबंधी नियंत्रण।

प्रांतीय विषय—ये संचेप में निम्न-विवित हैं—(१) सार्वजनिक शांति (सेना छोड़ कर)। (२) प्रांतीय अदालतें। (३) पुलिस (४) जेल। (५) प्रांत का सार्वजनिक छार्च। (६) प्रांतीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी-कमीशन। (७) प्रांतीय पेंशन। (८) प्रांतीय निर्माण-कार्य, भूमि और इमारतें। (९) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना। (१०) पुस्तकालय तथा आजायब-घर। (११) प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल के चुनाव। (१२) प्रांतीय मंत्रियों तथा व्यवस्थापक-समाजों और परिषदों के समाप्ति, उपसमाप्ति और सदस्यों का बेतन और भत्ता। (१३) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ। (१४) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल, जन्म और मृत्यु का ज्ञेय। (१५) तीर्थ-वाहा (१६)

क्रिस्तान (१७) शिक्षा । (१८) सदकें, पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन (बड़ी रेलों को छोड़ कर) । (१९) जल-प्रबंध, आबपाशी, नहर, बोध, तालाब और जल से उत्पन्न होने वाली शक्ति । (२०) कृषि कृषि-शिक्षा और अनुसंधान, पशु-चिकित्सा, तथा कौजी-हाउस । (२१) भूमि, मालगुजारों और किसानों के पारस्परिक संबंध । (२२) जंगल । (२३) खान, तेल के कुओं का नियंत्रण, और खनिज-उन्नति (२४) मछलियों का व्यवसाय । (२५) जंगली पशुओं की रक्षा । (२६) गैस, और गैस के कारखाने । (२७) प्रांत के अंदर का व्यापार-वाणिज्य, भेले-तमाशे, साहूकारा और साहूकार । (२८) सराय । (२९) उद्योग-धंधों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और विवरण । (३०) खाद्य पदार्थों आदि मेरिकावट, तोला और माप । (३१) शराब और अन्य मादक वस्तुओं संबंधी क्रय-विक्रय और व्यापार (अफ्रीम की उत्पत्ति छोड़ कर) । (३२) शरीरों का कष्ट-निवारण, बेकारी । (३३) कारपोरेशनों का संगठन, संचालन और परिसमाप्ति, अन्य ज्यापारिक साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ, सहकारी समितियों । (३४) दान, और देने वाली संस्थाएँ । (३५) नाटक, थियेटर और सिनेमा । (३६) जुआ और सदा । (३७) प्रांतीय विषयों संबंधी ज्ञानों के विरुद्ध होनेवाले अपराध । (३८) प्रांत के काम के लिए आँकड़े तैयार करना । (३९) भूमि का लगान, और मालगुजारी-संबंधी पैमाइश । (४०) आबकारी, शराब, गैंजा, अफ्रीम आदि पर कर । (४१) कृषि-संबंधी आय पर कर । (४२) भूमि, इमारतों पर कर । (४३) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार-संबंधी कर । (४४) खनिज अधिकारों पर कर । (४५) व्यक्ति-कर । (४६) व्यापार, पेशे धंधे पर कर । (४७) पशुओं और किसितयों पर कर । (४८) माल की विक्री और विज्ञापनों पर कर । (४९) जुगी । (५०) विलासिता की वस्तुओं पर कर—इस में दावत, मनोरंजन, जुए सहे पर का कर सम्मिलित है । (५१) स्वंप । (५२) प्रांत के भीतर के जल-मार्गों में जानेवाले माल और यात्रियों

पर कर । (५३) मार्ग-कर (टोक) । (५४) अदालती फ़ीस को छोड़ कर, किसी प्रांतीय विषय-संबंधी फ़ीस ।

व्यय का एक वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि कौन-कौन सी मह पर जनता के प्रतिनिधियों का मत लिया जाता है, और कौन-कौन सी पर नहो लिया जाता । परंतु ऐसा वर्गीकरण पराधीन, अर्द्ध-पराधीन, या अनुचरदायी शासन-पद्धति वाले देशों में ही किया जाता है, सम्य और उच्चत-रज्यों में तो सभी महों पर जोक निर्वाचित सदस्यों वाली व्यवस्थापक-सभा की स्वीकृति ली जाती है, और उपर्युक्त वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं रहती । इस संबंध में, भारतवर्ष में होनेवाले व्यय के विषय में पहले विचार किया जा सुका है ।

चौथा परिच्छेद

देश-रक्षा का व्यय

सैनिक व्यय—भारतवर्ष में सरकारी व्यय की सब से बड़ी मात्रा सेना है। इस व्यय में (क) काम करने वाली (इफेक्टिव), और काम न करने वाली सेना, (ख) समुद्री बेटा और (ग) सैनिक मकान आदि का व्यय सम्मिलित है। इन में (क)-संबंधी कुछ व्यय भारतवर्ष के अतिरिक्त दूरगलैंड में भी होता है। भारतवर्ष में व्यय विशेषतया निम्नलिखित विषयों में होता है:— स्थायी सेना, शिक्षा, अस्पताल, डिपो, सेना का सदर मुकाम (हेड क्वार्टर), जल-सेना, हवाई फ्लौज, वायुयान आदि, सहायक और ट्रैटोरियल विशेष कार्य-कर्त्ता, स्टाक-हिसाब। सेना-संबंधी जो व्यय दूरगलैंड में होता है, वह सुरक्षतया इन विषयों में होता है:— भारतवर्ष की विदिश-सेना के कार्य के बदले 'वार आफिस' (युद्ध-विभाग) को देने के बास्ते, भारतवर्ष में 'काम करने वाली विदिश सेनाओं' की यात्रा के समय का बेतन और भत्ता, अफसरों के परिवार की फ़र्लों (अवकाश) का भत्ता, अफसरों के परिवार, विवाह आदि का भत्ता, विदिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले युद्ध-विभाग को देने के बास्ते, विदिश सेना को कपड़ों का एकाउंस और बेकारी का बीमा, विनियम-संबंधी, स्टोर खरीदने के लिए, हवाई फ्लौज, स्टाक-हिसाब आदि।

सैनिक व्यय की वृद्धि—सन् १८८६ ई० में भारतवर्ष का सैनिक-व्यय साढे बारह करोड़ रुपए था। अगले वर्ष यहाँ राज्य-ऋणों द्वारा, उस के बाद यह व्यय साढे चौदह करोड़ रुपया हुआ, सन् १८८८ ई० में यह सत्रह करोड़ हो गया। योरोपीय महायुद्ध से पूर्व सन् १८९३-

१४ ई० में यह भगभग ३० करोड़ था। महायुद्ध में यह और बढ़ा। सन् १६-२१-१२ ई० में यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा। इस वर्षे किफायत कमेटी नियत हुई। पश्चात् व्यय कुछ घटा। सन् १६-१७-२४ ई० में व्यय का अनुमान ५० करोड़ रुपया था।

सार्वजनिक ऋण का प्रधान कारण सैनिक व्यय की यह भवंकर वृद्धि है। इस लिए उस की एक बड़ी मात्रा सैनिक व्यय के लिए भी हुई समझली आहिए, और ऋण के सूद का एक बड़ा भाग सैनिक-व्यय में ही जोड़ना चाहिए। पुनः सीमा-प्रांत की रेलें भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण ही बनाई जाती हैं; और उन में जो घाटा रहता है, वह भी सैनिक व्यय में सम्भिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार यह सब हिसाब जोड़ने से मालूम होता है कि सैनिक व्यय की जा रक्खमें ऊपर दिलाई गई हैं वास्तव में उन से बहुत अधिक ज्ञार्च हुआ है।

वृद्धि के कारण—इम सैनिक व्यय की वृद्धि के कारणों पर विचार करते हैं तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।—

(क) सन् १८५७ ई० की राज्य-क्रांति से पहले यहाँ अँगरेज सिपाहियों की संख्या ३६ हजार और देशी सिपाहियों की संख्या २३। हजार थी। पश्चात् सरकार ने तथ किया कि प्रति दो देशी सिपाहियों के पीछे एक अँगरेजी सिपाही रखा जाय, और भारतीय संवा का प्रबंध इंगलैंड के युद्ध-विभाग अर्थात् 'वार आफिस' से हो। एक अँगरेज सैनिक, उसी पद पर कार्य करनेवाले देशी सैनिक की अपेक्षा सब मिला कर प्रायः पाँच गुना वेतन पाता है। इस के अतिरिक्त उस का तथा उस अँगरेज आकर्षरों का इंगलैंड से आने-जाने तथा पेशन का व्यय भी भारत-सरकार को देना पड़ता है।

(ख) वेतन और पेशन के अतिरिक्त अँगरेज सैनिकों को तरह-तरह के प्राप्तिसंस मिलते हैं। अयोग्य तथा मरे हुए सिपाहियों के घर-

वालों को धन देने के लिए भ्रैतारत की मह सुल्ती हुई है। महायुद्ध के बाद ब्रिटिश युद्ध-विभाग (बार आफिस) ने दो नई महें और निकॉल दी हैं। उन में एक का नाम है बेकारी का सीमा, और दूसरी का व्याह का भत्ता। कमेटियों की बैठक और विनियम आदि अन्य-अन्य महों में भी ब्रिटिश युद्ध-विभाग भारत-सरकार से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए लेता है।

(ग) अँगरेज सिपाही भारतवर्ष के व्यय से शिक्षा पाकर ८/१० वर्ष यहाँ नौकरी करते हैं; ये पीछे लौट कर जन्म भर ब्रिटिश सरकार की रिजर्व ('रजिस्टर') सेना का काम देते हैं। इन्हें भारतवर्ष से निर्धारित रकम मिलती रहती है।

(घ) युद्ध की नई-नई आविष्कृत बहु-मूल्य वैज्ञानिक सामग्री भी सैनिक व्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है।

(ङ) भारत-सरकार के सन् १८८६ वाली परिचमोत्तर-सीमा से आगे बढ़ने से भी सैनिक व्यय की वृद्धि हुई है। बड़ीरिस्तान में उसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए व्यय करना होता है।

(च) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रूपया त्वर्च करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उस समय कुछ बाद-विवाद होता है, पर ग्राम्य स्वीकृति मिल जाती है सन् १८३८ ई० से १८०० तक अफगानिस्तान, सूडान, चिनाल, तिब्बत,

द्रांसवाल आदि में जो युद्ध हुए उन युद्धों के प्रचंच का बड़ा हिस्सा भारत-वर्ष ने, पार्लियामेंट की स्वीकृति से, दिया। गत ओरोपीय महायुद्ध में भारत से जो सेना गई थी, उस का प्रचंच भी भारतवर्ष की आय से दिए जाने के लिए पार्लियामेंट से स्वीकृति ली गई थी।

(छ) भारतवर्ष को इंगलैण्ड के जहाजी बेडे के प्रचंच में भाग लेना पहुंचा है।

किफायत कमेटी का मत—सन् १९२१-२२ ई० की किफायत कमेटी ने सेना-संबंधी विविध भागों में की जानेवाली किफायत का व्यौरा जंगी लाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह मत प्रकाशित किया था :—

(क) जाहनेवाली फ्लौज घटाकर तीव्र करोड़ की किफायत की जाय।

(ख) प्रबल रचित सेना रक्खी जाय, जिस से युद्ध के समय हिन्दुस्तानी घटाकियने २० फ़ी सदी घटाई जा सकें।

(ग) मोटगाड़ियाँ, जंगी जहाज और स्वाक घटाए जायें; सामान-संग्रह और फ्लौजी कार्य में किफायत की जाय।

कमेटी ने यह स्वीकार करते हुए भी कि वहाँ शांति-काल में भी युद्ध-काल की तरह सेना रक्खी जाती है, सैनिक व्यय को कमशः ५० करोड़ रुपए तक घटाए जाने की आशा प्रकट की थी।

सैनिक ख़ुर्च घटाने के उपाय—(क) भारतीय सेना का इंगलैण्ड के युद्ध-विभाग (वार आफ्रिसर) से संबंध तोड़ कर उस का प्रबंध भारत

सरकार के हाथ में दिया जाय, और भारतीय व्यवस्थापक सभा के मतानुसार इस विभाग का व्यय निश्चय हुआ करे। इस समय ब्रिटिश युद्ध-विभाग-मन-माना झर्च भारत-सरकार पर ढाल देता है; यह अनुचित है।

(छ) अँगरेजी सैनिक जितने दिन वहाँ नौकरी करें, उतने दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उन की शिक्षा का भार ब्रिटिश-सरकार अपने डपरले, क्योंकि उन का अधिकांश लाभ उसे ही मिलता है। अँगरेजी सैनिकों के एलार्डस और पेशन में भी उचित कमी की जाय।

(ग) सरकार मजा को संतुष्ट रखे और उस के बद्द को अपना बद्द समझे, सेना का भारतीयकरण हो अर्थात् झर्चीला ब्रिटिश भाग कम करके उस के स्थान में बीर, देश-प्रेमी भारत-संतान को भरती किया जाय। भारतवासियों की सैनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिस से समय पर स्वदेशवासी स्वर्यं अपनी रक्षा कर सकें, और स्थायी सेना यथा-शक्ति कम रखनी पड़े।

(घ) सीमा-पार की स्वतंत्रता-प्रेमी जातियों की स्वतंत्रता में बिल्कुल हस्तक्षेप न किया जाय, वहाँ से सब सेना हटा ली जाय।

(च) सैनिक स्टोर, सामग्री, संग्रहालय (डिपो) निर्माण-कार्य आदि में किफायत की जाय। अनावश्यक सामान बड़ी मात्रा में जमा रख कर उस में रूपया न फँसाया जाय, तथा यथा-संभव सब सामान भारत-वर्ष में ही तैयार कराने और झरीदाने का विचार रखा जाय।

(क) समान उपयोगिता के सिद्धांत का विचार रखा जाय, अर्थात् इस मह में झर्च की रक्षा का निश्चय करते समय यह सोचा जाय कि इस के अंतिम एक करोड़ रुपए के झर्च से जनता को उतना ही लाभ मिलता है या नहीं, जितना किसी अन्य मह में एक करोड़ रुपया झर्च करने से मिल सकता है। जब ऐसा न हो, वह एक करोड़ रुपया इस मह से हटा

कर ऐसी अन्य मह में खर्च किया जाय, जिस में खर्च करने से उस की उपयोगिता अधिक होती हो ।

उपर्युक्त सिद्धांत का विचार सैनिक व्यय के विविध शंखों में भी किया जाना चाहिए । भविष्य में भूमि की अपेक्षा आकाश में शुद्ध होने की अधिक संभावना है, अतः स्थल-सेना के व्यय में क्रमशः कमी करते हुए वायुयानों और आकाश-युद्ध-सामग्री की वृद्धि में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस से भारतीय सेना की कार्य-जमता बढ़े । इस समय भारी खर्च सहते हुए भी भारतवर्ष आवश्यकता होने पर आत्म-रक्षा में स्वावलंबी होगा, इस की आशा बहुत कम है ।

(ज) सैनिक व्यय की रकम का विचार करते हुए भारतवर्ष की आर्थिक दशा का, तथा यहाँ के कुल सरकारी आय-व्यय का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । जेनेवा की अंतर्राष्ट्रीय परिपद् ने यह सिफ्टा-रिश की थी कि कुल सरकारी आय का २० प्रति शत टक सेना में खर्च किया जाना चाहिए । भारतवर्ष में केंद्रीय तथा प्रांतीय कुल सरकारी आर्थिक आय लगभग २०० करोड़ है । इस हिसाब से यहाँ सैनिक व्यय ४० करोड़ रुपए होना चाहिए, परंतु इस में जनता की आर्थिक अवस्था का भी विचार किया जाना आवश्यक है । यहाँ पर कर-भार बहुत अधिक है । इस विचार से यहाँ ४० करोड़ से बहुत कम खर्च होना चाहिए । इस विषय का सम्यक् विचार होने के लिए यह आवश्यक है कि यह खर्च जनता के प्रतिनिधियों के मतानुसार हो, उन का इस पर ध्येय नियंत्रण हो ।

पाँचवाँ परिच्छेद

शांति और सुच्यवस्था का व्यय

शांति और सुच्यवस्था-संबंधी ख़र्च में निम्नलिखित ख़र्च समिक्षित हैं :—

- (क) कर वसूल करने का ख़र्च
- (ख) शासन
- (ग) न्याय, जेल, और पुलिस
- (घ) राबनैतिक ख़र्च
- (च) पेशन

कर वसूल करने का ख़र्च—इस मह में आयात-नियांत कर, मालगुजारी, स्टांप, जंगल, रजिस्टरी, अफ़ीम, नमक और देशी माल पर कर की आय वसूल करनेवाले कर्मचारियों के वेतन आदि के अतिरिक्त, अफ़ीम और नमक तैयार करने का ख़र्च भी समिक्षित है। अफ़ीम के लिये पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल और नियंत्रण में, परिमित स्थान में ही बोए जाते हैं। कुल अफ़ीम सरकारी पूर्जटों द्वारा बेची जाती है। विगत वर्षों में कर वसूल करने के ख़र्च में बहुत वृद्धि हुई है। वृद्धि का कारण विशेषतया सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बढ़ना है। भारतवर्ष में अन्य अनेक देशों की अपेक्षा इस मह के ख़र्च का, कुल सरकारी ख़र्च से अनुपात अधिक है, इस का एक कारण यह भी है कि यह देश बहुत विस्तृत है और प्रति ग्राम, आय की रकम कम रहती है, तथापि यदि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो तो उन के वेतनादि में बहुत क्रियायत हो सकती है, और फलतः इस विभाग में होनेवाला ख़र्च

भी घट सकता है। इस समय यद्यपि निम्न कर्मचारियों का वेतन मामूली है, उच्च पदों पर अधिकतर विदेशी और विशेषज्ञः अँगरेज़ नियुक्त हैं जिन्हें वेतन बहुत अधिक दिया जाता है। इन नौकरियों के भारतीयकरण द्वारा इस मह के मार्च में कमी की जानी चाहिए।

सिविल-शासन—इस मह के केंद्रीय भाग में निम्नलिखित व्यव सम्प्रियत होता है:—गवर्नर-जनरल, तथा भारत-सरकार के सदस्यों, भारतीय व्यवस्थापक-सभा और राज्य परिषद्-संबंधी मार्च, केंद्रीय सेक्रेटरियट और हेड-क्वार्टर्स के आफ्रिस का मार्च, बंदरगाहों, हवाई बहाज़ों, स्वदेश (होम) विभाग, राजनैतिक विभाग, तथा हिसाब का जांच-संबंधी मार्च, चीफ कमिशनरों के प्रांतों में होनेवाला (चीफ कमिशनरों, ज़िलाधीशों, और उन के अधीन कर्मचारियों, न्याय, पुलिस और जेल, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और उद्योग-धंधे संबंधी) मार्च, । इस मह के प्रांतीय भाग में निम्नलिखित व्यव सम्प्रियत होते हैं:—गवर्नरों और उन के मंत्रियों के वेतन और दौरे आदि का मार्च, प्रांतीय व्यवस्थापक-सभाओं, तथा परिषदों-संबंधी मार्च; प्रांतीय सेक्रेटरियट, रेवन्यू बोर्ड, कमिशनरों, कलेक्टरों और उन के सहायकों तथा तहसीलदारों और उन के अधीन कर्मचारियों का वेतन और आफ्रिस मार्च; हिसाब की जांच संबंधी मार्च।

भारतवर्ष में ऊँची नौकरियों प्रायः अँगरेज़ों को ही दी जाती हैं। यहाँ उन्हें कितना भारी वेतन दिया जाता है इस के कुछ उदाहरण लीजिए:—

अधिकारी	वार्षिक वेतन
गवर्नर-जनरल	२,५०,८०० रु०
गवर्नर-जनरल की प्रबंधकालिशी कॉसिल के मेंबर प्रत्येक	८०,०००, रु०
(कमांडर-इन-चीफ)	१,००,०००, रु०

गदवर्द

६६,००० से १,२०,००० रुप तक

चीफ़ कमिशनर

३६,००० रु

जपर सिर्फ़ वेतन के अंक दिए हैं; पुलार्डस के अंक तो और भी अधिक चकित करते हैं। उदाहरणार्थ, वाइसराय का वार्षिक वेतन और पुलार्डस मिल कर चौदह पंद्रह लाख तक पहुंच जाता है। संसार के, आर्थिक इष्टि से उच्चत देशों में भी, कहूँ एक में शासकों का वेतन और पुलार्डस इतना अधिक नहीं है।

भारतवर्ष में सरकारी पदाधिकारियों की हुई के नियम भी ऐसी उदारता से बनाए गए हैं कि उन के द्वारा होनेवाले काम में हर्ज न होने देने के बास्ते, कम से कम ४० फ़ी सदी आदमी अधिक रखने पड़ते हैं। इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सकें, उस के लिए हमें १४० रखने पड़ते हैं। इस से अर्थ बहुत बढ़ जाता है।

इस व्यय में काफ़ी किफायत करने की आवश्यकता है। जिन विभागों को मिलाकर हड्डी चलाया जा सके, उन के लिए अलग-अलग अधिक खर्च न किया जाय? तथा जब किसी अधिकारी का कोई विशेष कार्य न हो तो उस का नाम-नाम का बार्य छैरों में बर्ण दिया जाना चाहिए उदाहरणार्थ, मद्रास प्रांत में कमिशनरों के बिना भी काम बराबर चल रहा है, तो अन्य प्रांतों में इन के वेतन तथा इन के कार्यालयों का खर्च बंद कर दिया जाना चाहिए, परंतु केवल दो चार बड़े-बड़े पदों को हटाने से ही काम न चलेगा। वर्तमान अवस्था में सभी पदों का वेतन निष्पत्ति भाव से स्थिर होना चाहिए; रंग या जाति का भेद-भाव नहीं रखना चाहिए। यदि अँगरेज़ साधारण न्यायालुमोदित वेतन पर काम न करें तो स्वदेश-प्रेमी सुयोग्य भारत-संतान से काम लिया जाना चाहिए। बड़े पदों का वेतन कम कर के उन स्थानों पर भारतीय अधिक संस्था में नियुक्त किए जायें। उन्हें समुद्र-नामा आदि का भारी पुलार्डस देने की भी आवश्यकता

न होगी, जो विदेशियों को दिया जाता है। परंतु इस में एक बाधा है। बहुत से उच्च पदाधिकारियों का वेतन क्रान्ति से निर्धारित है, उस में केंद्रीय अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल कमी नहीं कर सकता। अतः इस मह में कुछ वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवर्तन हो। अस्तु, सरकारी पदाधिकारियों के वेतनादि पर खोक प्रतिनिधियों को पूर्ण नियन्त्रणाधिकार रहना चाहिए।

न्याय—इस मह में नियन्त्रित व्यय समिक्षित हैं:—हाईकोर्ट, क्रान्ती अफसर, ऐडमिनिस्ट्रेटर-जनरल, घूमीशल कमिशनर, दीवानी और सेशन कोर्ट, (ज़िला और सेशन जज, सबार्डिनेट जज, सुंसिक्क, सुहाफ़िज़ दाम्तर, और अन्य कर्मचारी) अदाकात खालीफ़ा, और, कीलों की परीक्षा का खार्च।

इस विभाग की कार्य-हमता घटाए बिना भी इस के खार्च में कमी की जा सकती है। आनंदेरी मनिस्ट्रेटों (अवैतनिक) न्याय करनेवालों, और सुंसिक्कों की नियुक्ति अधिकाधिक होनी चाहिए। हाँ, वे सुयोग्य, हमानदार और विचारवान् व्यक्ति ही हों। आजकल अधिकांश अच्छे व्यक्तियों की नियुक्तियों न होने से सर्वसाधारण की धारणा आनंदेरी मनिस्ट्रेटों के विषय में अच्छी नहीं है। तानिक विवेक से काम किया जाय तो देश में पर्याप्त सुयोग्य व्यक्ति मिल सकते हैं, जो अपने उचरदायित्व को समझते हुए सेवा-भाव से न्याय-कार्य का संपादन कर सकते हैं। अस्तु, पेसे व्यक्तियों की नियुक्ति से वेतन-मोगी मेजिस्ट्रेटों और सुंसिक्कों की संख्या में और फलतः इस मह के खार्च में काफ़ी कमी हो सकती है।

मुनः स्थान-स्थान पर पंचायतों की स्थापना से भी इस मह में बड़ी बचत होती है। उस की बृद्धि और विस्तार के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान काल में पंच नामज़द किए जाते हैं, वे निर्वाचित होने जांगे तो वे अधिक विश्वास-भाजन बन जायें। पंचायतों

में विशेष लाभ यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामले मुकद्दमे के संबंध में अच्छी जानकारी रखते हैं और इस लिए न्याय अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पंचायतों में वकील लोग पैरवी नहीं करते, अतः इन के हारा मुकद्दमे का फैसला कराने में लोगों का खर्च भी कम होता है।

जेल-विभाग—इस मह में जेल-प्रबंध, तथा जेलों के सामान-संबंधी खर्च समिक्षित हैं। जेलों के प्रबंध-न्यय में इंस्पेक्टर-अनरक्षा और उन के दफ्तर आदि, सेंट्रल जेल, ज़िला जेल, हवालात, जेल-संबंधी पुलिस, जरायन पेशा जातियों के सुधारार्थ किया हुआ व्यय, और कैदियों के जेल से छूटने पर उन्हें निर्वाहार्थ किया हुआ रूपया शामिल है। जेलों के सामान में कैदियों के लिए लिया हुआ खाद्य पदार्थ फ़ारीदने में तथा जेल के कारखानों में काम करनेवाले नौकर, वक्तक, और यांत्रिक के वेतन में तथा पन्न-व्यवहार आदि में होनेवाला खर्च गिना जाता है।

वर्तमान दशा में जेलों पर किया जानेवाला व्यय राज्य या समाज के लिए यथेष्ट हितकर नहीं है। जो आदमी एक बार कैद हो जुकता है, वह जेल के वातावरण और व्यवहार के कारण बहुधा और अधिक अपराधी बन जाता है, तथा समाज की उस पर सदेह-भरी ढांडे रहने से उसे अपनी आजीविका के लिए बड़ी कठिनाई होती है। इस से उस की अपराध-प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है। जेलों की प्रणाली में आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

पुलिस-विभाग—इस मह का व्यौरा इस प्रकार है:—

(क) हस्पेक्टर-जनरल, डिप्टी हस्पेक्टर-जनरल, हेत्यादि अडे-अडे अफसरों का वेतन और आक्रिस झार्च ।

(ख) खुफिया (सी० आई० बी०) विभाग का झार्च ।

(ग) , जिका सुपरिंटेंडेंट, उन के मात्रहत अफसर, पुलिस के सिपाही हेत्यादि के वेतन और आक्रिस झार्च ।

(घ) गाँवों की पुलिस का झार्च ।

(च) रेलवे पुलिस का झार्च ।

सरकार का पुलिस का, और झास कर .खुफिया-पुलिस विभाग का अग्रणी बहुत बढ़ा दुआ है । प्रायः साधारण पूर्व .खुफिया दोनों प्रकार की पुलिस में बहुत कम शिक्षित और बहुत कम सभ्य व्यक्ति रहते हैं । निम्न कर्मचारियों के वेतन भी बहुत कम हैं । आवश्यकता है कि पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम की जाय । हाँ, जो व्यक्ति रहे वे अधिक योग्य शिक्षित और सभ्य हों । उच्च पदाधिकारियों का वेतन कम करने तथा भारतवासियों की अधिकाधिक नियुक्ति करने से इस मह के झार्च में बहुत कमी हो सकती है ।

गाँवों की पुलिस के झार्च के संबंध में किफायत की ज्यादा गुंजाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश भाग

चौकीदारों का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार प्रजा को संतुष्ट रख सके तो पुलिस के बल की, (एवं इस विभाग के लिए झार्च की) आवश्यकता बहुत कम रह जाय।

राजनैतिक खार्च—इस मह में बहुत-सा झार्च परिचमी सीमा के स्थानों में होता है, वहाँ सरदारों को शांति-स्थापन के लिए विविध रकमें दी जाती हैं। विदेशों में अथवा भारतवर्ष के देशी राज्यों में, भारत-सरकार के जो पर्जन्य रहते हैं उन का वेतन आदि भी इसी मद्द के झार्च में सम्मिलित होता है। इस झार्च पर व्यवस्थापक-मंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। इस झार्च में वास्तविक कमी करने के लिए सीमा-प्रांत-संबंधी नीति में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

पेंशन—पेंशन देना सिद्धांत से अच्छा है, इस से सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित अवधि तक भली प्रकार कार्य संपादन कर चुकने पर अपने निर्वाह की इतनी चिंता नहीं रहती, अतः वे अपना कार्य यथा-संभव संतोष-जनक बनाए रखते हैं। परंतु यह स्मरण रखने की बात है कि पेंशन सेवा करने के उपलब्ध में दिया जाता है, यह एक प्रकार से वेतन का ही स्वरूप है, अतः उन्होंने कर्मचारियों को दी जानी उचित है जो साधारण वेतन पर, और काफी समय तक काम करें।

छठा परिच्छेद

जन-हितकारी कार्यों का व्यय

जन-हितकारी कार्यों में निम्नलिखित कार्य समिक्षित हैं:—शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा; कृषि और उद्योग; सिविल निर्माण-कार्य; सुदूर टकसाल और विनियम; विज्ञान और बंदरगाहों-संबंधी कार्य।

शिक्षा—इस मह में इन विषयों का झार्च होता है :—विश्व-विद्यालय और कालिज, माध्यमिक (सेकेंडरी) हाई स्कूल; प्रारंभिक शिक्षा; अन्य झास-झास स्कूल, डायरेक्टर, हंसपेक्टर हृत्यादि का वेतन; आफ्रिस झार्च; छाप्रवृत्ति।

इस मह में झार्च अपेक्षाकृत बहुत कम होता है और उस का जनता को यथेष्ट खाभ नहीं मिल रहा है। भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाली में आमूल्य परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कालिजों से निकले हुए अधिकतर युवक हृत्यर-उधर बेकार फिरते हैं, उन्हें अपनी आजीविका के उपर्यन्त का मार्ग नहीं मिलता, और उन का जीवन बड़ा संकटमय होता है। अनेक बार तो आरम्भत्या के भी समाचार मिलते हैं। औद्योगिक और शिव्य-व्यवसाय आदि की शिक्षा की बहुत झारूरत है।

भारतवर्ष इस समय कृषि-प्रधान देश है, परंतु यहाँ की शिक्षा इस दृष्टि से भी उपयोगी नहीं हो रही है। अनेक स्थानों में भाषा का माल्यम ही अँगरेजी है, देशी भाषा नहीं। कृषि-कालिज और कृषि-स्कूलों से निकलदेवाले युवकों की प्राप्ति ग्रामों में निवास करने तथा खेती का काम वरने की उचित नहीं रहती, अथवा यदि उचित भी हो तो उन के पास

आवश्यक भूमि आदि साधन नहीं होते। इस का सुधार होना चाहिए, उपर्युक्त कृपिशिक्षा-संस्थाओं की, तथा कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखनेवाले माध्यमिक स्कूलों की, बहुत आवश्यकता है।

देश में निरहरता का भर्यकर साम्राज्य है। सन् १९११-१२ ई० में स्वर्गीय गोखले ने ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव किया था। डस समय विशेषतया आर्थिक कठिनाईयों के कारण सरकार ने उसे स्वीकार न किया। अब सब प्रांतों ने इस शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता स्वीकार कर ली है, परंतु प्रगति बहुत कम हुई है। उदाहरण के लिए संयुक्त-प्रांतीय सरकार ने उन म्यूनीसिपैलटियों को शिक्षा-संवर्धी व्यय का दो-तिहाई रूपया देना स्वीकार किया है, जो अपने लेने में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करें, परंतु प्रायः म्यूनीसिपैलटियों की आय के साधन इतने कम और उन की अन्य ज़ारूरतें इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का एक-तिहाई झार्च अपने लेने नहीं ले सकतीं। यही कारण है कि बहुत कम म्यूनीसिपैलटियों ने अपनी हड्ड में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रबंध किया है। ज़िला-बोर्डों की हालत तो और भी ख़राब है, ग्रामों में शिक्षा प्रचार की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है बहुत कम ग्रामों में अभी शिक्षा अनिवार्य की गई है। यदि यह महस्तपूर्ण कार्य इसी प्रकार चला तो यथोष्ट शिक्षा प्रचार के लिए सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। इस लिए प्रांतीय सरकारों को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य किए जाने का प्रबंध करना चाहिए।

हमारी समझ में, इस की सब से उत्तम विधि यह है कि सरकार प्रत्येक ज़िला-बोर्ड को ज़िले की मालगुज़ारी का एक-तिहाई भाग शिक्षा-प्रचार और अन्य कार्यों के लिए दे दिया करे। इस से वे अनायास ही अपने-अपने ज़िले में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर सकेंगे।

जिला-बोर्डों को स्वयं भी शिक्षा-प्रचार की ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी ऊँचे-ऊँचे अधिकारियों के बेतन और बाहरी टीप-टाप के मार्ग में बहुत कमी करने की ज़रूरत है। सर्व-साधारण्य को भी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकाधिक उद्योग करें।

धर्म—इस मह से ईसाई पादरियों को वेतनादि दिया जाता है। इस का उद्देश्य मुल्की तथा सैनिक ईसाई-पादरियों की नैतिक उन्नति है। विगत वर्षों में इस मह का मार्ग बढ़ कर ३३ लाख रुपए हो गया है, बृद्धि का कारण विशेषता बेतन का बढ़ना है। इस मह का मार्ग भारत सरकार द्वारा होता है, और इस पर व्यवस्थापक-मंडल को मत देने का अधिकार नहीं होता। यह ज्ञानन् द्वारा निर्धारित है। जब कि भारतवर्ष में हिंदू, सुस्लिम, पार्सी आदि और भी कई धर्म प्रचलित हैं, सरकार द्वारा एक विशेष धर्म के लिए कुछ मार्ग किया जाना सिद्धांत से सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है; या तो सरकार सभी धर्माधिकारियों के लिए मार्ग करे, अथवा एक विशेष धर्म के लिए किए जानेवाले मार्ग को भी बंद कर दे।

चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा—इस मह में इन विषयों का मार्ग सम्मिलित है:—

(अ) चिकित्सा—कार्यान्वय व्यय; सुपरिटेंडेंट; ज़िला-चिकित्सा अफसर, और अन्य कर्मचारी; अस्पताल और शफ़ाद्वाने; सामान; मकान-किराया; विविध कर्मचारियों का बेतन और भत्ता आदि; रोगियों के बच्चे और भोजन; चिकित्सार्थ सहायता; दाह्यां, सेवा-समिति, आयुर्वैदिक कालिज आदि; मेहिकल स्कूल और कालिज; पाराल-ज्ञाना; रासायनिक परीक्षक।

(आ) स्वास्थ्य-कार्यालय-व्यय; वेतन, भत्ता और सामान आदि; स्वास्थ्य के लिए सहायता; ज़िला-बोर्डों और अन्य संस्थाओं को; यात्रा के स्थानों को; नगरों या देहातों में स्वास्थ्य की उच्चति; प्लेग, मेलेरिया, और छूत की बीमारियों का निवारण।

भारतवर्ष में मूल्य-संख्या बहुत बढ़ी हुई है, महामारियों का मर्यादन प्रकोप है। गाँवों और शहरों के रोगियों की संख्या और अवस्था देखते हुए हस विमान में झर्च बहुत कम होता है। इस के बड़ाए जाने की ज़रूरत है। इस से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि सिर्फ़ डाकटर लोग ही अधिक संख्या में नियुक्त किए जाएं और अस्पतालों तथा शफाइजानों की ही संख्या बढ़ाई जाय। वैद्यों और हकीमों की भी योष्ट नियुक्ति की जानी चाहिए। गृहोष आदमियों को मुश्त कवाई देने के लिए काफ़ी औपधालय खुलने चाहिए। सेवा-समितियों को सहायता दे कर उन से भी बहुत काम कराया जा सकता है। देहातों में तो जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के प्रबंध की बहुत ही कमी है। सरकारी और गैर-सरकारी सभी प्रथलों की अवस्थकरता है।

कृषि—इस मह का झर्च इन विधयों में होता है:—

(अ) निरीचाण—अधीन कर्मचारी, पशुपालन, कृषि-प्रयोग; कृषि-इंजि-नियरिंग; कृषि-कालिज और अन्वेषण-शाला; अन्य निरीचक कर्मचारी; कृषि-फार्म, जुमाइश और मेले; वनस्पति-शाला, लिलों के और अन्य बाग़; कृषि-स्कूल।

(आ) पशु-संबंधी व्यय—निरीचाण; जुमाइश या मेलों में इनाम; अस्पताल और शफाइजाने; पशुपालन-क्रिया; अधीन कर्मचारी।

(इ) सहकारी शाखा—रजिस्ट्रार; डिप्टी और सहायक रजिस्ट्रार; ब्लॉक और नौकर; हिसाब की जांच; सफर का भत्ता; आक्रिमिक व्यय; छोटे नौकरों का वेतन; टाइप राइटर, किताब, कपड़े आदि।

जिन किसानों से सरकार प्रति वर्ष लगभग ३४ करोड़ रुपया माल-

गुज़ारी बसूल करती है, उन की भलाई के लिए केवल तीन करोड़ रुपए का खर्च बहुत कम है। किसान ही देश के अन्नदाता हैं, इस मह में कम से कम तिगुना तो ज्यय होना चाहिए।

पशुओं के संबंध में भी खर्च बढ़ाना चाहिए। पशु-चिकित्सा विभाग को स्थापित हुए कई वर्ष हो गए, तो भी अभी तक अनेक गाँवों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबंध करना बाज़ी है। सहकारिता के जाम अब जनता को प्रकट हो गए हैं, इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। कृषि-विभाग के प्रयत्नों पर ही किसानों की, और इस लिए अधिकांश देश की उन्नति निर्भर है। देश में प्रति वर्ष अनाज की भवंतर कमी रहती है। यदि कृषि-विभाग के आकसर गाँवों में जा कर आपनी देस-देख में किसानों को नए तरीकों से खेती करने को उत्साहित करें, और उत्तम बीज आदि की सहायता दें तो देश में अम की उपज सहज ही बढ़ सकती है। निस्सदैह इस काम के लिए कृषि-विभाग के आकसर देश-प्रेमी युवं अनुभवी होने चाहिए।

सन् १९३८-३९ से भारत-सरकार ने ग्रामोज्ञति के लिए विशेष ज्यय करना आरंभ किया है। उस वर्ष एक करोड़ रुपया इस कार्य के लिए निर्धारित किया गया, तथा अगले वर्ष बजट में बचत होने पर वह भी इसी मह में जागाने का विचार किया गया। सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली रकम का परिमाण, विशाल ग्राम-चेन्न तथा ग्राम-जनता की दृष्टि से बहुत ही कम है। परंतु इसका भी सम्यक् उपयोग नहीं होता। अधिकतर रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आदि में, तथा कुछ दिखावटी कामों में खर्च होता है। लोक-प्रतिनिधियों तथा जन-सेवकों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता, और जो ज्यकि सेवा-भाव से ग्राम-कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति या सहायता नहीं दी जाती। यही कारण है कि कृषि-विभाग द्वारा किए जानेवाले खर्च से कृपकों को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता।

उद्योग-धर्घे—इस सद में खुर्च इन विषयों में होता है—निरीक्षण, उद्योग-धर्घों को सहायता, अन्वेषण-संस्थाएँ, उद्योग और शिल्प-संस्थाएँ, औद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खुर्च होनेवाला खुर्च ।

इस विभाग में भी खुर्च बहुत कम होता है। उद्योग-धर्घों को प्रोत्साहन देने के लिए खुर्च बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इस विभाग के कर्मचारी जनता के अधिक संपर्क में आएं और मितव्य-यिता-पूर्वक लगान से काम करें, तभी यथेष्ट लाभ हो सकता है। महात्मा गांधी के अखिल-भारतीय चर्चा-संघ ने ग्रामोद्योगों की उन्नति के लिए बड़ा उपयोगी काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को इस से शिक्षा लेनी चाहिए तथा इस विभाग के खुर्च से जनता को अधिकतम लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए।

सिविल निर्माण-कार्य—इस सद के केंद्रीय भाग में भारत-सरकार से संबंध रखनेवाली इमारतें, तथा दृष्टर, एवं समुद्रों में रोशनी-धर¹ आदि बनाने तथा उन की मरम्मत करने का व्यय समिलित है, और प्रांतीय सिविल निर्माण-कार्य के खुर्च में निश्चलिखित खुर्च होता है— नई इमारतों का खुर्च, नई सड़कों का खुर्च, सड़कों और इमारतों की दुरुस्ती का खुर्च, अफसरों का बेतन और आफिस खुर्च, औजार इत्यादि खुरीदने का खुर्च, न्युनीसिपैकिटी, ज़िला-बोर्ड और क़स्बों की इमारतों के लिए दी जानेवाली रकम, स्वास्थ्य-रक्षा के लिए निर्माण-कार्य, इमारतें तथा पुल आदि ।

- ‘ इस विभाग में बहुधा इमानदारी का काम नहीं होता ।
- यथेष्ट सावधानी बर्तने से बड़ी बचत हो सकती है, और उस बचत में कुछ और रुपया भिका कर ज़िला-बोर्डों की वे नई सड़कें बनवाई जा सकती हैं, जिन की व्यापार अथवा आमदोरफ्रत के लिए अत्यंत आवश्यकता है और जो धनाभाव के कारण नहीं बनवाई जा रही है ।

सुद्रा, टकसाल और विनिमय—इस मद के केंद्रीय हिसाब में, हन विपणों के कार्यालयों तथा टकसालों को चलाने का खुर्च शामिल है। विनिमय की कानूनी दर एक शिक्किंग छः पेस फ़ी रुपया है। इस प्रकार इंग्लैंड में भारतवर्ष-संबंधी जो खुर्च होता है, उसे तुकाने के लिए एक पौँड पीछे, तेरह रुपए पाँच आने वार पाई दिया जाता है। जब कभी यह दर पिर जाती है, उदाहरण के लिए फ़ी रुपया एक शिक्किंग चार पेस हो जाती है, और प्रति पौँड १५ रु० देने पड़ते हैं, तो इस से जो जति होती है, वह विनिमय की मद के खुर्च में ढाल दी जानी है। (यदि विनिमय की दर बढ़ जाय तो उस से होनेवाला लाभ, विनिमय की आय में शामिल किया जाता है।)

इस मद के प्रांतीय हिसाब में अधिकांश केवल विनिमय-संबंधी खुर्च ही होता है। विनिमय की दर से जब प्रांतों को हानि होती है, तो वह इस मद के खुर्च में दिखाई जाती है।

सातवाँ परिच्छेद

व्यवसायिक कार्यों का व्यय

व्यवसायिक कार्य—भारतवर्ष में सरकार द्वारा किए जानेवाले व्यवसायिक कार्य निम्नलिखित हैं—रेल, डाक और तार, जंगल, नहरें, तथा स्वेशनरी और छापाखाना।

रेल—सन् १९२५ ई० से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से पृथक् रखा जाने लगा है। रेलों का काम यहाँ सन् १९४९ ई० से प्रारंभ हुआ। आरंभ में उन का प्रबंध और संचालन विविध कंपनियों द्वारा होता रहा। सरकार ने उन के लिए एक निर्धारित लाभ की ज़िम्मेदारी के स्थी थी, अतः उन्होंने मितव्ययिता से काम नहीं किया। बहुत-सा खर्च अंधाखुंध कर दिया। कालांतर में बहुत सी लाइनें सरकार ने ख़रीद ली, इन में कुछ का प्रबंध वह स्वयं करती है, और कुछ का कंपनियों के ही हाथ में है। प्रबंध करनेवाली कंपनियों को शर्तनामे के अनुसार मुनाफ़ा तथा सूद मिलता है।

रेल की मद में निम्नलिखित व्यय होता है:—

- (क) सरकारी रेलों का खर्च, जग्य पर सूद, कंपनियों की जगाई पूंजी पर सूद, रेलों के खरीदने के लिए वार्षिक वृत्ति, उति-पूर्ति-निधि।
- (ख) सहायता-दत्त कंपनियों-संबंधी खर्च।

किफायत कमेटी ने सन् १९२२ ई० में लाइनें उखाइने और फिर से बैठाने की फ़ज़ूलाख़र्ची की आलोचना की, और ऐसी लाइनों के खर्च की ओर विशेष रूप से ध्यान दिखाया, जिन से उस समय मुनाफ़ा नहीं

होता था। कमेटी ने बतलाया कि कितनी ही लाइनों में भ्रमरत से झायादा इंजिन और डिव्हे रखे गए हैं, उस की सिफारिश थी की वे मुनाफ़े की लाइनों का ख़र्च घटाया जाय। सब रेलों में काम चलाने का ख़र्च, इस हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी पूँजी लगाई है, उस पर भासूली हालत में कम से कम ४॥ फ़ी सदी मुनाफ़ा हो। उच्च कर्मचारियों का चेतन घटाने तथा आवश्यक सामान भारतवर्ष में ही बनवाने से भी इस मह में बचत की जानी चाहिए।

डाक और तार—इस मह के अध्यय में अधिकांश इस कार्य में लगाई हुई पूँजी का सूद ही है। इस विभाग संबंधी विशेष बारें आगे इस से होनेवाली आय के प्रसंग में कही जायेगी।

जंगल—इस मह में निज विधियों के ख़र्च का समावेश है—संचालन-अध्यय; चौक रंगरबेद, बलर्क, नौकर, डेरे आदि का अध्यय; जंगलों की रक्षा, और विस्तार; पशु, स्टोर, और्जार, पुल आदि; जंगल से लकड़ी और दूसरी पैदावार लाने का ख़र्च; अफसर, नौकर, बलर्क आदि का चेतन; कार्यालय-अध्यय आदि।

अन्य विभागों की भाँति इस में भी बड़े-बड़े अफसरों का चेतन और संस्था कम करने से बचत हो सकती है।

आवपाशी—इस मह में निजलिखित अध्यय सम्मिलित होता है:—
(१) पुरानी नहरों के चालू रखने का ख़र्च (२) नहरों में लगी हुई पूँजी का व्याज (३) नई नहरों का ख़र्च।

सरकार नहरों का काम फ़रमाश: वह रही है, यह अच्छी बात है, इस से किसानों को लाभ होता है और सरकार को भी बड़ी आमदनी होती है। इस कार्य के बराबर बढ़ते रहने की अभी बहुत भ्रमरत है।

स्टेशनरी और छापाखाना—इस का व्यौरा इस प्रकार है:—
सरकारी और जेल के प्रेस के सुपरिंटेंट और अन्य कर्मचारियों का

वेतन और अलाउंस, प्रेस की मशीन और सामान, गोदाम, जिल्हे बँधाई, दाढ़प ढाकना आदि आदि; सेशनरी जो सरकारी स्टोर से ली गई।

विशेष वक्तव्य—व्यय की महों में अब केवल जट्ठण का सूद रहता है। इस विषय का सविस्तर विचार अन्यत्र यूक्त स्वतंत्र परिच्छेद में किया जायगा।

आठवाँ परिच्छेद

आय के साधन

प्राक्षयन—जब से राजा और प्रजा का संवंध होने लगा, सभी से राजा को अपने सुख्य आयवा गौण सभी कायां को करने के लिए धन की आवश्यकता होने लगी। इसी लिए राजा को प्रजा से धन मिलने लगा। राजा को मिलनेवाले इस धन का स्वरूप देश-काल के अनुसार बदलता रहा है। पहले एक समय ऐसा भी रह चुका है कि प्रजा राजा को उस के विविध कायां के लिए स्वयं ही धन दे दिया करती थी। अब राजा कर या दैक्षण्य लगा कर तथा अन्य प्रकार से आवश्यक धन बसूल करता है।

राय की आय के साधन—शाज़ कल राज्य की आय के निम्नलिखित साधन होते हैं:—

- (१) स्वयं सरकार द्वारा अधिकृत तथा प्रबंधित संपत्ति, नज़ूल ।
- (२) उच्चरायिकारी के विना भरनेवाले व्यक्तियों की संपत्ति ।
- (३) शुद्ध आदि के लिए, जोगां का स्वच्छ-पूर्वक दिया हुआ दान ।
- (४) चंडा या सहायता, और जब्त किया हुआ माल ।
- (५) महसूल या किराये-माडे आदि से होने वाली व्यवसायिक आय ।
- (६) फ़ीस या शुल्क ।
- (७) कर ।

इन में से प्रथम तीन साधनों के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं है। शेष के संवंध में कुछ विचार आगे किया जाता है।

ज्ञात किया हुआ माल और जुर्माना—कुछ घोर राजद्रोह आदि के अपराध करनेवाले व्यक्ति का माल सरकार द्वारा जब्त किया जाता है। यह बहुत कम दशाओं में होता है, पर जब भी होता है, तो यह सरकारी आय का साधन बनता है, यद्यपि इस का मूल्य उद्देश्य आय-प्राप्ति नहीं होता, अपराधी व्यक्ति को दंड देना होता है। जुर्माने की बात अपेक्षा-कृत साधारण है। जब कोई व्यक्ति राज्य के ग्रान्टों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड या जुर्माना, अथवा दोनों होते हैं। सरकारी कर समय पर न खुक्ने की दशा में भी जुर्माना होता है। कभी-कभी कुछ व्यक्तियों के अपराध के कारण गाँव या नगर भर पर जुर्माना किया जाता है। जुर्माने का उद्देश्य आय नहीं होता, यद्यपि इस से आय होती है। उद्देश्य का विचार करते हुए, यह करों के अंतर्गत नहीं माना जाता, पर कुछ लोग इसे कर मानते भी हैं।

महसूल या क्रिराए-भाड़े आदि की आय—अंगरेजी में इस के लिए 'ट्रेडस' शब्द है। यह एक प्रकार से व्यवसायिक आय है। सरकार जनता के लिए कुछ कार्य पेसे करती है, जिन्हें आदमी अलग-अलग नहीं कर सकते, या जिन के लिए बहुत अधिक पैंजी की आवश्यकता होती है। ये कार्य सरकार के मूल्य कारों में से नहीं होते, गौण होते हैं। जो व्यक्ति इन कारों से लाभ उठाता है वह उस का मूल्य अर्थात् महसूल या क्रिराया भाड़ा आदि कहता है। ये कार्य देश-काल के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ देशों में रेल, लहाज़, नहर, डाक, तार, आदि पर राज्य का अधिकार होता है। रेलों का प्रबंध कहीं तो सरकार स्वयं करती है और कहीं कंपनियों को नियम समय के लिए ठेका दे दिया जाता है। पीछे वे राज्य की हो जाती हैं। कंपनियाँ व्यापारिक ढंग से काम चलाती हैं, अतः साधारणतया मितव्ययिता होती है, परंतु वे जनता के हित का ध्यान कम रखती हैं। यदि पूर्वोक्त व्यापारिक कारों से मुनाफ़ा होता हो, तो यह स्पष्ट ही है कि इन कारों के संचालन में जितना व्यय

होता है, उस की अपेक्षा प्रजा से धन अधिक वसूल किया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि राज्य की यह आय भी कर समझनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के कार्यों में व्यार्थ होती है, यदि यह आय न हो, तो राज्य अन्य प्रकार के करों से प्रजा से आय प्राप्त करके आपना कार्य चलाता।

कुछ आदमी इस आय को बहुत अच्छा समझते हैं, कारण कि यह उन लोगों से वसूल की जाती है जो इसे देना सहन कर सकते हैं। परंतु यदि फैज़ूल व्यार्थ होती हो या मुनाफ़ा अधिक रहता हो तो यह आय भी प्रजा को बहुत दुखद हो जाती है, और इस से व्यापार आदि में बाधा हो सकती है। भारतवर्ष में ऐसे और जहाज़ों की कंपनियाँ बहुत पश्चात करती हैं और यहाँ के कई माल की निर्यात और विदेशी तैयार माल की आयात पर अपेक्षाकृत कम महसूल ले कर उन्हें उत्तेजित करती है, और भारतीय उद्योग-धर्घों के लिए धातक होती हैं।

डाक और तार की आमदनी भी इसी प्रकार की है। डाक द्वारा बहुत से आदमी पुस्तकें या अख्यातार आदि भी मँगाते हैं, इस लिए इस का शुल्क अधिक होने पर शिक्षा और साहित्य में बाधक होता है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतवर्ष में काढ़ और लिफाफे का मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम है, परंतु यहाँ के जन-साधारण की आर्थिक स्थिति का विचार कर जैने पर उक्त कथन अस्पृश्य सिद्ध हो जाता है।

फ्रीस या शुल्क—यह न्याय, शिक्षा, इलिस्टरी करने या पेटेंट देने आदि कुछ विशेष कार्यों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लिया हुआ धन है। यह उसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से लिया जाता है, जो उक्त किसी कार्य से काम उठाना चाहता है। इस का 'अनिवार्य रूप' समझने के लिए जानना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई अदालत में ही अपने मुक़दमे का फ़ैसला करना होगा जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित हो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की शिक्षा

संबंधी डिग्री सनद् या डिप्लोमा सरकार तभी मान्य करती है, जब कि उस ने सरकारी या सरकार-संबद्ध संस्था में शिक्षा पाई हो, या परीक्षा दी हो। इस लिए शिक्षा-संबंधी योग्यता को सरकार से मान्य कराने के लिए उक्त संस्थाओं की फ़ीस या शुल्क देना अनिवार्य है। साधारणतया इस का परिमाण किए हुए कार्य की तुलना में कम रहता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के चलाने में जितना ख़र्च पड़ता है, उस स्कूल में पढ़नेवालों की फ़ीस उस अनुपात से कम ही रहती है। भारत-वर्ष में न्याय-शुल्क ख़र्च की अपेक्षा कहीं अधिक है, इस से सरकार को काफ़ी आय होती है।

करों के संबंध में आगे लिखा जायगा। उन में और फ़ीस में यह अंतर है कि कर उन कामों के वास्ते लिए जाते हैं, जिन का संबंध व्यक्ति विशेष से न हो, जो सब के लिए समान-रूप से लाभदायक समझे जाते हैं; इस के विपरीत, फ़ीस केवल उन व्यक्तियों से ली जाती है, जो फ़ीस के उपलब्ध में प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाते हैं।

कर—आज कल राज्यों की अधिकांश आय करों द्वारा ही प्राप्त होती है। भिन्न-भिन्न लोगों ने समय-समय पर ‘कर’ की परिभाषा पृथक्-पृथक् की है। साधारणतया निम्नलिखित परिभाषा की जा सकती है—“कर, सार्वजनिक अधिकारियों को सरकार के उन कार्यों के लिए वाध्य-रूप से दिया हुआ धन है, जो सार्वजनिक हित के लिए किए जाँय, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के लाभ के लिए नहीं।”

इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं—

१—सार्वजनिक अधिकारियों में केंद्रीय, प्रांतीय यद्वं स्थानीय सब अधिकारी सम्मिलित हैं। अतः देहातों या ज़स्तों से स्थानीय कार्यों के लिए लिया हुआ धन भी कर है।

२—जो धन लिया जाता है, वह सार्वजनिक हित के लिए ख़र्च किए जाने के लिए है, किसी व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष अथवा

समाज-विशेष के स्वार्थ-साधन के लिए नहीं। राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस विषय में पहलात से काम न ले और किसी विशेष समुदाय के लिए बहुत-सा धन न ड़ा दे। बहुधा स्वाधीन देशों में भी राज्य अपनी धनी या धर्माधिकारी (पुरोहित आदि) प्रजा के प्रभाव में रहता है। फिर पराधीन देशों का तो कहना ही क्या, उन में तो राज्य का पदे-पदे शासक जाति से प्रभावित होना सभव है।

निस्संदेह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हैं जिन से उस के ग्रन्थक व्यक्ति को लाभ हो, परंतु यदि किसी कार्य से अधिकांश जनता का हित हो और उस से लाभ उठाने में शेष जनता के लिए कोई बाधा न हो तो उस काम को सार्वजनिक कह सकते हैं। इस के विपरीत, यदि किसी कार्य से बहुत योहे-से आदमियों का हित होता हो, शेष उस का उपयोग न कर सकें, और उन के लिए राज्य ने वैसा कोई दूसरा कार्य भी नहीं करा रखा हो, तो इस कार्य को सार्वजनिक कहना जनता को धोखा देना है। हाँ, निर्वन रोगी और अंगहीन प्रजा की रक्षा का कार्य सार्वजनिक माना जाता है।

कोई कार्य सार्वजनिक है या नहीं, इस बात की जाँच करने का यह एक स्थूल नियम दिया गया है, परंतु कभी-कभी अबी जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है। सुयोग्य न्यायाधीश ही अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि कौन-सा कार्य सार्वजनिक है और कौन-सा नहीं, इस लिए यह निर्णय करने का काम उन्हीं पर रहना चाहिए। भारतवर्ष में और तो और, इसाई धर्म-संबंधी (प्रूलेज़िएस्टिकल) खुचं भी प्रति वर्ष सार्वजनिक माना जाता है और व्यवस्थापक-सभा उस पर अपना मत नहीं दे सकती।

३—कर, अंततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिए जाते हैं। भोजन, दख आदि के कर कहने को तो पदार्थों पर लगाए जाते हैं, परंतु

इन के जुकानेवाले होते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ही।

४—‘बाध्य-रूप से’ कहने से अभिप्राय यह है कि कर देने में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह स्वतंत्र नहीं है। वे किसी निरिचत कर को देना चाहें या न चाहें, उन्हें वह देना ही पड़ेगा। जब राज्य प्रजा के यथेष्ट प्रति-निधियों द्वारा पूर्ण-रूप से निर्यन्त्रित हो तो इस में विशेष अनौचित्य भी नहीं। परंतु जब कोई कर इस तरह का है, जिसे देश के बहुत से आदमी पर्सद नहीं करते, या जब कर से वसूल किया हुआ रूपया इस प्रकार व्यय होता है कि प्रजावागं के बहुत से आदमी उस के विरोधी हों, तो यह बाध्यता खटकती है।

विदित हो कि आधुनिक काल में कर अनिवार्य करने में मूल उद्देश्य यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पड़े। यदि किसी आदमी को इस से मुक्त कर दिया जावे तो उस के हिस्से का कर-भार दूसरों पर पड़ेगा; इस लिए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति से कर अनिवार्य रूप में ही लेना न्यायानुमोदित है।

५—‘धन’ से यहाँ अभिप्राय केवल प्राकृतिक या भौतिक पदार्थों से ही नहीं। अनिवार्य-रूप से सैनिक सेवा या बेगार लेना अथवा अन्य कार्य करना भी पहले चिरकाल तक कर का ही एक स्वरूप माना गया है। अब भी युद्ध-काल में सैनिक-सेवा लिया जाना न्याय-विलम्ब नहीं समझा जाता। हाँ, साधारण परिस्थिति में भी अनेक स्थानों में जो बेगार जी जाती है, वह सर्वथा अनुचित और न्याय-विलम्ब है।

विशेष वक्तव्य—स्मरण रहे कि ‘कर’ प्रजा से वसूल किए जाते हैं, और प्रजा के लिए वसूल किए जाते हैं। अतः प्रजा को वह जानने का अधिकार है कि करों के रूप में जो धन राज्य संग्रह करता है, वह किन-किन कार्यों में व्यय किया जाता है।

राज्य-कर का आधार संपत्ति पर जोगों का व्यक्तिगत अधिकार होना

है। यदि समस्त पदार्थों पर राज्य का ही स्वामित्व हो, तो व्यक्तिगत आय न हो, फिर करों की भी ज़रूरत न रहे; कारण उस दशा में सब आय सरकार की होगी, वही सब प्रकार का ज़रूर भी करेगी। उसी में उन कार्यों के लिए किया हुआ ज़रूर भी आ जायगा, जिन के लिए वह कर लेती है।

राज्य की आय के साधनों संबंधी प्रारंभिक बातों का वर्णन कर चुकने पर, अब आगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया जायगा कि कर निर्धारित करने के नियम क्या हैं, और उन का किस प्रकार अथवा कहाँ तक पालन होता है। आय के अन्य साधनों के विषय स्पष्ट ही हैं, उन के संबंध में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं।

नवां परिच्छेद

कर-संबंधी सिद्धांत

प्राक्कथन—हम पहले कह आए हैं कि चिरकाल से राजा लोग अपनी प्रजा से कर लेते रहे हैं। देश की भिन्न-भिन्न परिस्थिति के अनुसार कर-संबंधी नीति बदलती रही है। आधुनिक अर्थशास्त्र-वेत्ताओं ने इस विषय का विशेष विचार अठारहवीं शताब्दी के अंत में किया है।

आडम स्मिथ के नियम—कर लगाने के संबंध में अर्थशास्त्र के प्रवर्तक मिं। आडम स्मिथ के चार नियम प्रसिद्ध हैं। यद्यपि इन की व्याख्या में बहुत विवादों का भिन्न-भिन्न तर्क होता है और उन्हें पूर्णतः पालन करना कठिन है, तथापि इन के समुचित विवेचन से राजा और प्रजा दोनों का लाभ है, कर-दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है और राज्य को अधिकतम आय प्राप्त हो जाती है। अतः पहले इन नियमों को जान लेना उपयोगी होगा।

पहला नियम, समानता—“प्रत्येक राज्य के आदमियों को राज्य की सहायता के लिए यथा-संभव अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुपात में कर देना चाहिए, अर्थात् उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो राज्य-संरक्षण में उन में से प्रत्येक को प्राप्त है।”

उपर्युक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित किए जायें कि प्रत्येक कर-दाता को समान स्वार्थ-स्वाग करना पड़े। भिन्न-भिन्न आदमियों को कर देने में जो कष्ट अनुभव होता है, उस की ठीक-ठीक माप बहुत कठिन है; इस लिए कर को इस प्रकार लहराना कि सब को

समान कष्ट हो, बहुत कठिन है। संसार में आपवाद् तो प्रायः हर एक बात में मिल जाते हैं, तथापि अधिकांश आदमियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि केवल जीवनोपयोगी पदार्थों के प्राप्त करने के ही बोग्य आय रखनेवाले को कुछ त्याग करने में बहुत कष्ट होता है, और उस से अधिक आयवाले आदमी को उतना ही त्याग करने में अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है। उदाहरणार्थ दो परिवारों में पाँच-पाँच आदमी हैं उन में से पुक परिवार की वार्षिक आय दो हजार रुपए हैं (जो उस के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक समझी जाती है) और दूसरे परिवार की, हस से अधिक, इत्यांतवत् चार हजार रुपए है। यदि दोनों परिवारों को कर-स्वरूप ३०।३० रुपए राज्य-कोष में देने पड़े तो कर की मात्रा प्रकट में बराबर दीखने पर भी पहले को कर-भार बहुत अधिक मालूम होगा। अच्छा, यदि दो हजार रुपए की आय वाले पर तीस रुपया और चार हजार रुपए की आय वाले पर साठ रुपया कर रहे, तो क्या दोनों को कर-भार समान प्रतीत होगा? संभवतः चार हजार रुपए की आयवाले परिवार को साठ रुपया देना इतना न अखरते, जितना दो हजार रुपए की आयवाले परिवार को तीस रुपया देना अखरता है; क्यों कि चार हजार रुपए की आयवाला अपनी विकासिता की पुकार सामग्री के उपभोग का त्याग करके अपना कर खुका सकता है; हस के विपरीत, दो हजार वाले को अपनी जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है।

इस विचार से कर बद्धमान होना चाहिए; अर्थात् कर-दाता की आय जितनी अधिक हो, उस पर कर उतनी ही अधिक जँची दर से लगे। यह आवश्यक नहीं कि ग्रत्येक ही कर बद्धमान हो, विविध ग्रकार के सब करों को मिला कर हिसाब लगाने में ही इस नियम का व्यवहार किया जा सकता है। बहुत से उदाहरणों में ग्रामीण लोगों पर जीवनोपयोगी पदार्थों का कर तो अमीर लोगों के समान ही पड़ता है, परंतु अमीरों पर विकासिता के पदार्थों का कर ज्यादा होने से, उन से लिए हुए कुल करों

का योग जँची दर से चलूल किया हुआ सिद्ध होता है।

मिठा आडम सिसय ने इस नियम में कहा है कि आदमियों को अपनी उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए, जो राज्य-संरक्षण में उन्हें पृथक्-पृथक् प्राप्त है। इस से यह ध्वनि निकलता है कि आदमियों को राज्य से जितना लाभ पहुँचता है, उस के बदले में उसी अनुपात से उन्हें राज्य को कर देना चाहिए। इस विषय में बहुत वाद-विवाद हुआ है। मिठा बाकर का कथन है कि राज्य-संरक्षण से अधिकतर लाभ तो दुर्बल और रोगी आदि पाते हैं और ये लोग राज्य-संरक्षण के अनुपात से कर देने में सर्वथा असमर्थ हैं। साथ ही यह हिसाब लगाना भी तो बहुत कठिन है कि भिज्ञ-भिज्ञ व्यक्तियों की जान और माल का राज्य द्वारा कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस नियम के इस अंश के अनुसार व्यवहार होना दुस्साध्य है।

अब तनिक यह विचार करें कि कर की भान्ना कर-दाता की आय के अनुपात से होने की बात भारतवर्ष में कहाँ तक चरितार्थ होती है। यह सर्व-विदित है कि भारतीय किसान पर भू-कर का भार इतना अधिक होता है कि बेचारे के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी खाने-पहनने की सामग्री नहीं बचती, उसे अपनी आयु-पर्यंत जग्गा-ग्रस्त रहना होता है, तथा अपने उत्तराधिकारियों के लिए अधिकाधिक जग्गा को विरसत में छोड़ना पड़ता है।

किसानों से दूसरे दर्जे पर, अधिक कर-भार नगर में रहने वाले निधन व्यक्तियों पर रहता है, इन्हें नमक आदि अपनी जीवन-निर्वाह की वस्तुओं पर कर देना पड़ता है, इस से ये प्रायः उक्त वस्तुओं को यथेष्ट भान्ना में प्राप्त ही नहीं कर पाते।

सब से कम कर-भार होता है जमीदारों और ताल्लुकेदारों आदि उन

धनी या माल्यमिक श्रेणी के व्यक्तियों पर जो किसानों द्वारा उत्पन्न कृषि-आय को प्रायः बिना कुछ भी श्रम किए प्राप्त करते रहते हैं।

इन से दूसरे वर्जे पर, कम कर-भार मध्य श्रेणी के और कृषकों अर्थात् साहूकार या महाजनों पर है, जो देहातों में रहते हैं।

इस प्रकार भारतवर्ष को कर-प्रणाली पूर्वोक्त समानता के सिद्धांत के विचार से बहुत दूषित है। इस में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भू-कर को काफ़ी घटाने, या उस की जगह भूमि की आमदनी से भी अन्य आय की भाँति आय-कर लेने, नमक-कर को बिल्कुल हटाने, साहूकारों की बड़ी आय पर विशेष कर लगाए जाने आदि अनेक बातों की ज़रूरत है।

दूसरा नियम; स्पष्टता और निश्चितता—“किसी व्यक्ति को जो कर देना पढ़े वह निश्चित हो, अंधारुद्ध न हो। कर देने वाले तथा अन्य आदमियों को कर देने का समय और कर की मात्रा स्पष्ट-रूप से मालूम होनी चाहिए।”

यह नियम समझना आसान ही है। कर देने का समय और कर की मात्रा, कर वसूल करनेवाले की इच्छानुसार बदल जाना उचित नहीं है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट और निश्चित न रहेगी तो अधिकारी कुछ अधिक कर वसूल करके स्वयं खा सकता है। पुनः यदि कर देने का समय पहले से मालूम न हो तो कर-दाता अपने कर की रकम समय पर तैयार न रख सकेगा और अधिकारियों का समय बूथा नष्ट होगा।

इस स्पष्टता-संबंधी नियम के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष होना चाहिए। परोक्ष कर कोई रहे ही नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का विवेचन अगले परिच्छेद में किया जायगा। परंतु आज-कला प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परोक्ष कर लेता ही है। हृगलैंड में लगभग २० फ़ी सदी

कर परोक्ष होता है, भारत में तो और भी अधिक। इस नियम का यह भी आशय है कि राज्य, प्रजा से किसी प्रकार का उपहार या मैंट आदि न ले, क्यों कि वह परोक्ष कर में गिना जायगा।

तीसरा नियम; सुविधा—“प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी विधि से वसूल किया जाना चाहिए कि कर देनेवालों को अधिकतम सुविधा हो।”

इसी नियम के अनुसार बहुधा पदार्थों की थोक जिसों पर ही कर लगाया जाता है, फुटकर जिसों पर नहीं, क्योंकि इस से उस के पक्कन करने में बहुत असुविधा होती है।

यद्यपि अंततः प्रत्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उस पदार्थ के उपभोक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभोक्ता से लिया जाय तो एक तो वह फुटकर-रूप में वसूल करना बहुत कठिन होगा; दूसरे संभव है, कर का प्रत्यक्ष अनुभव कर के कुछ उपभोक्ता उस पदार्थ को खरीदें ही नहीं। इस लिए पदार्थों पर लगाया हुआ कर उपभोक्ताओं से व लिया जाकर थोक दूकानदारों (वेचने वालों) से वसूल कर लिया जाता है।

प्रत्येक कार्य किसी ग्रास समय में ही बड़ी सुविधा से हो सकता है। ग्रास समय पर ही कर देने में बहुत सुविधा होती है। किसानों को लगान देने की सुविधा उस समय होती है जब उन की फसल तैयार हो कर उपज संग्रह कर ली जाय।

चौथा नियम; मितव्ययिता—“प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि राज्य-कोष में आने वाली रकम से ऊपर कर-दाताओं के पास से न्यून से न्यून धन लिया जावे।”

इस का आशय यह है कि प्रजा से वसूल की हुई कर की आमदनी का अधिक से अधिक भाग सरकारी खजाने में जमा हो जाय; अर्थात्

कर बसूल करने का स्वर्चं कम से कम हो, बहुत अधिक अधिकारियों को केवल इसी काम के लिए न रखना पड़े।

इंगलैण्ड में कर बसूल करने का स्वर्चं कुल आय का केवल तीन फी सदी से अधिक नहीं होता। परंतु भारतवर्ष में यह पाँच फी सदी से भी अधिक हो जाता है। इस के दों कारण हैं :—(क) यहाँ बहुत से आदमियों से थोड़ा-थोड़ा कर बसूल करना होता है, जब कि इंगलैण्ड आदि अन्य देशों में योड़े से आदमियों से बहुत अधिक कर बसूल हो जाता है। (ख) यहाँ कर बसूल करनेवाले उच्च अधिकारियों का वेतन बहुत अधिक है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उच्च पदों पर भारत-वासियों की नियुक्ति हो और वेतन का परिमाण साधारण हो। इस से इस मित्रव्ययिता के नियम का सम्यक् पालन हो सकता है।

पूर्वोक्त नियम के अंतर्गत यह बात भी आ जाती है कि कर प्राप्त देश के कहे पदार्थों पर न लगाया जा कर विक्री के लिए तैयार किए हुए माल पर ही लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर रुप्ते पर न लगा कर उस के बने हुए कपड़े आदि पर लगाना अच्छा होगा। कपड़ा बनने तक रुप्ते कहे सौदागरों के हाथों से गुज़रती है। यदि रुप्ते पर कर लगा तो कर-दाताओं को तो बहुत हानि होगी और सरकारी कोष में रुपया कम पहुँचेगा। कल्पना करो कि “क” ने रुप्ते पर १००० रु० कर दिया तो जब वह इसे “ख” को देवेगा तो अपनी रुप्ते पर लगी हुई रकम और उस का मुनाफ़ा लेने के अतिरिक्त यह १००० रुपए की रकम और हम का सूद भी लेगा। यदि सूद की दर उस फी सदी हुई तो वह “ख” से सूद-सहित ११०० रु० और लेगा, इसी प्रकार “ख” अपने ग्राहक “ग” से १२१० रु० और लेगा। इस तरह असली कर की रकम पर चक्रवृद्धि व्याज (सूद पर सूद) लगता रहेगा। संभव है, अंतिम ग्राहक को २००० रु० के लगभग और लेने पड़ें, जब कि सरकारी खज़ाने में केवल एक

हजार रुपए ही पहुँचे हैं। इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्थों पर कर न लगाए जाने का नियम हो, और कर केवल तैयार माल पर ही लगाया जावे।

स्मरण रहे यह बात हम ने देश के अंतरिक व्यापार के संबंध में ही कही है। नियोत के कच्चे पदार्थों पर कर लगाया जाना बहुत जाभकारी होता है, उस से देश के उद्योग-धर्घों को उत्तेजना मिलती है।

कुछ अन्य नियम—मि० आडम स्मिथ के नियमों का वर्णन हो चुका। इन के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारनीय नियम ये हैं :—

१—करों की संख्या अधिक होने से उन का भार अपेक्षाकृत कम भालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो तो करों की संख्या बढ़ाना उत्तम होगा। तथापि बहुत छोटे-छोटे करों का लगाया जाना उचित नहीं, उन के वसूल करने में झार्च और परिश्रम बढ़ेगा। किसी एक कर का भार भी इतना अधिक न हो कि वह असम्भव हो चले।

२—कर निर्धारित करने का सब से अच्छा ढंग वह है जो यथेष्ट खोचदार हो, जो देश की सुख-समृद्धि की वृद्धि के साथ करों से होने वाली आय को बढ़ा दे और उस के कम होने के साथ इसे घटा दे। कर सदैव देश-काल की परिस्थिति के अनुसार घटते-बढ़ते और बदलते रहने चाहिए।

उत्तम कर—जिस कर से बचा नहीं जा सकता, जो कूसरे पर ढाला नहीं जा सकता, जो सामर्थ्य के अनुसार वसूल किया जाता है, जिसे देने में सुभीता हो, वह कर कर-दाता की दृष्टि से उत्तम समझा जाता है।

जिस कर का उद्योग-धर्घों पर अनुचित दबाव नहीं पड़ता, जिस में किसी उद्योग-धर्घे का पहचान नहीं होता, जिस से धन-वितरण की

समस्या बढ़ने के स्थान में घटे, जिस की रक्षा उत्तर्च करने से सामुद्रिक लाभ उत्तर दशा की अपेक्षा अधिक हो जब कि वह पृथक् सार्व किया जाय, पेंदा कर समाज की दृष्टि से उत्तम होता है।

राज्य की दृष्टि से जो कर परिमाण में सुनिश्चित हो जिस के वसूल करने में मितव्ययिता में हो, जिस के लगाने का समय निश्चित हो, और जिस से आय होती हो, पेंदा कर उत्तम होता है।

दसवाँ परिच्छेद करों के भेद

पिछले परिच्छेद में कर-संबंधी सिद्धांतों का विवेचन हो चुका है। अब हम करों के भेद आदि कुछ अन्य आवश्यक बातों पर विचार करते हैं।

एकाकी कर (सिंगल टैक्स) — आजकल साधारण आदमी भी यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के होते हैं, और एक ही कर से काम नहीं चल सकता। तथापि समय-समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के पक्ष में रहे हैं। इस में कई दोष हैं। इस से होनेवाली आय सुगमता-पूर्वक नहीं बढ़ाई जा सकती। जिस श्रेणी के पदार्थों या जिस प्रकार की आय पर यह कर लगाया जाय, यदि उस से यथेष्ट धन-संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगह से उस की पूर्ति करने की सुविधा नहीं होती। इस प्रणाली से उच्चोग-धनों की उच्चति के लिए या माद्रक पदार्थों का व्यवहार कम करने के लिए विविध प्रकार के कर नहीं लगाए जा सकते। दरिद्र और समृद्ध जनता से एकाकी कर उचित मात्रा में बसूख नहीं किया जा सकता। अस्तु, यह प्रणाली व्यवहार में लाना अस्त्यंत असुविधा-जनक है।

आधुनिक राजस्व-नीति में यह विचार रक्खा जाता है कि करों से राज्य को आमदानी तो यथेष्ट हो जावे, परंतु कर देने वालों को करों का भार यथा-संभव कम प्रतीत हो। इस विचार से दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं, (१) प्रस्त्यज (डाइरेक्ट) कर और (२) परोक्ष (इनडाइरेक्ट) कर।

प्रत्यक्ष कर—वह कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो उसी आदमी से किया जाता है, जिस पर उस का धोक्हा डालना अभीष्ट हो। यह कर देते समय करन्दाता यह भली भाँति जान लेता है कि उस ने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी कोप में दिया, अथवा आय के अमुक अनुपात में सरकार को सहायता पहुँचाई। उदाहरण के लिए जमीन का लगान, आय-कर तथा जायदाद या पौंजी पर कर प्रत्यक्ष कर हैं।

मालगुजारी—यह कर सब करों से प्राचीन है। राज्य की आय का पहले यही प्रधान साधन था। अवसाय-हीन देशों में अब भी इस का बड़ा महत्व है। कहाँ-कहाँ तो कर की मात्रा जमीन की उपज के एक निश्चित अनुपात से ली जाती है और कहाँ-कहाँ वह भूमि के चेत्रफल के हिसाब से लगाई जाती है। इन में पहली प्रकार की आय भूमि की उपज के अनुसार बढ़ाई-बढ़ाई जा सकती है, दूसरी नहीं। कभी-कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिज-भिज प्रकार की फसलवाली भूमि पर, चेत्रफल के अनुपात से कर की दर अलग-अलग निश्चित कर दी जाती है। जमीन पर लगाया हुआ कर उस के मात्रिक पर ही पड़ता है, वह इसे किसी और पर नहीं ढाल सकता। इस कर के कारण वह अपनी भूमि से उत्पन्न अन्न आदि पदार्थ का मूल्य नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वह चीज़ों तो बाज़ार भाव से बिकेगी।^१

^१ 'पदार्थों' का भाव अंततः ऐसी निकृष्ट भूमि के उत्पादन-व्यय के अनुसार निश्चित होता है, जिस में खेती करने से खुर्च और मज़ाबूरी आदि ही निकलती है, और कुछ सुनाफा नहीं रहता। उक्त उत्पादन-व्यय बाज़ार भाव से कम नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उस से भी खूब भूमि में खेती होने लगे। उत्पादन-व्यय बाज़ार भाव से अधिक भी नहीं रह सकता, क्योंकि नुकसान उठा कर चिरकाल कौन खेती करेगा?

आध-कर—यह कर विशेषतया मुनाफे या बेतन पर लगता है। मुनाफे की आय पर कर लगाने में बड़ी असुविधा यह होती है कि यह आय निश्चित नहीं होती। इस लिए इस कर की रकम बदलती रहनी चाहिए, परंतु यह है कठिन। अतः बहुधा ऐसा हो जाता है कि किसी पर तो यह कर आवश्यकता से अधिक लग जाता है और किसी पर कम। यह कर, कर-दाता पर ही पड़ता है, परंतु इस कर के कारण पूँजी को बृद्धि में बाधा होती है और इस बात का असर मज़दूरी पर पड़ता है।

मज़दूरी पर लगा हुआ कर मज़दूरों को देना होता है, परंतु कभी-कभी वे इस कर के लगाने से अपनी मज़दूरी बढ़ावा कर अंततः इसे अपने मालिकों पर ढाल सकते हैं। इस दृश्या में उस का प्रभाव मुनाफे पर पड़ेगा।

थोड़ी-थोड़ी मज़दूरी पानेवालों पर कर लगाने से उसे बच्चा करने में बड़ी असुविधा होती है। आय: यह सिद्धांत भाना जाता है कि जितनी आमदनी जीविका-निर्वाह के लिए आवश्यक समझी जाय, उस पर कर न लगाया जाय। ग्रिटिंग भारत में अब दो हजार रुपए से कम वापिंक आय पर कर नहीं लगाया जाता। हाँ, इतनी या इस से अधिक आय होने पर पूरी आय पर कर लगता है, यह नहीं कि जितनी इस से अधिक हो उसी पर लगे। अस्तु, इस प्रकार साधारण मज़दूरी (बेतन) पाने वालों पर यह कर लगाने का प्रसंग नहीं आता, किंतु उन्हें साने-पहिनने के बहुत से पदार्थों पर विविध कर देने पड़ते हैं।

पहले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुल मात्रा बढ़ैमान होनी चाहिए, अर्थात् किसी आदमी की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय, उस पर कर की कुल मात्रा का अनुपात भी बढ़ता जाय। पृथक्-पृथक् कर की

इष्ट से यह बात सब से अधिक आय-कर के संबंध में निभाई जाती है।

जायदाद और पूँजी पर कर—यह कर लगाना बहुधा बहुत कठिन होता है। स्थिर जायदाद के मूल्य का अनुमान करने में तो विशेष असुविधा नहीं होती, परंतु अस्थिर की मालियत का अनुमान करना दुस्तर है। लोग छल-कपट से इस के कर से बचने के लिए इसे छिपा लेते हैं। इस लिए भूमि और मकान के अतिरिक्त यह कर मूल्य-कर या विरासत कर के स्वरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी की जायदाद उस के मरने पर उस के उत्तराधिकारी को मिलती है और उस पर कर लगाया जाता है, तो उस को मूल्य-कर (डेथ ड्यूटी) या विरासत-कर (सर्वेशन ड्यूटी) कहते हैं। यह प्रायः बहुत हल्का और क्रमशः बर्द्धमान रखता जाता है। यह उन आदमियों पर पड़ता है, जो उस जायदाद के उत्पादक नहीं हैं, जिस पर कर लगाया जाता है, इस लिए यह उन्हे बहुत अखरता नहीं। यह कर जिस किसी पर लगाया जाता है, प्रायः उसी को देना होता है, वह इसे हटा कर किसी और पर नहीं लगा सकता। परंतु जब यह कर किसी ऐसी जायदाद पर पूँजी पर लगे, जो उधार दी जा सके तो यह बहुधा कटण लेने वालों पर पड़ता है।

यदि पूँजी पर भारी कर लगा दिया जाय तो लोगों में संचय के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पूँजी को बिदेशों में लगाने का अनुराग हो सकता है। इस से देश में पूँजी की कमी होकर उद्योग धर्घों को घक्का पहुँचेगा।

परोक्ष कर—परोक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जिस को उसे लुकाने वाले औरों पर ढाल देते हैं। व्यापारी आयात और निर्यात पर जो महसूल देते हैं, उसे माल बेचने के समय वह अपने ग्राहकों से बसूल कर लेते हैं। अवहारोपयोगी चीज़ें, कपड़े, लमक, शराब, अफ्रीम आदि के कर सभी परोक्ष कर हैं। ये कर देते समय लोगों को प्रत्यक्ष कर्ट नहीं

होता । परंतु सरकार को इन के व्यापार-न्यवसाय के लिए तरह-तरह के नियम बनाने पड़ते हैं; यथा, किस रास्ते से व्यापार का माल जाना चाहिए, किस जगह उसे बेचना चाहिए, किस रीति से व्यापार होना चाहिए, किस चीज़ को कौन व्यक्ति बनाए, अथवा किस स्थान पर और कितनी मात्रा में बनाए, इत्यादि ।

आयात-निर्यात कर —आयात-निर्यात के पदार्थों के दो भेद होते हैं: —जीवनोपयोगी, और विलासिता के । इस प्रकार आयात-निर्यात कर दो प्रकार के होते हैं :—

(क) जीवनोपयोगी पदार्थों पर कर ।

(ख) विलासिता के पदार्थों पर कर ।

जीवनोपयोगी पदार्थों पर जगाए हुए कर उपभोक्ताओं पर पड़ते हैं । दरिद्र से दरिद्र आदमी भी इन करों से बच नहीं सकता । इस लिए बहुत से अर्थशास्त्र-वेत्ताओं की राय है कि यथा-संसव यह कर न लगाए जावें । इन से पदार्थों का सूल्घ बढ़ जाता है और निर्धनों का कष्ट बढ़ जाता है ।

विलासिता के पदार्थों पर जगे हुए करों में यह बात नहीं होती । इन पदार्थों के खरीदने वाले ग्राम: अमीर ज्ञान जीवन कर सकते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब इन पदार्थों पर कर अधिक बढ़ जाते हैं तो मध्यम श्रेणी के आदमी इन का उपभोग कर देते हैं । इससे इन पदार्थों की उत्पत्ति कम हो जाती है । ये कर कुछ अंश में उपभोक्ताओं पर, और कुछ अंश में उत्पादकों पर पड़ते हैं ।

आयात-निर्यात कर लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, (१) कर का भार विदेशियों पर पड़े, और (२) विदेशी माल की आयात घटाकर स्वदेशी उद्योग धर्थों की उत्पत्ति की जाय । इस दूसरे उद्देश्य को व्यापार में रख कर जो कर निर्धारित किए जाते हैं, वे संतुष्ट कर कहलाते हैं; ऐसे

व्यापार को संरक्षित ब्यापार, और ऐसी व्यापार नीति को संरक्षण नीति कहते हैं। इस के विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर लगाने से केवल आय प्राप्त करना ही अभीष्ट हो (विदेशी आयात को कम करना नहीं), उस व्यापार को मुक्त-द्वारा व्यापार कहते हैं।

आयात भाल में केवल उन्हीं तैयार पदार्थों पर कर लगाना विशेष लाभकारी हो सकता है जिन के बनाने के साधन अपने यहाँ मौजूद हों, और जिन के तैयार करने में अभी नहीं, तो कुछ समय पीछे, लाभ होने की संभावना अवश्य हो। इस कर का भार साधारणतया अपने ही देश पर पड़ता है, तथापि यदि विदेशी भाल जीवनोपयोगी नहीं है, और स्वदेश के कुछ अच्छी संख्या के आदमी उस के बिना निर्वाह कर सकते हैं, तो कर लगाने से जब वह भाल मँहगा होगा, तो उस की मांग पूर्व आयात कम हो जायगी। ऐसी दशा में आयात भाल पर लगे हुए कर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। उदाहरणबत्र भारतवर्ष में बहुत सा विदेशी भाल ऐसा ही आता है जिस के बिना यहाँ आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह में विशेष असुविधा नहीं होती, या जो यहाँ तैयार किया जा सकता है। ऐसे विदेशी भाल पर—सूत रुई के कपड़े, शाकर, जोहे फौजाद के सामान की आयात पर—भारी कर लगाना चाहिए जिससे वह यहाँ तैयार किए हुए वैसे सामान से मँहगा पड़े, और इस देश में स्वदेशी को डर्जना मिले।

निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हैं। ये कर उन्हीं वस्तुओं पर सफलता-पूर्वक लगाए जा सकते हैं, जिन की बाहर वालों को अत्यंत आवश्यकता हो। जिन वस्तुओं की बाहर वालों को अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, उन पर कर लगाने से विदेशी मांग घट जायगी और कर का प्रभाव निर्यात करने वाले देश पर भी पड़ेगा। भारतवर्ष के रुई और जट आदि कच्चे पदार्थों की, हरगज़ेँड के कारब़नाने वालों को अत्यंत आवश्यकता

रहती है और इन पदार्थों की निर्यात पर कर सफलता-पूर्वक लगाया जा सकता है।

देशी माल पर कर—जो देश मुक्त-स्थापार नीति का अवलंबन करता है, अर्थात् विदेशों को जाने वाले या बहाँ से आने वाले माल पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालता, वह जब आय के बास्ते किसी विदेशी माल पर कर लगाता है तो अपने यहाँ की भी उस प्रकार की बस्तु पर कर लगाता है। इस संबंध में भारतवर्ष की बात का डलखेख आगे, परोच्च करों की आय के प्रसंग में, किया जायगा। कुछ देशों में अपने आंतरिक स्थापार के पदार्थों में से केवल चिन्नासिता के पदार्थों पर ही कर लगाया जाता है, जिस से उस कर का भार अमीरों पर ही पड़े। बहुधा नैतिक लक्ष्य भी रखा जाता है, और उन माद्रक अथवा अन्य पदार्थों पर कर लगाया जाता है, जो जनता के स्वास्थ या आचार व्यवहार में बाधक हों।

प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि—प्रत्यक्ष करों के मुख्य लाभ ये हैं—

१—इन से प्रत्येक आदमी को ठीक-ठीक मालूम हो जाता है कि उसे राज्य को क्या देना है।

२—इन्हें वसूल करने में परोच्च कर की अपेक्षा अधिक सुगमता तथा मित्रव्ययिता होती है।

इन करों से मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं—

(क) कर दाता को ये कर खुरे लगते हैं।

(ख) साधारणतः सब आदमियों पर, और विशेषतया गरीबों पर, प्रस्तुत कर लगाना कठिन होता है।

(ग) इन करों से होने वाली आय को घटाने-बढ़ाने की बहुत गुंजाइश नहीं होती।

(च) यदि ये कर बहुत भारी हों तो इन से लोगों के, बचत करने में, निरुत्साहित होने की संभावना होती है ।

परोक्ष करों से ज्ञाम हानि—परोक्ष करों के मुख्य ज्ञाम ये हैं—

१—कर दाता को ये कर बहुत कम अखरते हैं, जब तक कि ये बहुत ज्ञायदा न हों । उसे इन का भार मालूम नहीं होता ।

२—हर एक आदमी पर उस की सामर्थ्य के अलुसार कर लगाए जा सकते हैं ।

३—परोक्ष कर ऐसे समय पर लिए जाते हैं, जो कर-दाताओं को सुविधाजनक हों ।

४—इन से होने वाली आय को घटाने-बढ़ाने की विशेष गुंजाइश होती है, और समृद्धि-काल में, जब कि जनता की विविध पदार्थों की मांग बढ़ती है, यह आय स्वयमेव बढ़ जाती है ।

इन करों से मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं—

(क) परोक्ष करों को वसूल करने में कठिनाई और इच्छा बहुत होता है ।

(ख) कुछ पदार्थों पर कर लगाने से किसी उद्योग-धर्मो को नुकसान पहुँचने की संभावना रहती है ।

(ग) मँहरी हो जाने की दशा में करों से प्राप्त होने वाली आय में अचानक कमी हो जाने की संभावना होती है ।

(घ) करों से बचने के लिए लोगों को माल छिपा कर ले जाने का प्रलोभन अधिक होता है ।

भिश्रित करपद्धति—आधुनिक राज्यों में ग्राम्य ह और परोक्ष करों को समुचित मात्रा में सिला कर ही आय प्राप्त की जाती है । इस पद्धति को भिश्रित करपद्धति कहते हैं । इस से निम्नलिखित ज्ञाम हैं—

१—इस से, प्रत्यक्ष करों से होने वाली अप्रियता कम हो जाती है ।

२—परोक्ष करों से उद्योग-धर्मधों को जो हानि हो सकती है, वह इस पद्धति से कम हो जाती है ।

३—इस पद्धति में आय के घटाने-बढ़ाने की गुंजाइश रहती है और कर-दाताओं को विशेष असुविचा पहुंचाए बिना, कर की दर घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है ।

कर निर्धारित करने का विषय बड़ा गहन है, अतः इस का निश्चय करने से पूर्व आगे पीछे का भली भर्ति विचार कर लेना चाहिए । जहाँ तक संभव हो, ऐसे कर न लगें जिन से एक ओर तो थोड़ी सी आय होती हो, परंतु दूसरी ओर परोक्ष रूप में सार्वजनिक हित की छहुत हानि हो जाय ।

भ्यारहवाँ परिच्छेद

प्रत्यक्ष करों की आय

भारत वर्ष में प्रत्यक्ष कर, आय-कर और भाजन-गुजारी हैं; आय-कर में सुपर टैक्स भी सम्मिलित है। एक अन्य सुख्य प्रत्यक्ष कर जायदाद या पूँजी पर लगने वाला कर है, यह भारतवर्ष में बहुत कम लगता है।

आय-कर—यह कर सन् १८६० ई० से लगने लगा है। इस कर की दर समय-समय पर बदलती रहती है। यह समझा जाता है कि यहाँ एक परिवार को अपने निर्वाह के लिए दो हजार रुपए तक की आमदनी की आवश्यकता है। अतः इतनी आय पर कर नहीं लगाया जाता। कभी-कभी केवल एक हजार रुपए तक की आय ही, कर से मुक्त रही है, परंतु ऐसा होने की दशा में बहुत असंतोष तथा विरोध हुआ है। इस समय (सन् १९३६ ई०) व्यक्तियों, रजिस्ट्री न की हुई फर्मों और संयुक्त हिंदू परिवारों की दो हजार रुपए से कम की आय पर आय-कर नहीं लगता, दो हजार या इस से ऊपर की आय पर कर लगता है, और उस का स्वरूप बद्दमान है, अर्थात् जितनी आय भ्रष्टिक होती है उतनी ही कर की दर बढ़ती जाती है। प्रत्येक कंपनी और रजिस्टरी की हुई फर्म से आय-कर एक निर्धारित दर से लिया जाता है। निर्धारित रकमों से ऊपर की आय पर, व्यक्तियों तथा संयुक्त हिंदू परिवारों और रजिस्टरी न की हुई फर्मों से एक सुपर-टैक्स लिया जाता है, जिस की दर भी बद्दमान है। आय कर का बद्दमान होना तो सिद्धांत से ठीक ही है, परंतु किसी परिवार की आय पर यह कर लगाते समय उस परिवार के सदस्यों की संख्या का कुछ विवार नहीं किया जाना अनुचित है। उदाहरणात्, यदि एक परिवार

में एक मनुष्य की आय से, उस के अतिरिक्त उस की छी तथा दो बच्चों का निर्वाह होता है और दूसरे परिवार में कमाने वाले मनुष्य के आश्रित उस की छी और तीन बच्चों के अतिरिक्त उस की विधवा माता, विधवा भावज, तथा एक मतीजा और मतीजी है तो दोनों परिवारों पर, उनकी आय दो-दो हजार रुपया या इस से अधिक होने पर आय-कर समान ही कगेगा, यद्यपि एक परिवार में केवल चार व्यक्ति हैं और दूसरे में नौ व्यक्ति हैं। यह सरासर अनुचित है। आय-कर निर्धारण के नियमों में इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है।

सुपर-टैक्स महायुद्ध के समय लगाया गया था। यह अनुमान किया जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात् यह बंद हो जाय, परंतु जब कि सरकार का ग्रन्च दिन-दिन बढ़ता ही जाता है, तो जो टैक्स एक बार, चाहे विशेष परिस्थिति में ही, लग जाय, उस का फिर घटना तो प्रायः असंभव ही हो जाता है।

भारतवर्ष में आय-कर और सुपर-टैक्स की मह में, सरकार को अपेक्षाकृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत सा व्यापार आदि विदेशियों के हाथ में हो तो देश बालों की आमदनी कम होनी ही आहिए, फिर इस मह में सरकार को ही आय अधिक कहाँ से हो ? यहाँ स्वदेशी उद्योग धर्थों की उच्चति की बहुत आवश्यकता है। इस विषय पर अन्यत्र प्रसंगानुसार लिखा गया है।

सरकार की इस मह की आय में बृद्धि होने का दूसरा उपाय यह है कि कृषि से होने वाली आय पर भी आय-कर लगे। भारतवर्ष में श्रनेक जमीनदार, तालूकेदार और नवाबों आदि को कृषि से काफी आय है, और उन को प्रायः कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस से उन का जीवन बहुधा आनंदोपमोग में ही बीतता है। यह प्रथा कहाँ तक उचित है, इस संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहना है, वक्तव्य केवल यह है कि उन्हें कर

से मुक्त रखने से सरकार बहुत सी आय से वंचित रहती है; उन पर कर लगाया जाना उचित ही है।

मालगुजारी—भारतवर्ष ने मालगुजारी के अंतर्गत निम्नलिखित आय संमिलित हैं:—साधारण मालगुजारी, सरकारी इस्टेट की विक्री, परती जमीन की विक्री, जमीन का नहस्त तथा अवदाद, और इस विषय की विविध आय।

साधारण मालगुजारी में सर्वसाधारण से प्राप्त मालगुजारी के अनिरिक्त गत वर्षों की आय की आमदनी, सरकारी इस्टेट की मालगुजारी और जंगल की मालगुजारी शामिल होती है।

विविध आय में मुख्य आमदनी, यह होती है—मालगुजारी के दृष्टर की आमदनी, मालगुजारी-अदाकर्तों से किया हुआ जुर्माना, कुछ जगहों में द्वास पटवारी रखने के टपलचय में होने वाली आमदनी, खेतों की हड्डीकरने के लिए अमीनों की कीस, उन जंगलों या जमीनों से न्यूनिज पदार्थों की आय जो जंगल विभाग के प्रबंध में न हों, इत्यादि।

प्रांतीय सरकारों की आमदनी का मुख्य साधन मालगुजारी है, बहुध उन की कुल आय का लगभग आधा भाग इसी से प्राप्त होता है। मालगुजारी के संयंध में, विद्यि भारत में तीन तरह का वंदोपत्त है।—
 (१) स्थाई प्रबंध, जंगल में विहार के दूर भाग में, पूर्व आसाम के शाहर्य और संयुक्त ग्रोत के दस्तै भाग में। (२) जमींदारी या आन्य प्रबंध, संयुक्त-प्रोत में ३० वर्ष और पैंजाब तथा मध्य प्रांत में २० वर्ष के लिए मालगुजारी निश्चित कर दी जाती है; गोब वाले मिलकर इसे शुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। (३) रम्यतवारी प्रबंध; यम्बई, सिध, मदरास, और आसाम में, पूर्व विहार के कुछ भाग में; इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों से संयंध रखती है। यम्बई और मदरास में ३० वर्ष में तथा आन्य प्रांतों में बलदी जलदी यंदोपत्त होता है। नये यंदोपत्त

में प्रायः हर जगह सरकारी मालगुजारी बढ़ जाती है।

भारतवर्ष में भूमि से होने वाली आय पर जगने वाली मालगुजारी, अन्य प्रकार की आय पर जगने वाले कर के अनुपात से अधिक होती है। पुनः सरकार जो मालगुजारी लेती है, वह उपज के रूप में नहीं, चरन् रपए के रूप में लेती है। वह उस की दूर पैदावार का प्रता जगाकर नियत करती है, यह प्रता बंदोबस्त के साथ का लगाया हुआ होता है। बहुधा ऐसा हो सकता है कि बंदोबस्त के साथ-फसल अच्छी हो, अथवा कारगुजारी दिखाने वाले अफसर उस के अनुमान में असुन्दि कर दें, और अभागे किसानों पर कितने ही बच्चों के लिए सरकारी मालगुजारी का भार बढ़ जाय। अति-नृष्टि, अनावृष्टि आदि सं फसल झराव हो जाने पर जब पैदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी मालगुजारी प्रायः पूर्व निश्चय के अनुसार ही देनी पड़ती है। कभी-कभी सरकार मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ भी देती है, परंतु वह इन नुकसान के हिसाब से बहुधा कम होती है।

मालगुजारी की अधिकता के कारण अधिकांश भारतीय कुपकों की, जो भारतीय जनता का बुद्धिमत्ता है, इस समय दुरी वशा है, उन का व्यषेष उद्धार उसी समय होगा, जब उन की ज़मीन उन की ही मौखिक जायदाद समझी जायगी, और सरकारी मालगुजारी सुविचार-पूर्वक निरिचत कर दी जायगी। हमारी समझ से जिस दूर से अन्य आय पर कर लिया जाता है, उसी दूर से ज़मीन की आमदनी पर कर लगाना चाहिए।

सरकार का ध्यान इस मुख्य बात की ओर कम होकर कुछ साधारण बातों—सरकारी बैंक स्थोरने, तक़ाबी देने, आबपाशी बढ़ाने की ओर क्रमशः आकर्षित हो रहा है। विविध प्रांतों में ऐसे कानून भी बनाए गए हैं कि ज़मीदार किसानों से मनमाना जगान लेकर दन्हें सत्ता न

सके । इन क्रान्तिकारी के बन जाने के कारण किसानों को बेदखली का विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की उन्नति करने से लाभ की जो वृद्धि होगी, वह सब ज़मीदार को नहीं मिल जावेगी, वरन्, उस के एक बड़े भाग के अधिकारी स्वयं वे किसान ही होंगे । ये बातें अच्छी हैं, पर इन से मालगुज़ारी के प्रश्न का महत्व कम नहीं होता, उस थोर ध्येष्ट ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

बारहवां परिच्छेद

परोक्त करों की आय

भारतवर्ष में परोक्त कर निम्नलिखित हैं :—

- (१) आयात-निर्यात-कर
- (२) नमक-कर
- (३) अफ़्रीम-कर
- (४) आबकारी

आयात निर्यात कर—औद्योगिक देशों में इस मह की ही आय प्रधान आय होती है। भारतवर्ष में सरकार को इस मह से होने वाली आय, अन्य किसी एक मह की आय की अपेक्षा अधिक होने पर भी बहुत अधिक नहीं है। सरकार की व्यापार-नीति इस के लिए उत्तरदायी है। भारत-सरकार को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, वह अपनी हच्छाजुसार आयात-निर्यात पर कर नहीं लगा सकती। इस कर के संबंध में सिद्धांत-स्मक बातें पहले बताई जा चुकी हैं। भारत-सरकार आयात निर्यात की विविध बस्तुओं पर कर भिज-भिज दर से लेती है। योत्पीय महायुद्ध से पूर्व भारत-सरकार की व्यापार-नीति प्रायः सुकृद्वार व्यापार की थी, इस-लिए वह आयात की वस्तुओं पर बहुत कम कर लेती थी, सो भी आय के हेतु, न कि स्वदेशी उद्योग-धर्मों के संरक्षण के लिए। कच्चे पदार्थ और मशीनों आदि पर कुछ कर न था। अद्य-शब्द युद्ध-सामग्री और शराब तथा तंबाकू पर विशेष कर लगाया जाता था, चीनी, कैची, चाकू, घड़ी, साढ़ुन, स्टेननरी आदि पर उन के मूल्य का प्रायः ५ फ़ी सदी कर लगता था।

जब कोई राज्य मुक्त-द्वारा व्यापार-नीति के पक्ष में हो और आय के बास्ते किसी विदेशी वस्तु पर कर लगाए तो उसे स्वदेश की भी उस प्रकार की वस्तु पर कर लगाना होता है।^१ भारतवर्ष में यहाँ के कले सूत और यहाँ के छुने हुए कपड़े पर घातक कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन् १८१४ ई० में भारत-सरकार ने विकायती कपड़ों पर ५ फ्लो सैकड़ा कर लगाया, तो इस के साथ ही देशी सूत पर और देशी मिलों में तैयार होने वाले कपड़ों पर भी इतना ही कर लगा दिया। लंकाशायर के व्यापारियों के असंतुष्ट होने के कारण सन् १८१६ ई० में विदेशी कपड़ों पर महसूल २० से घटा कर दू।^२ सैकड़ा किया गया, तब भारत की मिलों में बने हुए कपड़ों पर भी इतना ही कर निर्धारित किया गया।

योरपीय महायुद्ध काल में तथा उसके बाद सरकार की व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन हुआ, सन् १८१६ ई० में यहाँ की आद्योगिक परिस्थिति की जांच करने के लिए कमीशन बैठाया गया। सन् १८२१ ई० में एक आर्थिक जांच-समिति नियुक्त हुई। इसने सिफारिश की कि भारतीय उद्योग-धर्घों की रक्षा के लिए बाहर से आने वाले माल पर विशेष कर लगाना चाहिए, तथा भारत में बनने वाले माल पर कर न लगाना चाहिए। पश्चात् ऐरिफ-बोर्ड (आयात-निर्यात-कर-समिति) की स्थापना हुई और उस की सिफारिश के अनुसार क्रमशः लोहे, फूलाद के सामान, कागज़, कपड़े और चीनी को संरक्षण दिया गया अर्थात् इन वस्तुओं की आयत पर ऐसा कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी वस्तुओं से सस्ती न रह जाय, कुछ मँहगी ही हों। सन् १८२६ ई० में भारत में बनने वाले रुद्द के माल पर से कर डाला दिया गया। १८३० ई० में इंग्लैण्ड से आने वाले रुद्द के सामान पर १५ प्रतिशत और त्रैर-बिंदिश, अर्थात् अन्य

^१ देशी माल पर कर दो प्रकार से लगते हैं—(क) उत्पत्ति का नियंत्रण कर के, और (ख) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार कर के।

देशों से आने वाले सामान पर ५ प्रतिशत और अधिक, अर्थात् २० प्रतिशत कर लगाया गया। पीछे यह कर इंगलैण्ड के माल पर २५ प्रतिशत और गैर-ब्रिटिश माल पर तीस प्रतिशत लगाया गया।

यह पिछली बात साम्राज्यान्तर्गत रियायत की नीति के अनुसार थी। इसका आशय यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देश पारस्परिक व्यापार में खास रियायत करें। एक दूसरे की आयात-निर्यात पर, गैर-ब्रिटिश माल की अपेक्षा कम कर लगावें। ओटावा में जो साम्राज्य-परिवद हुई, उस में तीन वर्ष के लिए इस नीति का समरूपता हुआ, परन्तु यह भारतवर्ष के लिए बहुत हानिकारी थी; इसका यहाँ घोर-विरोध हुआ। बात यह है कि यहाँ से इंगलैण्ड और अन्य देशों को कच्चा माल जाता है, जिसकी आयात पर कोई अधिकारिक देश कर नहीं लगाता। इस लिए भारतवर्ष के माल को इंगलैण्ड या उसके उपनिवेशों में रियायत मिलाने का प्रश्न नहीं उठता। अब भारतीय आयात की बात लीजिए। यहाँ दो-तिहाई से अधिक माल ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर से आता है, इस पर अधिक कर लगाने से भारतीय-जनता के लिए वह माल मँहगा हो जाता है, और देश की हानि होती है। इस प्रकार मामूल्यान्तर्गत रियायत की नीति से भारतवर्ष को कुछ लाभ नहीं है। भारतीय व्यवस्थापिका सभा के निरंतर विरोध के कारण अंततः ओटावा के समरूपते का अंत हो गया है।

अस्तु, भारतीय लोकमत संरचना-नीति को क्रमशः अप्रसर करने के पक्ष में रहा है। भारत-सरकार ने सन् १९२२ ई० से इस और व्यान दिया, और बहुत मंद-गति से क्रमम बढ़ाया। हृधर कुछ समय से वह सीमित संरचना नीति से भी पीछे हट रहा है। डैरिफ़-बोर्ड की सिफारिश होते हुए भी उस ने शीशे के व्यवसाय का संरचना न किया। इस वर्ष (सन् १९३६), में सरकार ने इंगलैण्ड से भारत में आने वाले सादे एवं रंगीन सूतों कपड़े पर संरचना कर पच्चीस प्रति सैकड़ा से घटा कर खीस

प्रति सैकड़ा कर दिया। साथ ही उसने टेरिफ़-बोर्ड को तोड़ दिया। यह स्पष्टतः विद्युत माल का पचपात है, और है, भारत के उद्योग धंधों के संरचण के विरुद्ध व्यापार नीति। आवश्यकता है कि सरकार संरचण नीति का अवलम्बन जारी रखें; समस्त विदेशी तैयार पदाधों की आयात के अतिरिक्त वहाँ से बाहर जाने वाले कच्चे पदाधों पर भी खूब कसकर कर लगावे, जिस से विदेशी माल वहाँ बहुत अधिक मँहगा होने के कारण उसकी आयात कम हो, और स्वदेशी उद्योग-धंधों को उत्तेजना मिले। लोगों की आर्थिक उन्नति होने से, उनकी आय बढ़ने से, सरकार की भी आय बढ़ती है, और वे सरकारी करों का भार अधिक सुगमता-पूर्वक सहन कर सकते हैं।

आयात-निर्यात कर का भार किन लोगों पर पड़ता है? भारतवर्ष को जूट का तथा अंशतः चावल का प्रकाधिकार प्राप्त है। अर्थात् जूट की पूर्णतया और चावल की अधिकतर उत्पत्ति भारतवर्ष में होती है। इस-लिए हृतकी निर्यात पर लगने वाला कर अधिकतर विदेशियों पर पड़ता है। चाय पर का निर्यात कर अंशतः विदेशियों पर, तथा अंशतः इस बस्तु के उत्पादकों पर पड़ता है; कारण इसकी उत्पत्ति में अन्य देशवासियों की प्रतियोगिता है। शराब, तंबाकू, खाद्य-सामग्री, मोटरकार और मोटर साइकिल, रेशमी कपड़ा, रबर टायर, अस्त-शस्त्र आदि की आयात पर लगने वाला कर अधिकतर धनिकों पर तथा मध्य श्रेणी के ऊपरले भाग पर और कुछ अंश में मध्य श्रेणी के निचले भाग पर पड़ता है। चीनी, सूत और सूती कपड़े तथा कच्चे माल की आयात पर लगने वाले कर का भार अधिकतर धनी और मध्य श्रेणी वालों पर तथा कुछ अंश में ग्रामीणों पर पड़ता है। भारतवर्ष के तैयार हुए मिट्टी के लेज पर तथा विदेशों से वहाँ आने वाली दियासलाई, मशीनों, रेलवे के सामान और कोयले पर लगाया हुआ कर सब श्रेणी के आदमियों पर पड़ता है, हाँ गाँव वालों की अपेक्षा नगर वालों पर अधिक पड़ता है।

नमक-कर—नमक-कर एक तो बाहर से आए हुए नमक पर लगता है, दूसरे भारतवर्ष में ही बने हुए नमक पर भी वसूल किया जाता है। सन् १८८२ है० से पहले भिज्ज-भिज्ज प्रांतों में इस टैक्स की दर में अंतर था, उस वर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन टैक्स लगाया। सन् १८८८ है० में यह ढाई रुपए कर दिया गया, बाद में यह क्रमशः घटाया गया। सन् १८०३ है० में १) रु० हुआ, सन् १८०५ है० में १॥) और सन् १८०७ है० में १) रु० मन रहा। सन् १८१६ है० (महायुद्ध काल) में अन्यान्य करों की वृद्धि के साथ यह भी बढ़ा, और १) को जगह १) मन हो गया। उस समय राजस्व सदस्य ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजर्व (रक्षित) साधन है, जिसका युद्ध-काल अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय उपयोग हो सकता है। सन् १८२२-२३ है० (शांतिकाल) का बजट उपस्थित करते हुए राजस्व-सदस्य ने अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। परंतु व्यावस्थापक सभा के विरोध के कारण उस वर्ष यह न बढ़ सका। सन् १८२५-२४ है० के बजट में फिर आवश्यक की समानता करने की फिक्र पड़ी तो सरकार की हाई इसी कर पर गई; अन्य करों को खद पहले बढ़ा ही चुकी थी। इस वर्ष भी नमक के कर की वृद्धि का बहुत विरोध हुआ। परंतु सरकार ने सुधरी हुई व्यवस्थापक सभा के मत की भी ओर अवहेलना करके इसे बढ़ा ही दिया। कुछ लोग इस कर में पार्लिमेंट के उदारता-पूर्वक हस्तांतर करने की राह देख रहे थे, पर उस के हारा भारत सरकार के कार्य का अनुमोदन ही हुआ, ढाई रुपए प्रति मन का नमक कर पास हो गया और निर्धन प्रजा पर एक भार और बढ़ गया। इस समय यह कर १) प्रति मन है।

नमक एक जीवनोपयोगी पदार्थ है और इस का कर एक ऐसा कर है जो ग्रामीण रूप से राजा, और रंक देश के सब आदमियों पर लगता है। नमक तैयार करने का खर्च बहुत थोड़ा होता है, कुछ

किरण में झन्च होता है। इस झन्च को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब हिस्सा कर पर निभार है। कर-वृद्धि के कारण जब यहाँ नमक भंडगा हो जाता है तो पशुओं की कौन कहे, यह मनुष्यों को भी यथेष्ट मात्रा में नहीं मिलता, और इस का उपयोग कम हो जाता है। अतः नेताओं का मत है कि यह कर विलकुल उठा देना चाहिए।

इस कर के पह में कहा जाता है कि (१) यह कर बहुत ग्राचीन है, यह यहाँ हिंदू काल में भी प्रचलित था, उस समय इस का परिमाण बहुत अधिक था; अब तो यह अपेक्षा-कृत कम है। (२) यह परोद्ध कर है, अतः लोगों को इस का भार मालूम नहीं होता। (३) यह बहुत हल्का कर है। परंतु ग्राचीन काल में यह कर आजकल की सी कठोरता से बहुल नहीं किया जाता था, बहुत से आदमी अपने उपयोग के लिए इसे बना सकते थे। उस समय अन्य सब करों का संमिलित भार बहुत कम था, अब बहुत अधिक है। फिर, यदि ग्राचीन काल में कोई अनुचित कर प्रचलित था तो यह कोई कारण नहीं है कि अब, उस के अनौचित्य को जानते हुए भी, उसे जारी रखना जावे। इस कर का परोद्ध होना भी इसे उचित नहीं लहरा सकता, पदार्थों पर लगाए हुए सभी कर परोद्ध होते हैं। इसी प्रकार इस कर का हल्का होना भी इस के समर्थन के लिए अच्छी युक्ति नहीं है। नमक की गरीब-शमीर सब को बराबर आवश्यकता है। सब इस का बराबर उपयोग करते हैं, इसलिए इस कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, इस से कर संबंधी समानता के सिद्धांत की अवहेलना होती है (देखो नवां परिच्छेद) ।

भारतवर्ष में यह कर सब से अधिक अग्रिय और असर्तोप-मूलक है। भारतीय व्यवस्थापक-सभा में इस का बराबर विरोध हुआ है। इन वातों का समकू विचार होने से इस का अनौचित्य स्वतः सिद्ध है।

अफीम-कर—भारतवर्ष में सरकार को अफीम-तैयार करने का

एकाधिकार है, अन्य व्यक्ति इसे तैयार नहीं कर सकते। पहले सरकार को इस की निर्यात से ख़ुब आमदानी होती थी, परंतु इस के उपयोग से चीन आदि देशों के निवासियों को बहुत हानि पहुँचती थी, अतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में तथा स्वर्ण भारतवर्ष में इस का बहुत विरोध हुआ। अंततः चीन में इस की निर्यात सन् १९०८ ई० से क्रमशः घटा कर सन् १९१८ में बंद की गई। पश्चात् सन् १९२६ ई० से श्याम, स्लैद सेंटल मैट और हाँगकांग आदि में भी इस की निर्यात कम की गई। अब भारतवर्ष से अफीम की निर्यात कहीं भी नहीं होती। परंतु भारतवर्ष में इस का उपयोग घटाने का कुछ प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यद्यपि इस का उपयोग घटाने से सरकारी आय कम होगी, परंतु इस से लोगों की कार्य जमता बढ़ेगी, तो उन की आय बढ़ने से सरकार की आय भी बढ़ेगी और उपर्युक्त कमी की सहज ही पूर्ति हो जायगी।

आबकारी-कर—अफीम के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। उसे छोड़कर अन्य मादृक पदार्थों पर ज़गाया जाने वाला कर यहाँ आबकारी कर कहलाता है। उदाहरणावश यहाँ यह कर भाँग, चरस, शराब आदि मादृक पदार्थों पर ज़गाया जाता है। उस में राज्य का उद्देश्य केवल आय-प्राप्ति ही नहीं होना चाहिए। प्रजा-हित के लिए तो सरकार को चाहिए कि इन पदार्थों को कम मात्रा में तैयार करावे, उन के बेचने वालों को बड़ी सावधानी से लैसेंस दे, दुकानें बस्ती से बाहर और बहुत दौड़ी रखे, तथा कर भी भारी, ज़गाए। तब जाकर इन का व्यवहार घटने की आशा हो सकती है। यहाँ मादृक पदार्थों को बनाने या तैयार करने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इन की विक्री से जो आय होती है, उस में से उत्पादक व्यय निकलने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफ़ा होता है, और आय में संभिलित होता है।

इस समय केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को अफीम निर्धारित दर से बेचती है। इस विक्री से जो आय होती है वह केंद्रीय सरकार की

आय होती है। इस मद का बयोरा यह है—लाइसेंस, डिस्ट्रिलरी फ़ीस, शराब और अन्य मादक पदार्थों की विक्री पर महसूल, आबकारी विभाग का अफ्रीम विक्री से जाभ, जुर्माना, जन्ती, और अन्य आय।

शोक की बात है कि इस मद की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अनेक बार इस आशय का प्रस्ताव किया गया कि सरकार मादक द्रव्यों के सेवन को न बढ़ने देने की नीति रखे, परंतु सरकार को स्वीकृत नहीं। वह शराब की दूकानों पर पहरा देने वालों तथा टैम्परेस (मध्यापान-निवारण) सभाओं के कार्य में बाधा डालती है; और उन पर तरह-तरह की सज्जती करती है। इस से स्पष्ट है कि सरकार को जैसे बने, वैसे आमदनी चाहिए, मादक द्रव्यों के प्रचार को रोकने के लिए वह दिलोजान से तैयार नहीं। इस प्रकार देश का आर्थिक-पतन कब तक होता रहेगा ?

अन्याय विभागों में यह विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में दिया गया है, जिन्हें प्रांतों की उच्चति के लिए रुपए की बड़ी आवश्यकता है। अतः यह आशा हो ही नहीं सकती कि प्रांतीय सरकार इस विभाग से अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करने, और इसलिए मादक द्रव्यों का अधिकाधिक प्रचार करने में कोई कसर रखें। बड़ी झरूरत इस बात की है कि सरकार मादक द्रव्यों का प्रचार घटाने की उपयुक्त नीति काम में लावे; निससंदेह इस से सरकारी आय में कमी होगी, और आरंभ में कुछ समय तक प्रबंध व्यय भी बढ़ेगा, परंतु उस की पूर्ति जनता की कार्य-क्षमता बढ़ने से उसी प्रकार हो जायगी जैसे अफ्रीम के संबंध में पहले बता आए हैं।

विशेष वक्तव्य—उपर, सरकार के मुख्य परोच्च करों की आय के संबंध में लिखा गया है। इस के अतिरिक्त सरकार को ‘अन्य करों’ से भी कुछ आय होती है। इस मद के केंद्रीय भाग की कुछ आय तो सरकार को देशी राज्यों से मिलने वाले वार्षिक नज़रानों से होती है।

यह नज़राना प्रायः उन संघियों के अनुसार मिलता है, जिन से पूर्व काल में, देशी राज्यों के कुछ स्थानों का विद्युत भारत के कुछ स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिन से देशी नरेश अपने राज्य में फौज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त हुए थे। इस के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की कुछ आय येसी भी है, जो चीफ कमिशनरों के प्रांतों में मालगुजारी आबकारी, स्टाम्प, जंगल और रजिस्ट्री से होती है। उपर्युक्त 'अन्य करों' की मद्द के प्रांतीय भाग में वह रक्षम संमिलित है, जो प्रांतीय सरकारें सिनेमा आदि खेल तमाशों से कर के रूप में लेती हैं।

तेरहवां परिच्छेद

फ्रीस की आय

प्राक्थन—फ्रीस के अंतर्गत सरकार को, न्याय स्वाम्प, रजिस्टरी, उलिस, शिला, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिविल निर्माण कार्य, मुद्रा टक्साब और विनियम की महों से होने वाली आय संमिलित है। पहले कहा जा चुका है कि इन कार्यों का उद्देश्य आय-प्राप्ति नहीं होता, इन से होने वाली आय इन के व्यय से कम रहती चाहिए। परंतु भारतवर्ष में न्याय, स्वाम्प और रजिस्टरी से आय बहुत होती है। इस दण्ड से इन की आय फ्रीस न रह कर कर हो जाती है, तथापि इस का विचार हम फ्रीस में ही करते हैं, जैसा कि सिद्धांत से होना चाहिए।

न्याय—इस विषय में निम्न प्रकार की आय होती है, अनधिकृत माल की विक्री, कोट्ट-फ्रीस जिस में दीवानी अदालत के अमीन और कुड़क अमीन आदि की फ्रीस शामिल है, हाई कोर्ट या उसके आधीन दीवानी अदालतों की फ्रीस, मैजिस्ट्रेटों का किया हुआ खुराना और झब्ती आदि, चकालत की परीका फ्रीस, विविध फ्रीस और जुर्माने।

सरकारी हिसाब में ग्रामः न्याय की आय, झर्च की अपेक्षा बहुत कम रहती है। वास्तव में यह बहुत अधिक होती है। सरकारी हिसाब में कम दिखाने का कारण यह है कि स्वाम्प की बहुत सी आमदानी जो कि पृथक् दिखाई जाती है वास्तव में न्याय संबंधी ही होती है, इस के संबंध में आगे विचार किया जायगा। जैसा कि हमने अन्यत्र कहा है, न्याय सस्ते से सस्ता होना चाहिए। देश का कानून ही इस प्रकार बदला

जाना चाहिए कि सुकृद्धमे बाज़ी कम हो, आदमी पंचायतों में ही निपट लैं, अस्तु न्याय-विभाग की आय वृद्धि हम अच्छी नहीं समझते ।

स्टाम्प—यह कर दो प्रकार का होता है, (१) अदालती और (२) गैर-अदालती । प्रथम प्रकार में कोट्ट-फ्रीस या अदालतों में पेश होने वाले सुकृद्धमों के कागज व दरख्तास्तों पर जगाए जाने वाले स्टाम्प की आय समिलित है । दूसरे प्रकार में व्यापार व उद्योग धर्मों संबंधी कागजों पर (दस्तावेज, हुंडी, पुर्जे, चेक, रुपयों की रसीद, आदि पर) जगाने वाले स्टाम्प की आय होती है । यह कर प्रायः हल्का ही होता है ।

अदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है । गैर-अदालती स्टाम्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्याय-कर ही है । रुपया लेने की रसीद पर, या हुंडी आदि पर स्टाम्प इस लिए ही जगाया जाता है कि यदि पीछे कोई वाद-विवाद हो तो न्याय होने के अवसर पर प्रभाया तैयार रहे, इस प्रकार स्टाम्प की आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समझा जायगा कि प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक ख़र्च करना पड़ा । अतः यह आय अन्यतम होनी चाहिए, जिस से न्याय सस्ते से सस्ता हो ।

रजिस्टरी—इस मह की आय निम्न विषयों में होती है:—“दस्तावेजों की रजिस्टरी करने की फ्रीस, रजिस्टरी की हुई दस्तावेजों की नकल की फ्रीस, विविध फ्रीस या जुर्माने आदि ।

कागजों की रजिस्टरी होने से लोगों को बेर्बानी करने का अवसर कम होता है । इस विभाग में यह परिमित सीमा तक की आमदनी जुरी नहीं ।

पुलिस—इस मह में निम्न विषयों द्वारा आय होती है—सार्वजनिक विभागों, प्राह्वेट कंपनियों और लोगों को दी गई पुलिस से आय, हथियार रखने के क्रान्तुर से आय । मोटर आदि की रजिस्टरी करने आदि की फ्रीस, जुर्माने और जन्मती ।

शिक्षा—इस मह में निम्न विषयों से आय होती है—(१) विश्व विद्यालय सरकारी आर्ट कालेज, और सरकारी औद्योगिक कालेजों की फ्रीस (२) साध्यमिक—सरकारी माध्यमिक स्कूलों की फ्रीस, तथा छात्रालयों से आय (३) प्रारंभिक—सरकारी प्रारंभिक स्कूल फ्रीस (४) स्पेशल फ्रीस, मिडिल स्कूल फ्रीस। सुधारक स्कूलों के कारबाहने की आय। (५) जनरल सहायता, या दान। (६) विविध; परीक्षा फ्रीस सिविल एंजिनियरिंग कालेज, किताबों, और अन्य सामान की विक्री, प्रांतीय परीक्षाओं की फ्रीस आदि।

न्याय की भाँति, शिक्षा भी जितनी सस्ती हो, उतना अच्छा है। प्रारंभिक शिक्षा तो बिल्कुल बिना फ्रीस ही होनी चाहिए, अन्य शिक्षा की फ्रीस भी यथा संभव कम रहना उत्तम है। वर्तमान समय में यहां शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्व साधारण की कौन कहे, मध्यम श्रेणी के भी बहुत से आदमी इस का ज्यव सहन नहीं कर सकते। इसकिए देश में अविद्याल्पकार छाया हुआ है। इसे दूर करना चाहिए। इसकिए शिक्षा विभाग को फ्रीस द्वारा आय बढ़ाने का लक्ष्य न रखना चाहिए।

स्वास्थ और चिकित्सा—इस मह की आय निम्न विषयों से होती है—(७) स्वास्थ—दवाइयों और टीका लगाने की चीज़ों की विक्री, सहायता। (८) चिकित्सा—मेडिकल स्कूल और कालिज फ्रीस, अस्पताल की आय, पागल खानों की आय जिस में ऐसे पागलों को रखने देने वाली आय भी शामिल है, जो दरिद्र न हों। अनुनियोपैकटियों और छावनियों की सहायता, सर्वसाधारण का चन्दा, सैनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सहायता। दान की आय, विविध; रसायनिक विश्लेषण की फ्रीस आदि।

सिविल निर्माण कार्य—इस मह में सरकारी भकालों का किराया, उन की विक्री का रूपया, तथा अन्य इस प्रकार की विविध आय संमिलित है।

मुद्रा टकसाल और विनिमय—इस मह में सरकार के 'पेपर करेंसी रिजर्व' नामक कोष में जो 'सिक्यूरिटियों' रक्खी जाती हैं, उन की रकम का सूख तथा भारतवर्ष के लिए पैसा इकट्ठी आदि सिक्के ढालने का लाभ संभिलित है। रुपया ढालने का लाभ 'गोल्ड स्टैब्ड रिजर्व' अर्थात् मुद्रा ढक्काई लाभ कोष में ढाला जाता है। विनिमय की आय के संबंध में इस मह में होने वाले व्यय के प्रसंग में जिख्सा जा चुका है।

चौदहवां परिच्छेद

ध्यवसायिक आय

सरकार को जिन ध्यवसायिक कार्यों से आय होती है, वे सुख्यतया निम्नलिखित हैं:—रेल, डाक-तार, जंगल और नहर। जेलों से होने वाली आय भी जो परिमाण में विशेष नहीं होती—ध्यवसायिक ही है।

रेल—रेलों के संवर्तन में कुछ बातें पहले बताई जा सकती हैं। इस मह की आय के हिसाब के बास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में से उन के चलाने का सर्व तथा कंपनियों को दिया हुआ सुनाक्षण बटा दिया जाता है, और शेष में कंपनियों की रेलों से होने वाली आय जोड़ की जाती है।

रेलों की ध्यवस्था में कहुँ दांप हैं। उन में अधिकांश विदेशी पूँजी और विदेशी प्रबंध है, जिस में भारतवर्ष को सूझ की बड़ी रकम बाहर भेजनी होती है, और जनता के हितों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरे दर्जे के यात्रियों को, जिन की संख्या अन्य सब दर्जों के यात्रियों से अधिक होती है, बहुत शिकायतें रहती हैं। माल ले जाने की दरें देश के व्यापार तथा उद्योग धर्घों की उच्चति के लिए अनुकूल नहीं हैं। यदि इन दरों में आवश्यक परिवर्तन किया जाय और जनता की सुविधाओं का यथेष्ट विचार किया जाय, तो उन के द्वारा होने वाले व्यापार और यात्रा की वृद्धि हो और फलतः उन की आय भी बढ़े।

जैसा कि पहले कहा जा सका है सन् १९२५ ई० से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से पृथक् कर दिया है। इस समय यह ध्यवस्था है:—

रेलों में लगी हुई पूँजी का एक प्रतिशत सरकारी आय में सम्मिलित किया जाता है, इस के अतिरिक्त जिस वर्षे निर्धारित से अधिक सुनाफ़ा होता है, उस वर्षे के अधिक सुनाफ़े का पंचमांश भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महस्व बाली रेलों से नुकसान हो तो उत्तनी रकम सरकार को दी जाने वाली रकम से काट ली जाती है। अगर सरकार को दी जाने वाली रकम चुकाने के बाद रेलवे रिजर्व फंड के लिए तीन करोड़ से अधिक रुपया रह जाय, तो जितना रुपया अधिक हो, उस का तृतीयांश सरकार को दिया जाता है।

झाक और तार—इस मह की आय में वह रकम दिखाई जाती है जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकाल कर शेष रहती है। कुल आय में (क) भारतवर्ष में होने वाली झाक और तार की आय, मनी-आड़-कल्पीशन और हृंडो-योरपियन तारों की आय तथा (ख) हृंगलैंड में होने वाली हृंडो-योरपियन तारों की आय सम्मिलित होती है। व्यय में (१) भारतवर्ष के कार्यालयों का व्यय, स्टेशनरी, और छपाई, झाक लाने और ले जाने का खर्च, तार की लाइन आदि का खर्च, (२) हृंगलैंड में ईस्टर्न मेल के लिए दी जानी वाली रकम तथा (३) भारतवर्ष और हृंगलैंड में होने वाले हृंडो-योरपियन तारों का खर्च सम्मिलित है।

भारतवर्ष में सरकार ने जनता की सामर्थ्य और सुविधा का विचार न करते हुए पोस्टकार्डों और लिफाफों का मूल्य बढ़ा रखा है, इससे लोगों के पारस्परिक व्यवहार-बृद्धि में बड़ी रुकावट है। पार्सलों के महसूल की दर बढ़ने से अब जन साधारण को वी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खर्च बहुत कष्टप्रद हो गया है। इस से साहित्य और शिक्षा प्रचार को बहुत धक्का पहुँच रहा है।

सरकार ने झाक और तार दोनों विभागों को मिला रखा है। इस लिए झाक का महसूल पहले से बढ़ाया जा चुकने पर भी इस संयुक्त मह में

धारा रहता है। यदि दोनों विभाग अकाग-अकाग हों तो डाक में बचत हो सकती है; हाँ तार का कार्य घटे पर चल रहा है। इस में किफायत की आवश्यकता है।

जंगल—इस मह में निम्नलिखित आय होती है:—लकड़ी या अन्य पैदावार को सरकार ले, लकड़ी या अन्य पैदावार जो जनता के आदमी लें, जंगल का बे वारसी और ज़ब्त किया हुआ माल, विदेशी लकड़ी या अन्य जंगल की पैदावार पर महसूल, इस विभाग संबंधी सुर्माना, ज़ब्ती आदि।

जंगल विभाग का उद्देश्य प्रजा-हित ही रहना चाहिए; आय का लक्ष्य रखकर प्रजा-हित की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं। इस समय अनेक स्थानों में जंगल विभाग के कारण चरागाहों की बढ़ी कमी हो गई है। इस से सर्व साधारण को पशु-पालन में बड़ी कठिनाई है। पुनः अब इंधन महगा होने के कारण उस का कुछ काम गोबर के उपकारों से ही ले लिया जाता है। इस से खाद की कमी होती है। जंगल विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आवपाशी—इस मह की आय, कुल आय में से संचालन व्यय निकाल कर दिखाई जाती है। कुल आय में कुछ आय तो प्रत्यक्ष होती है और कुछ वह होती है जो आवपाशी के कारण मालगुजारी के बढ़ने से होती है। भारतवर्ष में नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं, परंतु इस की अवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जनता की सुविधा का सम्बन्ध ध्यान रखा जाय, और दर नियमित रहे।

के जंगल की अन्य पैदावार में मुख्य बांस, धास, इंधन, कोयला राज आदि पदार्थ होते हैं।

चर्तुभान अवश्य में कृषकों को नहर-विभाग के संबंध में कई शिकायतें हैं। एक मुख्य शिकायत तो यही है कि आबपाशी की दर बहुत अधिक है; इस संबंध में अधिकारियों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो नहरें व्यवसायिक दृष्टि से बनाई गई हैं, उन में जो पूँजी लगी है उस का सूद साधारण मुनाफ़े सहित भिल जाय, ऐसे हिसाब से ही आबपाशी की दर निश्चित की जाय। दर का अधिक रहना उचित नहीं है। आबपाशी की आय कोई कर की आय नहीं है, इस का उद्देश्य बहुत अधिक धन-प्राप्ति न होकर जनता की सुविधा होनी चाहिए। इस महसे बहुत अधिक आय होने का अर्थ यह है कि यह अपने उद्देश्य पूरा नहीं करती।

किसानों की नहर-विभाग संबंधी दूसरी शिकायत यह है कि उन्हें सिँचाई के लिए पानी उचित समय पर नहीं भिलता, जिन कृषकों से अधिकारियों को कुछ ऊपर की आमदानी हो जाती है, उन पर विशेष कृपा रहती है, दूसरों को पानी प्रायः ऐसे समय पर भिलता है जब वह पूर्णतया लाभदायक नहीं होता। यह न होना चाहिए, किसानों को सिँचाई के लिए अनुकूल समय पर पानी भिलने से उन की फसल अच्छी होगी, और फल-स्वरूप सरकारी आय की भी वृद्धि होगी।

जेल—जेलों की आय विशेषतया उन के उस सामान की विक्री से होती है, जो उन के कारद़ानों में क्रैदियों द्वारा तैयार कराया जाता है। क्रैदी काफ़ी धैर काम करते हैं, पर ग्रामः उन के अम के प्रतिफल में से उन्हें कुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था नहीं होती; इसलिए वे काम डतना मन लगाकर नहीं करते; जो माल तैयार होता है, वह धटिया दर्जे का होता है। फिर, इन कारद़ानों में जैसे-तैसे क्रैदियों को धेर कर रखा जाता है, यदि उन्हे उन की रुचि के अनुसार काम दिया जाय, उस का प्रबंध आदि ठीक हो तो उसकी अधिक हो सकती है। बहुधा जेलों में जो माल तैयार होता है उस के बेचने के लिए भी उचित प्रबंध नहीं

किया जाता, उस में थरेट सुधार हो तो माल के दाम अच्छे उठें। प्रायः जेलों के बारीचों में जो फल या शाकादि होता है। उस का उत्तम भाग उच्च पदाधिकारियों की भेंट किया जाता है। वह क्रौंदियों को ही दिया जाना उचित है। पश्चात् आदि कुछ बचे तो वह बेचा जाना चाहिए। अस्तु, जेलों की आय में काफ़ी बुद्धि हो सकती है।

विशेष वक्तव्य—सरकार की व्यवसायिक आय का विचार हो चुका। सरकार को कुछ आय पूर्वोक्त के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी होती है। इन में सुख्य सेना, सूद आदि हैं। सैनिक आय में सैनिक स्टोर, कपड़े दूध, मक्खन, तथा पशुओं की विक्री से और सैनिक निर्माण कार्य से होने वाली आय समिलित है।

सूद की मद के केंद्रीय भाग में (क) भारत सरकार द्वारा प्रांतों को दिए हुए ज्ञान और पेशगी का सूद, रेलवे कंपनियों को दी हुई पेशगी का सूद, तथा उन के 'प्राविडैंट फंड' की सिव्यरिटी का सूद, और (ख) हँगलैंड में सूद की विविध आय समिलित होती है। इस मद की प्रांतीय आय ज़िला और अन्य 'लोकल फंड' कमेटियों, न्युनीसिपैलिटियों, ज़िला बोर्डों, ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों आदि को दिए हुए ज्ञान के सूद से होती है।

सरकारी हिसाब में जो विविध आय की केंद्रीय मद है, उस में पेशन संबंधी आय के अतिरिक्त सरकारी स्टेशनरी अथवा उस्तकों, गज़ट था रिपोर्ट आदि की विक्री से होने वाली आय सुख्य है। प्रांतों को पुराने स्टोर और सामान की, तथा ज़मीन और मकान ('नज़ूक') की विक्री से सरकारी लेखा-परीक्षक आदि की फीस से, और ज़मीन और मकानों के किराए आदि से भी आय होती है।

पन्द्रहवां परिच्छेद

स्थानीय-राजस्व

केंद्रीय और प्रांतीय राजस्व का वर्णन हो चुका, अब स्थानीय राजस्व का वर्णन किया जाता है।

स्थानीय कार्यों की विशेषता—नगरों और देहातों में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की आवश्यकता होती है। सझक बनवाना नालियाँ बनवाना और साफ कराना, बालकों की शिक्षा का प्रबंध करना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पृथक् पृथक् रूप से अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकता। परंतु केंद्रीय या प्रांतीय सरकार द्वारा भी यह यथेष्ट रूप में नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन में निरीक्षण या देख-भाल की बहुत आवश्यकता होती है, और देश भर के सब नगरों या देहातों में यह कार्य एक ही तरह के न होकर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है। हैसलिए किसी नगर या देहात के ऐसे कार्य उसी स्थान के निवासियों के प्रतिनिधि विशेष उत्साह और कुशलता-पूर्वक करा सकते हैं।

स्थानीय और अन्य राजस्व में भेद—स्थानीय राजस्व का और प्रांतीय तथा केंद्रीय राजस्व का भेद जानने के लिए पहले हमें स्थानीय संस्थाओं के और प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करना चाहिए।

१—स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है उस का संबंध किसी द्वास ज़िले अथवा उस के भी किसी युक्त भाग से रहता है।

२—केंद्रीय अथवा प्रांतीय व्यवस्था से स्थानीय संस्थाओं की शक्ति पर बहुत नियंत्रण रहता है, यद्यपि इन के कार्य-चैत्र को क्रमशः बढ़ाया जाता है।

३—स्थानीय संस्थाओं के कार्य बहुधा प्रत्यक्ष और आर्थिक प्रकार के होते हैं और उन से होने वाले लाभ की कुछ माप हो सकती है।

स्थानीय संस्थाएँ अपने कार्यों को चलाने के लिए 'रेस' लेती हैं। इन्हें साधारण बोल-चाल में टेक्स या कर देते हैं। पर वास्तव में केंद्रीय (तथा प्रांतीय) और स्थानीय करों में भेद है:—

(१) स्थानीय संस्थाएँ अपने करों से प्राप्त होने वाली आय को राशनी सड़कों की मरम्मत, शिल्पा, सफाई, पानी के नलों आदि के येसे कार्यों में खर्च करती है, जिन से कर दाताओं का प्रत्यक्ष लाभ हो, जब कि केंद्रीय करों से लाभ प्रलक्ष होता हुआ मालूम नहीं होता। (२) केंद्रीय करों की आय अनिश्चित होती है, वह जनता की सुख-समृद्धि पर निर्भर होती है। स्थानीय संस्थाओं के करों से होने वाला खर्च पहले से निश्चित रहता है, इन करों की रकम स्थानीय संस्था के चैत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों से निवारित दर से बसूल की जाती है, जिनके पास सम्पत्ति या जागीर होती है। (३) केंद्रीय कर ग्राम: देश भर में एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही दर से बसूल किये जाते हैं, इसके विपरीत स्थानीय करों में तथा उन की दर में स्थान-भेद से भिन्नता होती है, उदाहरणात् एक मुनीसिपैलिटी मकान पर कर लगाती है, दूसरी नहीं लगाती, एक में यह कर किराये की रकम पर एक आना फ्री रुपया और दूसरी में दो आने या कम ज्यादह होता है।

स्थानीय राजस्व का आदर्श—स्थानीय स्वराज्य पूर्ण रूप से होने की दृश्य में, स्थानीय राजस्व का आदर्श यह है कि प्रत्येक स्थानीय संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आदिमियों से अपने कर बसूल

करें, उसे उस सीमा में उन करों से प्राप्त आय को नागरिकों के हित के लिए, व्यय करने का अधिकार हों, वह इन करों को अपनी ईच्छा से अपने साधनों या आवश्यकताओं के अनुसार बटा या बढ़ा सके। उसके कार्य-क्षेत्र की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो। निससंदेह प्रत्येक स्थानीय संस्था का संबंध एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले कार्यों से रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश्य पूरा करते हुए, कम से कम हो। प्रायः एक स्थानीय संस्था की सीमा एक नगर या कस्बा, या बड़ा गांव, या कुछ छोटे छोटे गांवों का समूह समझी जाती है।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और सरकार का राजस्व संबंध— राजस्व के विषय में स्थानीय स्वराज्य संस्था और केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार का संबंध निम्न लिखित प्रकार का हो सकता है:—

१—सरकार, संस्थाओं वसूल से किए जाने वाले करों का स्वरूप तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवल कर ही निर्धारित करे, और यह अधिकार संस्थाओं को ही दे कि वे उससे अनुमति लेकर करों से होने वाली आय को घटावा सकें। इस दशा में संस्थाएँ राजस्व के संबंध में सरकार के अधीन रहेंगी।

२—सरकार, करों का स्वरूप और उससे वसूल की जाने वाली रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे दें। इस दशा में संस्थाएँ, राजस्व के संबंध में स्वाधीन रहेंगी।

भारतवर्ष में, यथापि इस बात का विचार किया जाता है कि संस्थाएँ अपनी आय को बढ़ावें, तथापि अभी तक वे सरकार की सहायता का बहुत आश्रय लेती हैं, उनकी अपनी आय इतनी नहीं होती कि वे अपने निरंतर बढ़ने वाले कार्यों को भली भांति चला सकें। इसलिए जब कभी उन्हें सरकार से यथोष सहायता नहीं मिलती तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है।

बड़े बड़े कामों के लिए संस्थाओं को बहुधा ऋण लेना होता है।

भारतवर्ष में यह ऋण प्रायः सरकार से किया जाता है।

स्थानीय करों का विवेचन—कर संबंधी नियम पहिले दिए जा चुके हैं। करों का साधारण विवेचन भी हो चुका है। यहाँ स्थानीय करों के संबंध में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है। पहले व्यापार पर लगाने वालों करों का विचार करें।

व्यापार पर कर—भारतवर्ष में कई प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतर आय उस महसूल से होती है जो इस देश के ही दूसरे स्थानों से उनकी सीमा के अंदर आने वाले माल पर लगता है। इसे चुंगी कहते हैं। यह कर स्थानीय उपभोग पर लगता है। पर जिन स्थानों से माल आता है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

पारंचाल्य देशों में आंतरिक व्यापार की खूब उज्जति हो गयी है। नगरों में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है, और प्रत्येक नगर एक दो खास चीजों के बनाने में लगा रह कर, अपनी शेष सब आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे स्थानों से माल संगाकर करता है। ऐसी दशा में चुंगी लगाने का कार्य बहुत असुविधाजनक और आपरिमित व्यय-साध्य होता है। परंतु भारतवर्ष में यह बात नहीं है।

इस कर से होने वाली आय अनिश्चित रहती है। कर-जाता को बड़ी असुविधा रहती है, उसे जब अपने परिवार के आदमियों के साथ नगर में प्रवेश करते समय चुंगी की चौकी पर ठहरना पड़ता है तो बुरा लगता है। यह कर जब जीवन-रक्षक पदार्थों पर लगता है तो इसका भार धनियों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसके वसूल करने का खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है, और इसमें धोखा देकर कर से बचने की भी बहुत गुंजाइश है। इस कर के कारण आदमियों तथा गाड़ियों आदि की आवाजाई में बाधा उपस्थित होती है। कर-जीवन-समिति की सिफारिश थी कि यह कर डठ दिया जाना चाहिये, और अगर ऐसा करना संभव न हो इसकी जगह अंतिम स्थान कर ('टर्मिनल ट्रैक्स') किया

आय, जो वस्तुओं के भेद या सूक्ष्म के अनुसार न होकर वज्रन के हिसाब से होता है।

मकान-कर—यह कर मकान के अधिक किराए पर निर्धारित दर से लगाया जाता है। बहुत सी न्युनिसिलिपैटिवों में इस कर के लगाए जाने की गुंजाई है, यदि मकानों के मौके ('साइट') का भी विचार रखा जाय तो आय और वद सकती है। गृह-कर बहुधा मकान के मालिक पर न पड़ कर उसके किरापदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक किराए के साथ ही प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से इसे बसूल कर लेता है। यदि मकानों की मांग बहुत न हो तो यह कर मकान मालिक पर ही पड़ता है। देहातों में इस कर के समान 'अबवाब' लिया जाता है, यह प्रायः मालगुजारी के साथ उस पर एक आना फी रूपए के हिसाब से लिया जाता है। इसे सरकार बसूल करती है, और पीछे ज़िला-बोर्ड को दे देती है।

यात्री-कर—कुछ स्थानों पर यात्री-कर लिया जाता है। इसका भार वहाँ आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझा जाता है कि उन स्थानों से लाम उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे महसूल के साथ सुभोते से बसूल कर लिया जाता है। बहुत से स्थानों में इस आय का अधिकांश भाग स्थानीय कार्यों के लिए ही खर्च किया जाता है, यात्रियों के लिए नहीं।

हैसियत-कर—यह आय कर की भाँति प्रत्यक्ष कर है, इसका परिमाण बहुत कम रखा जाता है इसे प्रायः ज़िला-बोर्ड लेते हैं। कुछ स्थानों में नौकर रखने वालों से भी कर लिया जाता है।

फोस आदि—कुछ विशेष कार्यों के उपकरण में स्थानीय संस्थाएं नागरिकों से फ्रीस या महसूल लेती हैं, जैसे पानी (नल) का महसूल,

रोशनी का महसूल (बिजली आदि), स्थूल फ्रीस आदि। कुछ शुल्क विलासिता की वस्तुओं पर, अथवा सुव्यवस्था की दृष्टि से लिए जाते हैं, यथा मोटर, साइकिल, तांगा, कुत्ता आदि रखने का महसूल।

भारतवर्ष की स्थानीय रसराज्य संस्थाएँ—प्राचीन समय में यहाँ चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहातों में ग्राम्य-संस्थाओं द्वारा, और नगरों में व्यापार-संघों (ड्रेड गिल्ड) द्वारा होता रहा। भारतवर्ष देहातों का देश है। अब भी यहाँ ६० फ्री सदों जनता देहातों में रहती है। यहाँ यहाँ का प्रायः प्रत्येक देहात अपनी शिक्षा स्वास्थ्यादि की सामाजिक आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था। यहाँ की ग्राम्य पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रही हैं। प्रत्येक गाँव की पंचायत रक्षार्थ पुलिस रखती थी, छोटे मोटे गाँवों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वसूल करके राज्य कोष में भेजती थी, और तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क आदि स्थानीय उपयोगिता के सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करती थी। मुश्तक शासन में भी पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धीरे धीरे घटता गया। पीछे वे लुप्त-प्राय हो गईं। केवल थोड़े से चिन्ह शेष हैं, जो उनके उच्च आदर्श की स्मृति कराते हैं। अंगरेजों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, वरन् उनके स्थान पर नवीन संस्थाओं की स्थापना की जिन्होंने अभी तक देश में अच्छी जड़ नहीं पकड़ पाई है।

अस्तु, भारतवर्ष में वर्तमान स्थानीय संस्थाओं के निम्न-क्रियित भेद हैं—

- १—मुनिसिपैलिटियां और कारपोरेशन, तथा नोटीफाइड पूरिया,
- २—स्थानीय और ज़िला बोर्ड, यूनियन कमेटियां
- ३—पंचायतें
- ४—पोर्ट ट्रस्ट
- ५—इन्फ्राक्षेट ट्रस्ट

अब इनका क्षमशः चर्णन करते हैं।

म्युनिसिपैलिटियां और कारपोरेशन—सन् १८४२ है० बंगाल में, और सन् १८४० है० में समस्त भारतवर्ष में म्युनिसिपैलिटियां स्थापित करने के विचार से पेकट बनाया गया। इनकी कुछ वास्तविक उन्नति सन् १८७० है० में, लार्ड मेयो के समय में हुई। सन् १८८४ है० में लार्ड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाए, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है।

प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी की सीमा निश्चित की हुई है। जो जोग उसके अन्दर रहते और उसे टैक्स देते हैं, वे 'रेट पेयर' या कर-दाता कहाते हैं। इन कर-दाताओं में से जो निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, अथवा जिनके पास जागीर हैं, वे "वोटर" या मतदाता कहाते हैं। हन्हें अपनी म्युनिसिपैलिटी के लिए मेम्बर (म्युनिसिपिल कमिशनर) चुनने का अधिकार है।

कलकत्ता, बंबई और मद्रास शहर की म्युनिसिपैलिटियां, म्युनिसिपल कारपोरेशन या केवल "कारपोरेशन" कहलाती हैं। इनके मेम्बरों (कमिशनरों) को कौंसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिसिपैलिटियों से, इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-न्यय तथा कार्य-सेवा अधिक होता है।

कार्य—म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य कार्य, कहाँ-कहाँ कुछ भेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:—

(१) सर्व साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना; सड़कें बनवाना, उनकी भरभरत कराना, उन पर छिपकाव कराना, और वृक्ष लगावाना, ढाक-बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना, कहाँ आग लग जाय तो उसे बुझाना, अकाल, जल की आँड़, या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना।

(१) स्वास्थ्य-रक्षा, अस्पताल या औषधालय स्रोतना, चेचक और प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी बहाने का प्रबंध करना, और दूत की बीमारियों को बंद करने के लिए उचित उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गयी है, इसका निरीचय करना,

(२) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना; मेले और त्रुमायर्थों करना।

(३) विनली की रोशनी, द्रामवे तथा छोटी रेतों के बनाने में सहायता देना।

आमदनी के साधन—इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य मुख्य साधन ये हैं:—

(१) चुंगी। अधिकतर उत्तर भारत, बंबई और मध्य प्रांत में; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले भाल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्त प्रांत में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में न्युनिसिपैलिटियों का नाम ही 'चुंगी' पढ़ गया है। (२) मकान और झगड़ीन पर कर (विशेषतया आसाम, बिहार-ठड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत और बंगाल में)। (३) व्यापार और पेशों पर कर, (विशेषतया भद्रास, संयुक्त प्रांत, बंबई, मध्य प्रांत और बंगाल में)। (४) सदकों और नदियों के पुलों पर कर (विशेषतया भद्रास, बंबई और आसाम में)। (५) सवारियों, गाड़ी, घग्गी, साइकिल, मोटर और नाव पर कर। (६) पानी, रोशनी, नालियों की सफ़ाई, हाट-बाज़ार, क्रसाई, प्लाने, पायप्लाने आदि पर कर। (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर। (८) यात्रियों पर कर, यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़्रासले से आने वालों पर लगता है और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। (९) न्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस। (१०) कांजी-हौस की फ़ीस। (११) सरकारी सहायता या शृण।

कुछ प्रांतों में शिक्षा, अस्पतालों और पशु चिकित्सा के लिए म्युनि-सिपैलिटियों को सरकारी सहायता भिलती है। जब किसी म्युनिसिपैलिटी को मैले पानी के बहाव के लिए नालियां बनानी होती हैं अथवा, जल-प्रबंध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है। यदि उचित समझा जाय, तो इस प्रचंच का कुछ भार सरकार कुछ शर्तों से अपने ऊपर ले लेती है।

संख्या और आय-ऋण—विदिश भारत में (जिसमें अब बर्मा नहीं है) सब म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की संख्या ७२७ है। इन संस्थाओं की कुल आय और ऋण ३४ करोड़ रुपया है। इसमें २२ करोड़ रुपए से अधिक कलाकृता, मदरास और बंबई का ही भाग है; अकेले बंबई की डक्क भड़की १८ करोड़ है। इस प्रकार ७२४ म्युनिसिपैलिटियों की आय १२ करोड़ रुपए रह गई; और यह कितनी कम है, यह खिलाने की आवश्यकता नहीं। कई प्रांतों में म्युनिसिपैलिटियां अपना बजट या नया कर सरकार (या कमिशनरों) से मंजूर कराती हैं।

जन संख्या और कर की मात्रा—कुल म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की सीमा में २ करोड़ १२ लाख से अधिक, अर्थात् विदिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग अ प्रती सदी से कुछ कम आदमी रहते हैं। ६५३ म्युनिसिपैलिटियों में पचास-पचास हजार से कम, और शेष ७४ में पचास-पचास हजार या अधिक आदमी हैं। म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर म्युनिसिपल कर की औसत भिज-भिज है; उदाहरणात् बंबई शहर में २३ रु०, बंबई प्रांत में (बंबई शहर छोड़कर) ६ रु० ८ आने, संयुक्त प्रांत में ३ रु० ४ आने, बिहार-ढ़ड़ीसा में २ रु० १ आना, मध्य प्रांत बरार में ३ रु०।

नोटीफाइल एरिया—ये अधिकतर पंजाब और संयुक्त प्रांत में हैं। इन्हें म्युनिसिपैलिटियों के थोड़े-थोड़े से अधिकार होते हैं। ये उसी

बोर्ड में होते हैं, जहाँ बाजार या क्रस्वा अवश्य हो, और जिसकी जन-संख्या दस हजार से अधिक न हो। स्थुनिसिपैलिटियों की अपेक्षा इनकी आय (एवं व्यय) कम रहती है। इनके अधिकांश सदस्य नामज्ञद होते हैं।

बोर्ड या यूनियन—देहातों में स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ, स्थुनिसिपैलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ। यहाँ स्वास्थ्य, सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा तथा शौपधादि का प्रबंध रखने के उद्देश्य से 'आम्य-बोर्ड' संगठित किए गए हैं। इसके तीन भेद हैं:—(१) 'लोकल' बोर्ड (एक बड़े गाँव में, या छोटे गाँवों के समूह में), (२) ताल्लुका-अथवा सब-डिविजनल बोर्ड, और (३) ज़िला-बोर्ड^१। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतों में बोर्डों की अवस्था एक-सी नहीं है। भद्रास और मध्य प्रांत में इनकी स्थापना अधिक हुई है। भद्रास में प्रत्येक बड़े गाँव का अथवा कई गाँवों को मिलाकर उस सब का, एक यूनियन, बना दिया गया है। बंवह में बोर्डों के केवल दो ही भेद हैं:—ज़िला-बोर्ड और ताल्लुक-बोर्ड। बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ज़िला-बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं, और लोकल बोर्डों के बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया है। आसाम में ज़िला-बोर्ड नहीं हैं, वहाँ केवल सब-डिविजनल-बोर्ड ही हैं।

बोर्डों की आय के साधन—बोर्डों की अधिकतर आय उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे सरकारी वार्षिक लगान या भालगुजारी के साथ ही प्राप्त। एक आना फ्री रूपए के हिसाब से, बसूल करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रकम, कुछ शर्तों से प्रदान कर देती है।

^१ज़िला-बोर्ड को मध्य प्रांत में ज़िला-कॉसिल कहते हैं।

आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की फ्रीस, कांजी हौस की आमदनी, मेले या जुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। (आसाम प्रांत को छोड़ कर) अधीन ज़िला-बोर्डों का कोई स्वतन्त्र आय-श्रोत नहीं, उन्हें समय-समय पर ज़िला-बोर्डों से ही कुछ मिल जाता है।

‘बोर्डों’ का कर्तव्य पालन—बोर्डों को अपने ग्राम्य-चेन्न में वैसे सब कार्य करने होते हैं, जैसे स्थुनिसिपैलिंगियों को नगरों में करने होते हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें कृषि और पशुओं की उन्नति के लिए भी विविध कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उनका कर्तव्य कितना भवान है, यह स्पष्ट ही है। इसे देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि बोर्ड प्रायः बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी आय बहुत थोड़ी—सालाना, लगभग १५ करोड़ ५२ लाख रुपया है, जब कि उनके चेन्न में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २३ करोड़ से अधिक है।

पंचायतें—पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिए, प्रांतीय सरकारों पर छोड़ा गया है। भारत सरकार निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, पंचायतें स्थापित करने के पक्ष में है। पंचायतों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के साधारण मामलों का फ्रैंसला करने का अधिकार होता है। शिला, स्वास्थ-सफाई, और आवारा फिर कर जुक्रसान पहुँचाने वाले भवेशियों के संबंध में भी उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। पंचायतों को समय-समय पर अन्य स्वराज्य-संस्थाओं तथा सरकार से कुछ रकम मिलती है। इस के अतिरिक्त वे निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने चेन्न के आदमियों पर कुछ कर लगा सकती हैं। यदि उन का कोई कर या जुर्माना वसूल न हो तो ज़िला-मैजिस्ट्रेट उसे वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय, ज़िला-मैनिस्ट्रैट की अनुमति से ही, शिला, स्वास्थ,

सफ़ाई में, या कची सड़कें बनवाने आदि के कार्य में घर्षण करती होती है।

पोर्ट-ट्रस्ट—बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबंध करने वाली संस्थाएँ ‘पोर्ट-ट्रस्ट’ कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनवाती हैं, और व्यापार के सुभीते के लिए नाव, और छोटे जहाज़ की सुव्यवस्था करती हैं। समुद्र-नट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-भाग, या नदी पर इनका पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। इनके सभासद कमिशनर या ट्रस्टी कहते हैं। सभासदों में चेम्बर-आफ-कामसं जैसी व्यापार-संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। कलकत्ते और करांची में न्युनिसिपैलिटियों के भी प्रतिनिधि इनमें लिए जाते हैं। कलकत्ते के अंतिरिक्त सब पोर्ट-ट्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द ही अधिक रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं। न्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा पोर्ट-ट्रस्टों में सरकारी हस्तांत्र अधिक है। माल-खदाई और उत्तराई, गोदाम के किराए, तथा जहाज़ों के कर से जो आमदानी होती है, वही इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कारों के लिए फ़र्ज़ लेने का अधिकार है। प्रधान पोर्ट-ट्रस्ट कलकत्ता, बंबई, करांची, मद्रास और चटगांव में हैं। इनकी कुल आय ७ करोड़ ४ । लाख रुपए हैं। पोर्ट-ट्रस्टों पर लगभग ५० करोड़ रुपए से अधिक ज्ञाय बढ़ा हुआ है।

इम्प्रेंचर्मेंट ट्रस्ट—बड़े-बड़े शहरों की उचिति या सुधार के लिए कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, धनी वस्तियों को हवादार बनाना, शरीरों और भज्जूरों के लिए मकानों की सुव्यवस्था करना आदि। इन कारों को न्युनिसिपैलिटियों नहीं कर सकतीं; उन्हें तो अपना रोज़मर्रा का काम ही बहुत है। अत. इनके बास्ते इम्प्रेंचर्मेंट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ये कलकत्ता, बंबई, रंगून, हवाहाबाद, लखनऊ, और काशीपूर आदि में हैं। इनके सदस्य सरकार, न्युनिसिपैलिटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किए जाते हैं। ये अपने

अधिकार-नगत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार ऋण या सहायता लेते हैं।

उपसंहार—स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के विषय में यह स्पष्ट है कि अंगरेजों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, बरन् उनके स्थान पर नवीन संस्थाओं की स्थापना की है, तथा उन पर कमिशनर आदि का नियंत्रण अंकुश विशेष रूप से रखा है। लार्ड रिपन के समय (सन् १८८४ ई०) से अब तक इन्हें स्थानीय युक्तिस आदि संबंधी कुछ नवीन अधिकार नहीं दिए गए। पंचायते तो नामज्ञाद सदस्यों की ही संस्थाएँ हैं, प्रति-निधियों की नहीं। इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं। इसलिए ये बहुत कम कार्य कर पाती हैं, और इसी से ये यथेष्टफली-मूल्यी नहीं। इनकी वृद्धि और विस्तार की आवश्यकता असंदिग्ध है।

बहुत सी न्युनिसिपैक्सिटियों और ज़िला-बोर्डों के संबंध में यह शिकायत है कि सड़कों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक शिक्षा यथेष्ट रूप में नहीं दी जा रही है, या कन्याओं की शिक्षा में बहुत कम प्रगति हो रही है। इन दोपों का एक कारण तो यह है कि इन संस्थाओं की आय के साधन कम हैं, जिसके विषय में पहले किखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, बात यह भी है कि इनमें अनेक आदमी कोई ज्ञास कार्य-कम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीर्ति या यश आदि के लिए जाते हैं और दल-बन्दी करते हैं, जिससे सार्वजनिक हित की उपेक्षा होती है। मत-दाताओं को चाहिए कि मिशनरा या रिस्टेदारी आदि का किंहाज़ा छोड़कर, कार्य करने वाले सदस्य निर्वाचित किया करें, और समय-समय पर इस बात की जाँच करते रहें कि सदस्य अपने कर्तव्य का समूचित पालन करते हैं या नहीं। अल्पु, जनता एवं सरकार दोनों को इस बात का भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि भारतवर्ष की स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ वास्तव में स्वराज्य-संस्थाएँ हों और अपने चेत्र के विविध कार्यों का योग्यता-पूर्वक सम्पादन कर सकें।

सोलहवां परिच्छेद

सार्वजनिक ऋण

भारतवर्ष में, केंद्रीय सरकार को ऋण के सूद में प्रति वर्ष तेरह-चौदह करोड़ रुपए देना होता है। प्रांतीय सरकारों को भी प्रति वर्ष थोड़े बहुत परिमाण में इस मद्द में खर्च करना होता है। इसी से, राजस्व में ऋण के महत्व का अनुमान हो सकता है। इस परिच्छेद में ऋण के विषय में ही विचार करना है।

राज्य को ऋण की आवश्यकता—पहले कह तुके हैं कि राज्य को विविध कार्यों के सम्पादन के लिए, उनके खर्च की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाने पड़ते हैं। ज्यों-ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे। पहले तत्कालीन करों की मात्रा या सख्त्या बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु जब खर्च इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके पूरा करने के लिए करों के बढ़ाने की गुंजायश न हो, अथवा जब कोई खर्च इस प्रकार कर हो कि उसके लिए कर लगाना उचित न समझा जाय, तो राज्य को ऋण लेने की आवश्यकता होती है।

राज्य को ऋण लेने की सुविधा—सहकारी समितियों या व्यापारिक कर्मनियों की भाँति, राज्य की साक्ष व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसे पूंजी, अधिक मात्रा में और कम सूद पर मिल सकती है। यदि ऋण बहुत ही अधिक किया जाय तो वह सुविधा कम हो जायगी। जब किसी देश की माली हालत अच्छी न हो, हिसाब साफ़ न रहता हो,

या अशांति और युद्ध की अवस्था हो, तो भी ऋण लेने की सुविधा कम हो जाती है। पराधीन देश की सरकार शासक-देश से, अथवा उसकी साथ पर ऋण ले सकती है।

विगत कई वर्षों में भारत सरकार का खार्च उसकी आय से अधिक हुआ, नए-नए कर लगाने पर भी उसे बाया रहा। इस से ऋण बढ़ता गया। तथापि भारत सरकार को जितिश सरकार की साथ पर ऋण लेने की सुविधा बनी हुई है। परंतु सुविधा होने पर भी राज्य को बिना सोचे-समझे ऋण नहीं लेते रहना चाहिए।

किनकिन दशाओं में ऋण लिया जाता है?—साधारणतया तीन दशाएं ऐसी हैं जिनमें धन प्राप्त करने के लिए, राज्य ऋण लिया करता है:—

(१) जब राज्य नहर या पुल आदि ऐसा सार्वजनिक निर्माण-कार्य करे जिनसे महसूल आदि की आय हो, अथवा जब वह उद्योग-धर्घों की वृद्धि तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पादक कार्यों का संचालन करे, जिनसे देश-वासियों की धन-वृद्धि हो, और काजांतर में राज्य की, करों से प्राप्त होने वाली आय स्वयं बढ़ जाय। ऐसी दशा में आवश्यक धन, कर-वृद्धि से प्राप्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ऋण लेकर इसके लिए व्यय करना चाहिए। इस व्यय से भविष्य में चिरकाल तक आय होती है, अतः इस व्यय को उसी कार्य की आय से कमशः कहु वर्षों में बसूल करना श्रेयपकर है; हाँ, राज्य को प्राप्त होने वाली आय का बड़ी सावधानी से अनुमान करना चाहिए।

जब अकाल आदि आर्थिक दुर्घटना के कारण, कुछ समय के लिए राष्ट्र की आय घट जाय तथा राज्य का खार्च चालाना कठिन

हो जाय, तो ऋण लेना उचित नहीं, क्योंकि इस से आर्थिक दुष्टीना न होने की दशा में भी ऋण लेने की आदत पड़ने की आशंका है। अतः आय की उपर्युक्त कमी को करों से ही पूरा करना ठीक है। पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में अकाल होने पर सरकार ऋण नहीं लेती, वरन् इस कार्य के लिए अलग रखे हुए रुपयों का ही उपयोग करती है।

(३) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य के आक्रमण आदि किसी ऐसे आकस्मिक घट्य का भार आ पड़े, जिस की बार-बार पुनरावृत्ति की आशा न हो, तो ऐसी दशा में भी ऋण लेना ही उचित होगा, क्योंकि कर लगाने और फिर जल्दी उसे हटाने से राजस्व में बड़ी गड़बड़ भचती है, और करों की समानता घटती है। यद्यपि इस ऋण से भविष्य में कोई आय नहीं होती, तथापि राज्य की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है।

दूसरों को परतंत्र बरने वाले युद्धों के लिए अथवा अन्य अनुत्पादक कार्यों के लिए, अपने सिर पर ऋण का भार लगाना कदापि उचित नहीं।

देशी-विदेशी ऋण—ऋण यथा संभव स्वदेश में ही किया जाना चाहिए। विदेश में ऋण लेने से सूद का रुपया देश से बाहर जाता है, इस के अतिरिक्त विदेशी ऋण-दाता या साहूकार अपने व्यापारिक और राजनैतिक अधिकारों की बुद्धि का भी क्षम्य रखते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों किसी देश पर ऋण का भार बढ़ता जाता है, वह आर्थिक और राजनैतिक, दोनों दृष्टियों से अधिकाधिक पराधीन होता जाता है। अस्तु, विदेश से ऋण लेने में साधानी रखने की बड़ी आवश्यकता है। परंतु भारत सरकार को इस

बात की स्वतंत्रता नहीं है कि जहाँ कहाँ से ज्ञान अच्छी शर्तों पर, तथा कम सूद में मिले, वहाँ से ही ले सके, उसे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंगलैण्ड में ही लेना पड़ता है और वह न केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ज्ञान लेती है बरन् अनुस्थादक कार्यों के लिए भी वहाँ से ज्ञान लेती रहती है, जिससे यहाँ के उद्योग धंधों की वृद्धि नहीं होती, और जनता को अधिक कर-भार सहना पड़ता है, तथा उसकी आर्थिक दशा झ़राब होती रहती है। भारत सरकार के ज्ञान लेने पर यहाँ के लोक-प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं है, भारतीय व्यवस्थापक-मंडल से इसकी स्वीकृत जी जाया करे तो इस पर कुछ रोक-थाम हो।

राष्ट्रीय ज्ञान का भार—किसी राज्य के निवासियों पर राष्ट्रीय ज्ञान का भार कितना है, इसका ठीक अनुमान करना बहुत कठिन है। विविध उपायों का प्रयोग करके देखा जाय और यदि सब का फल एक ही प्रकार का हो तो कुछ निष्कर्ष लिकाला जा सकता है। उपर्युक्त उपायों में से प्रथम ज्ञान की कुल मात्रा का विचार है; परंतु अकेले इसी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह भी देखना होगा कि यह ज्ञान कितनी जन-संख्या पर है, और यह जनता कहाँ तक धनवान् या निर्धन है। यह सर्वथा संभव है कि धनी जनता पर प्रति व्यक्ति कर का परिमाण अधिक होने पर भी, उस पर कम कर चाली जनता की अपेक्षा कर-भार कम ही हो। उदाहरणावत् भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति कर की मात्रा इंगलैण्ड की अपेक्षा कम होने पर भी, यहाँ कर-भार कम नहीं कहा जा सकता। ज्ञान-पत्रों के मूल्य से भी कर-भार का ठीक अनुमान नहीं हो सकता; कारण, किसी समय के ज्ञान पत्रों के विकाय का बाज़ार-दर केवल एक परिमित संख्या के ज्ञान पत्रों के तत्कालीन मूल्य को ही सूचित करता है। इस में कुछ स्थिरता नहीं होती।

मिल-मिल राज्यों की व्याज-दर की तुलना करने से भी कर-भार

का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। हम पढ़िजे बता आए हैं कि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साथ पर ऋण कम सूद पर मिलता है; अब, यदि जर्मनी या फ्रांस को अपने ऋण पर जँची दूर से सूद देना पड़ता हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष पर राष्ट्रीय ऋण का भार कम है।

राष्ट्रीय ऋण के परिमाण की (क) राष्ट्रीय आय से या (ख) संपूर्ण जातीय धन से, तुलना करके भी ऋण-भार का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय आय या संपूर्ण जातीय धन का ठीक हिसाब लगाना भी सहज नहीं है; और, चिह्नेष्टतया जब कि देश में बहुत से विदेशियों को काफ़ी आय हो, तथा राष्ट्रीय संपत्ति में उनका खासा अधिकार हो तो यह समस्या और भी कठिन हो जाती है।

अस्तु, जैसा पहले कहा गया है, उपर्युक्त विविध डिपायों द्वारा की हुई जांच का फल जब एक ही प्रकार का हो, तभी किसी राज्य के ऋण-भार के संबंध में कुछ ठीक राय दी जा सकती है।

भारत का सार्वजनिक ऋण—भारतवर्ष के सार्वजनिक ऋण का श्रीगणेश इंस्ट इंडिया कंपनी ने किया और उसी ने इस को बहुत कुछ बढ़ाया। कंपनी के अंत होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको सुरक्षित कर दिया, तब से इस की खूब वृद्धि हुई है।

इस ऋण का यह कारण है, कि राज्य का व्यय बढ़ गया और नए-नए करों के लगाने और बढ़ाने पर भी उस का पूरा नहीं पड़ा। पुनः पुश्टिया के कहीं स्थानों में, और अफ्रीका के कुछ स्थानों में भी, अंगरेजों का व्यापारिक और राजनैतिक आविष्यक स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष

के ही द्रव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की युक्ति के लिए हम नीचे कुछ घटनाएँ उद्दृश्यत करते हैं।

भारत पर कंपनी के युद्धों का भार—ईस्ट इंडिया कंपनी इंगलैंड के राजा की प्रतिनिधि थी। उस ने इंगलैंड के शत्रु फ्रांस से, और फ्रांस से सहायता-प्राप्त भारतीय नरेशों से कई युद्ध किए। वह इन का भार न डाल सकी, ऋण, अस्त हो गई। सन् १७६८ ई० में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेने पर उस ने अपने ऋण का भार इस ग्रांत से होनेवाली आमदनी पर ढाल दिया। वास्तव में यहाँ से ही भारत का सार्वजनिक ऋण आरंभ होता है।

सिंहल द्वीप; सिंगापुर, हांकांग, अदन, और रंगून सभी ग्रदेश इंगलैंड ने भारत की सेना और घन के द्वारा जीते हैं। अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, और ईरान से अंगरेज़ों ने युद्ध किए, उन में रुपयों की ज़रूरत हुई। इन सब युद्धों में भी भारत के ही द्रव्य और सेना का उपयोग किया गया। इस प्रकार भारत पर ऋण-भार बढ़ता गया।

कंपनी के कारोबार का भार—कंपनी ने अपना जो कारोबार सेट हलीना, बैन कूलन, मलाक्का, प्रिंस-आक बेल्स द्वीप, और कानाटन में चला रखा था, उस का सब व्यय-भार, और अंगरेज़ों ने जो आक्रमण उत्तमाशा अंतरीप, मनिल्ला, मारिशा, तथा मलाका टापुओं पर किए थे, उन सब का ख़र्च भी भारत पर पड़ा।

ईस्ट इंडिया कंपनी को सन् १८१३ ई० तक भारतवर्ष में व्यापारिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनैतिक सत्ता प्राप्त रही। उस ने अपने इन दो स्तरों का हिसाब अलग न रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक और युद्ध संबंधी व्यय के भार को भी शासन संबंधी ही दर्शाया, भारतवर्ष के ऊपर रख दिया।

कंपनी के पुरस्कार का भार—सन् १८१३ से कंपनी को

केवल चीन में ज्यापार करने का अधिकार रह गया था; सन् १८३३ में वह भी हटा दिया गया। अब संक्षेपी भारतवर्प की शासक समुदाय मात्र रही। उसकी संपत्ति भारत सभादू को दी गयी। उसके छठण और द्रायित्व का भार भारत सरकार को सौंपा गया। निश्चय हुआ कि इंगलैंड की पूँजी पर १०॥ प्रति सैकड़ा (कुल लगभग ६३ लाख रुपया) प्रति वर्ष दिया जावे। सन् १८७३ के बाद पार्लियामेंट चाहे तो पूँजी के हिस्सों के प्रति एक हजार रुपए के बदले दो हजार रुपए (अर्थात् कुल १२ करोड़ रुपए) एक साथ देकर मुनाफ़े से हटकारा पा सके।

इस प्रकार भारतवर्प ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति वर्ष वार्षिक मुनाफ़े के नाम से देता रहा। सन् १८७३ में छठण चुकाने वाले फंड में १२ करोड़ रुपया नमा नहीं हो सका, जैसी की पूर्व में आशा की गई थी। कमी को पूरा करने के लिए भारत-मंत्री ने भारत के लिए १२ करोड़ रुपया, सार्वजनिक छठण के नाम से और कर दिया।

सन् १८३३ में जब कंपनी के ज्यापारिक अधिकारों का अन्त किया गया तो उचित ता यही था कि भारतवर्प को उक्त छठण के बोक से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता, परंतु यहाँ उसे स्थायी रूप से उस छठण के लिए ज़िम्मेदार कर दिया और कुछ अर्थों में उस छठण को छड़ा भी दिया गया।

यहाँ के शासन-च्यव्य के निमित्त बहुत सा धन प्रतिवर्प इंगलैंड जाता है। इसे 'होम चार्जेंज' या विलायती खाच कहते हैं। इस के अंतर्गत सूद में यहाँ से प्रतिवर्प एक बड़ी रकम जाती है। जिस पूँजी पर वह सूद दिया जाता है वह सब उत्पादक कार्यों में ही लगी

'इस मह में निम्न लिखित विषयों के खुर्च का समावेश है—आय प्राप्ति का व्यव्य, रेत, नहर, डाक और तार, छठण का सूद, सिविल शासन, सुद्रा, टकसाल और विनियम, शुल्की मकानात, सेना आदि।'

हुई नहीं है; जो उत्पादक कार्यों में है; उसका भी पूर्ण लाभ इस देश को नहीं मिलता। डंदाहरणवत् रेल का बहुत-सा सामान यहाँ तैयार कराया जा सकता है। रेलों में, आरंभ में बेहद खार्च हुआ और कहीं बर्ष अपार हानि उठानी पड़ी। इन सब बातों से वहाँ खुर्च का भार बढ़ता जाता है और सार्वजनिक ऋण की बुद्धि में सहायता मिलती है।

सिपाही विद्रोह का भार—सन् १८५७ ई० में भारत में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके दमन करने में जो व्यय हुआ, उसके कारण अगले वर्ष यहाँ ऋण की मात्रा और बढ़ गई।^१

पार्लियामेंट का समय—थह बड़ा भारी ऋण चाहे वह कम्पनी की, पृथिवी, योरप, या अफ्रीका भाष्ट्रीप में खड़ी हुई लड़ाइयों के कारण बड़ा हो, चाहे 'होम चार्ज़' के नाम से दी जाने वाली वापिसी रकम के कारण बड़ा हो, अथवा सन् १८५७ ई० का सिपाही-विद्रोह ही इसकी अपार बुद्धि का हेतु हो, सन् १८८८ की नई सरकार को उसी समय हस्तांतरित किया गया जब भारतवर्ष का भारत-चक्र कम्पनी के हाथ से निकल कर साम्राज्ञी के हाथों में पहुंचा। सन् १८८८ ई० में सन् १८९३ ई० की बात दोहराई गई। उक्त वर्ष में 'भारत की सुध्यवस्था और सुशासन के बिष्ट' पास किए हुए एकट में किखा है कि "इंस्ट इंडिया

^१ 'महाराय ज्ञान ज्ञाहृ ने कहा था "मेरा विचार है कि सिपाही-विद्रोह दमन करने में जो ४० करोड़ रुपया व्यय हुआ है, उसे भारत-वासियों के सिर मढ़ाना उन के ऊपर असहयोगी बोर्ड होगा।"..... यदि प्रत्येक मनुष्य के साथ न्याय किया जाय तो इस में संदेह नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस देश (हृगर्भेन) की प्रजा से कर द्वारा चल जाने चाहिए।'

कंपनी के मूलधन पर भुनाफ़ा और तमाम तमस्सुक, बौंड और ब्रेट ग्रिटेन के अन्य सब ज्ञान, तथा कम्पनी के और भी सब प्रकार के देश ज्ञान, भारत के राज्यकर की आय से दिए जायेंगे और दिए जाने योग्य हैं।”

ऋणः भारत का शासन-न्यय बढ़ता गया। राजस्व-सदस्य ने आय का अनुमान कम और व्यय का अनुमान बहुत अधिक करके करों की दूर ऊँची रक्खी। इस से बीसवीं सदी के प्रथम दस वर्षों में सरकारी बचत का औसत घार करोड़ रुपए रहा। सरकार ने फिर भी करों को कम करने का विचार न किया, और न बचत के रूपए से देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष प्रबंध किया। उस ने ग्रामः बचत के रूपए को अनुत्पादक ज्ञान कम करने के काम में लगाया। महायुद्ध के समय में भारत सरकार ने विद्युत-सरकार को डेव-सौ करोड़ रुपया ‘दान’ दिया। इस रक्तम से भारत सरकार से अनुत्पादक ज्ञान में दृतनी वृद्धि और हो गई।

ऋण की रक्तम—भारत-सरकार का कुल सरकारी ज्ञान ३। मार्च १९३८ ई० को १२३६ करोड़ रुपए था, इस में से ७२२ करोड़ भारतवर्ष में और शेष दूंगलैंड में लिया हुआ था। कुल ज्ञान में से १०३३ करोड़ रुपए का ज्ञान ऐसा है, जिस के बदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति विद्यमान है। ७५७ करोड़ रुपए तो रेलों में ही खगे हुए हैं, शेष में से कुछ रक्तम व्यवसायिक विभागों में लगी हुई है, कुछ प्रांतों तथा देशी राज्यों को उधार दी हुई है और कुछ नक्द मौजूद है। ज्ञान की जो रक्तम

रेलों में लगी हुई है उसका सूद रेलों के ब्यय की की मह में दिखाया जाता है। ऋण के २०३ करोड़ रुपए पेसे हैं जिनके बदले में कोई भी सम्पत्ति विद्यमान नहीं है।

सूद का हिसाब—सन् १९३४-३५ के आय ब्यय अनुमान में केंद्रीय ब्यय में सार्वजनिक ऋण के सूद की रकम १३ करोड़ ३४ लाख रुपए दिखाई गई है। विदित हो कि उपर्युक्त रकम दिखाते हुए कुल सूद की रकम में से रेल, आवासी, डाक और तार की महों के, तथा प्रांतीय सरकारों से लिए जाने वाले सूद की रकम घटा दी गई है। अन्यथा उस वर्ष का कुल सूद कहीं अधिक बैठता।

अधिकारियों के बहुत अधिक खर्च के कारण, नए-नए करों के लगते हुए भी देश पर, सूद पर लिए हुए ऋण का भार बढ़ता रहा है।

ऋण दूर किस प्रकार हो?—यदि भारतीय जनता के मत का विचार करके सरकार अपना खर्च परिमित रखे तो ऋण बढ़ाने की आवश्यकता ही न हो। परंतु ऋण की वर्तमान मात्रा भी तो इतनी है कि उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उच्चति में बड़ी बाधा उपस्थित हो रही है। इसे निम्नलिखित प्रकार से दूर किया जासकता है:—

१—इंगलैंड भारत से वह ऋण वापस लेना छोड़ दे जो उसके (इंगलैंड के) हित के लिए लिया गया है। धन-संपत्ति इंगलैंड के लिए उसे छोड़ देना कुछ कठिन नहीं है।

२—यदि यह न हो तो इंगलैंड भारत सरकार को ही ऋण-मुक्त होने के लिए यथेष्ट उपाय काम में लाने में सहायक हो।

(क) जिन आदमियों की जमीन आदि की आमदनी पर आय-कर नहीं लगता, उन पर मालगुजारी के अतिरिक्त अन्य लोगों की तरह

आय कर भी लगाया जावे ।^१

(ख) सब झुण के सूद की दर बहुत परिमित की जाय ।

(ग) जो लोग भारत सरकार से सूद की आमदनी करते हैं, उनकी आमदनी पर भारत सरकार टैक्स लगाएँ, चाहे वे भारतवर्ष से बाहर भी रहते हों। इंगलैण्ड ऐसा करता है, उसे भारतवर्ष को भी ऐसा करने देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

यह सब मिला कर भारत सरकार को प्रति वर्ष काफ़ी आय या बचत हो सकती है। यह केवल झुण तुकाने में ही काम में लाई जाय। आशा है, सरकारी अधिकारी इस विषय का यथेष्ठ विचार करके देश को झुण के भयंकर बोक से मुक्त करने का विचार करेंगे, जिस से इस की आर्थिक उज्ज्ञाति का मार्ग प्रशस्त हो। शुभम् ।

— — —

^१ मालगुजारी देने वालों में कुछ आदमी सरकार को उपज के हिसाब से बहुत अधिक मालगुजारी देते हैं; कुछ कम। उन पर आय-कर लगाने से इस बात का लिहाज रखना होगा।

परिशिष्ट १

सरकारी आय व्यय

आगे विद्यि भारत में होने वाले सरकारी आय और व्यय के अंक दिए जाते हैं। स्मरण रहे कि:—

(१) हिसाब को संविस करने के विचार से हम ने सब प्रांतों का एक-एक मह का खर्च, तथा एक-एक मह की आय इकट्ठी जोड़ कर दी है। चौक उमिश्वरों के प्रांतों की (प्रांतीय विषयों की) आय तथा व्यय केंद्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया गया है, कारण, इसका संबंध केंद्रीय सरकार से ही रहता है।

(२) व्यय की महों में, कर वसूल करने के खर्च में आयात-नियात-कर, आय-कर, मालागुजारी, स्टाप, रजिस्टरी, अफ्फीम, नमक, और सरकारी आदि विभागों के खर्च के अतिरिक्त अफ्फीम और नमक तैयार करने का खर्च भी सम्मिलित है।

सरकारी व्यय (लाख रुपयों में)

सन् १९३४—३५ ई० का अनुमान

मह	केंद्रीय सरकार	प्रांतीय सरकार
इ० { (१) सेना	४६, ५८	...
प्रति-चुनवरण	४, ०१	६, ०४
कांगड़ी	३, ०८	२, ४१
जन-वित्तकारी	११, ०७	
जन-	१६, ०८	
जन-	११, ६०	
जन-	६, १९	
जन-	२, ६६	
जन-	५, ०६	
जन-	...	
जन-	५२	
जन-	...	
जन-	...	
जन-	२, ४५	
जन-	५, ७३	
जन-	२, ००	
जन-	४, ०८	
जन-	१३, ३४	
योग	११६, ६५	५६, २५

सरकारी आय (लाख रुपयों में)

सन् १९३४—३५ ई० का अनुमान

	मह	केंद्रीय-सरकार	प्रांतीय-सरकार
कर, प्रश्नकर	(१) आयकर	१७, २८	...
	(२) मालगुजारी	...	३३, ८८
	(३) आयात निर्वात कर	४७, ७६	...
	(४) नमक	८, ७३	...
	(५) अळीम	६८	...
	(६) आबकारी	...	१४, ४७
	(७) स्थान्य	...	११, ६६
	(८) रजिस्टरी	...	१, ११
	(९) अन्य कर	१, ८२	८१
	(१०) न्याय, पुलिस, जेल	७८	१, ७०
प्रीस	(११) शिक्षा, स्वास्थ्यादि		३, ३१
	(१२) सिविल निर्माण कार्य	२४	१, ४४
	(१३) सुदूर टकसाल विनियम	१, २७	...
	(१४) रेल	३२, ८८	...
व्यवसायिक आय	(१५) डाक, तार	५०	...
	(१६) जंगल
	(१७) आबपाशी	...	३, ०८
	(१८) सैनिक आय	...	६, ८७
	(१९) सूद की आय	५, २०	...
	(२०) विविध	१, ८६	२, ११
		५७	८६
	योग	१, १६, ११	८१, ३३

परिशिष्ट—२

पारिभाषिक शब्द

Accounts	हिसाब
Act	कानून
Administration	शासन
Air Forces	वायु-सेना
Allowance	भत्ता, अलार्स
Amendment	संशोधन
Army	सेना
Assembly, Indian Legislative—	भारतीय न्यवस्थापक सभा
Audit	हिसाब की जांच
Auditor	हिसाब-परीक्षक, जेला परीक्षक
Authority	अधिकार, अधिकारी,
Autonomy, Provincial	प्रांतीय स्वराज्य
Auxilliary Forces	सहायक सेना
Bill	कानून का मसविदा
Broad-casting	ट्विनि-विस्तार

Budget	बजट, आय-व्यय-अनुमान-पत्र
Budget-estimate	आय-व्यय-अनुमान-पत्र
Bye-law	उप-नियम
Cabinet	मंत्रिमंडल
Capital Expenditure	पूँजी से होने वाला खर्च
Cattle-pond	मवेशीग़ाना
Census	मनुष्य-गणना
Central Government	केन्द्रीय सरकार
Central Provinces	मध्यप्रान्त
Central Subject	केन्द्रीय विषय
Certify	तस्वीक करना, प्रमाणपत्र देना
Cess	महसूल
Chairman	सभापति, चेयरमैन
Chief Commissioner	चीफ कमिशनर
Circulation	चलन, प्रचार
Citizen	नागरिक
Civil	दीवानी, सुल्की
Classification	बर्गीकरण
Coinage	सुदान-डाइर्ब
Collector	कलेक्टर
Colony	उपनिवेश
Commerce	वाणिज्य
Commission, Enquiry	जाँच, कमीशन
Commissioner	कमिशनर
Conscription	अनिवार्य सैनिक सेवा
Constituency	निर्वाचक संघ, निर्वाचन क्षेत्र

Constitution	विधान, शासन-पद्धति
Constitutional	वैध
Consumption	उपभोग
Co-operative society	सहकारी समिति
Copy-right	मुद्रणाधिकार
Council, Executive	प्रबन्धकारिणी समा, कार्यकारिणी समा
Council, India	हिंडिया कॉंसिल, भारत-मंत्री की समा
Council, Legislative	व्यवस्थापक परिषद् ।
Council of State	राज्य परिषद्
Court	अदालत, न्यायालय
Credit	साहच
Criminal Investigation Dept.	खूफिया पुलिस
Crown	सम्राट्
Currency	मुद्रा
Customs	आयात निर्यात कर
Death Duty	मृत्यु-कर
Debt, Public	सार्वजनिक ऋण, सरकारी ऋण
Defence	रक्षा
Department	विभाग
Direct Demands on Revenue	कर वसूल करने का छार्च
Direct Election	प्रत्यक्ष निर्वाचन
Direct Tax	प्रत्यक्ष कर
District Administration	ज़िले का शासन
District Board	ज़िला-बोर्ड
District Council	ज़िला कॉंसिल

Drainage works	नालियां बनाने का काम
Dyarchy	द्वैध शासन पद्धति ।
Ecclesiastical Dept.	धर्म संबंधी विभाग, ईसाई मत विभाग
Economic	आर्थिक
Election	निर्वाचन, चुनाव
Exchange	विनिमय
Excise Duties	आबकारी कर । देशी माल पर कर
Executive Council	प्रबंधकारिणी सभा
Expenditure, Public—	सरकारी खर्च
Export	निर्यात
Factory	कारखाना
Famine-relief	दुर्भिका निवारण, अकाल निवारण
Federal Assembly	संघीय स्थानापक सभा
Federal Court	संघ न्यायालय
Federal Govt.	संघ सरकार
Federal Legislature	संघीय स्थानापक मंडल
Federation	संघ
Fees	फीस, शुल्क
Finance	राजस्व
Finance Member	अर्थ सदस्य
Financial	राजस्व संबंधी आर्थिक
Fiscal policy	अर्थनीति
Foreign Depts.	विदेश, विभाग
Fund, Reserve	बचत कोष, रिजर्व फंड
Franchise	पदाधिकार
Free Trade	मुकुद्धार स्थापात्र, अवाप्त स्थापात्र

Gold Standard Reserve	सुधा ढकाई लाभ कोप, स्वर्ण-भान कोष
Government of India	भारत सरकार
Governor General in Council	कॉसिल युक्त गवर्नर-जनरल, सपरि- षद् गवर्नर-जनरल ;
Governor in Council	कॉसिल युक्त गवर्नर, सपरिषद् गवर्नर
Gross Revenue	कुल आय
Headman	सुखिया
Head-quarter	सदर मुकाम
Heads of Depts.	विभागों के अध्यक्ष
Head of Income	आय की भई
High Commissioner	हाई कमिशनर
His Majesty's Govt.	सम्राट की सरकार, ब्रिटिश सरकार ।
Home Charges	(भारत का) इंग्लैण्ड में होनेवाला मङ्गचं होम चार्जेस ।
Home Dept.	स्वदेश विभाग
Home Government	ब्रिटिश सरकार
Home member	स्वदेश मंत्री, गृह-सचिव ।
I. C. S. (Indian Civil Service)	आई० सी० पृस०, भारतीय सुखकी नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस
Imperial	साम्राज्य संबंधी, शाही
Imperial Preference	साम्राज्यान्तर्गत रियायत
Import	आयात
Improvement Trust	इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट, नगरोन्नतिकारियों समा
Income-tax	आय कर
India Council	इंडिया कॉसिल, भारत मंत्री की सभा

Indian Administration	भारतीय शासन
Indian Civil Service	इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय मुख्यमंत्री की नौकरी
Indianisation	भारतीय करण
Indian Legislative Assembly	भारतीय व्यवस्थापक सभा
Indian Penal Code	भारतीय दंड विधान, ताज़ीरात हिन्दू इंडिया आफिस, भारतमंत्री का कार्यालय
India Office	परोक्ष कर
" Indirect Tax	उद्योग धंधा
Industry	व्यापार
Insurance	सिंचाई, आबपाशी
Irrigation	सिविल पैज़ी की कंपनी
Joint Stock Company	कॉली हैस
Kine-house	मज़दूर, मज़दूरी, अम
Labour	मज़दूर दल
Labour Party	कार्यकार
Land holder	झमीदार
Land lord	मालगुजारी
Land revenue	क्रान्त
Law	जायज़, न्याय
Lawful	राष्ट्र-संघ
League of Nations	व्यवस्था
Legislation	व्यवस्थापक परिषद्
Legislative Council	व्यवस्थापक मंडळ
Legislature	

License	लैसेंस, सरकारी अनुमति
Local Board	लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड
Local Government	प्रांतीय सरकार
Local Self-Goverment	स्थानीय स्वराज्य
Luxuries	विलासिता की वस्तुएँ
Majority	बहुमत
Market	बाज़ार
Member	सदस्य, मेंबर
Minister, Prime	प्रधान मंत्री
Mint	टक्साल
M. L. A. (Member Legislative Assembly)	एम॰एल॰ए। (भारतीय न्यवस्था-पक्ष सभा का सदस्य)
Monarchy	राजतंत्र
Money	दृश्य, रूपया-पैसा
Monopoly	एकाधिकार
Municipality	म्युनिसिपैलिटी
Nationalisation	राष्ट्रीकरण
Nation-Building	राष्ट्रनिर्माण
Navy	जलसेना
Necessaries of Existance	जीवन रहक पदार्थ
Net Revenue	विशुद्ध आय
Octroy	चुँगी
Paper Currency	कागजी मुद्रा
Parliament	पार्लियामेंट
Party	दल
Permanent Settlement	स्थायी बंदोबस्त

Popular Control	सार्वजनिक नियंत्रण, जनता का नियंत्रण
President	सभापति, अध्यक्ष
Price	द्वीमत
Produce	उपज
Production	उत्पत्ति
Profit	सुनाफ़ा
Protection duties	संरक्षण-कर
Province	प्रांत
Provincial Autonomy	प्रांतीय (प्रांतिक) स्वराज्य
Public Debt	सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण
Public Services	सरकारी नौकरियाँ
Public Works	सरकारी निर्माण कार्य
Qualification	योग्यता
Rate payer	करदाता
Rent	लगान, किराया
Representative	प्रतिनिधि
Research	अनुसंधान
Reserved subjects	राजित-विषय
Reserve Force	आपत्काल सेना
Reserve Fund	सुरक्षित कोष, रिजर्व फंड
Resident	रेजीडेंट, निवासी
Resolution	प्रस्ताव
Responsible Govt.	उच्चरक्षणीय सरकार
Revenue	मालगुज़ारी, माल
Royal Indian Marine	भारतीय जलसेना
Ruler	नरेश, शासक

Rules	नियम, क्रायदे
Safe-guard	संरक्षण
Secretary	सचिव,
Secretary of State	राज-मंत्री
Secretary of State for India	भारत-मंत्री
Select committee	विशिष्ट-समिति
Self-governing Settlement	स्वराज्य-प्राप्त वन्दोवस्तु
Socialism	साम्यवाद
Standing committee	स्थायी-समिति
Statistics	आँकडे, अंकशास्त्र
Subject	विषय, प्रजा
Succession Duty	विरासत-कर
Super-tax	अतिरिक्त कर
Tax	कर
Transferred Subject	हस्तातंरित विषय
Treaty	संधि
Tribute	नज़राना, सिराज
Trust	समिति, द्रस्त, धरोहर
Unanimous	सर्व-सम्मत
Veto	निशेध, रद्द करना
Vote	मत, 'बोट'
Voter	मतदाता 'बोटर'
